[2019] 11 एस. सी. आर. 913

विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी)

शकुंतला एलियास सुषमा और ओआरएस के माध्यम से।

वी.

महाराष्ट्र क्रांति का राज्य

और वन विभाग और ओआरएस।

(2009 की सिविल अपील No.6006)

अगस्त 29,2019

[के. एम. जोसेफ और संजय किशन कौल, जे. जे.]

महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम सीमा) अधिनियम,

1961 : एसएस। 8 , 10 , 11 , 21 , 44 बी-अधिकतम सीमा-विभाजन विलेख दिनांकित

31.01.1970 (के बीच निष्पादित 1.07.1970) पर विधिवत पंजीकृत

अपीलार्थी, उसकी पत्नी, नाबालिग बेटा और तीन नाबालिग बेटियाँ एचयूएफ की कृषि भूमि-19.11.1976 पर, 59 एकड़ और 35 एकड़

एस. डी. ओ. द्वारा अधिशेष घोषित अपीलार्थी की भूमि के गुंटे-अपील

अपीलार्थी, उसकी पत्नी, नाबालिग बेटे और बड़ी बेटी द्वारा दायर-दो अन्य नाबालिग बेटियों ने आदेश से संतुष्ट होने की अपील नहीं की

एस. डी. ओ. के रूप में भूमि का कोई हिस्सा नहीं जो उनके माध्यम से हस्तांतरित किया गया था

विभाजन विलेख को अधिशेष घोषित किया गया था-राज्य ने दो बेटियों की भूमि के बहिष्कार को चुनौती देते हुए क्रॉस आपत्तियां दायर कीं, लेकिन ऐसा नहीं किया

कि विभाजन विलेख हालांकि कट ऑफ तिथि से पहले के खिलाफ था हिंदू कानून के सिद्धांत इस हद तक कि वे नाबालिगों को हिस्सा देते थे

पैतृक भूमि में बेटियाँ-क्या विभाजन विलेख पंजीकृत है

26.09.1970 की कट-ऑफ तिथि से पहले हिंदू कानून के सिद्धांतों के खिलाफ था, इस हद तक कि इसमें नाबालिग बेटियों को हिस्सा दिया गया था।

भूमि और उस आधार पर, विभाजन विलेख कानून में कोई प्रभाव नहीं था

-

आयोजित (संजय किशन कौल, जे. के अनुसार): 26.9.1970 की प्रासंगिक तिथि और 2.10.1975 राज्य को लेने के लिए पाँच साल का समय देता है

कार्रवाई करें और इस अवधि के दौरान किसी भी संदिग्ध लेनदेन को रोकें समय को असीमित पूर्व अवधि तक नहीं बढ़ाया जा सकता है -

26.09.1970 की बंद तिथि-विभाजन विलेख का निष्पादन जिसके पास है उपहार का प्रभाव विलेख के प्रभाव को शून्य नहीं करेगा क्योंकि

पैतृक संपत्ति से बेटियों के लिए किया गया प्रावधान पवित्र दायित्व के अनुपालन में होगा-हिंदू कानून

अविवाहित बेटी की शादी के लिए प्रावधान

पैतृक संपत्ति-इसलिए, अधिशेष भूमि निर्धारित करने के लिए दो बड़ी बेटियों की भूमि को हटाने के संबंध में एस. डी. ओ. का विचार था

सही और बहाल किया गया है-(प्रति के. एम. जोसेफ, जे.): कलेक्टर, जब एस के तहत जांच के दौरान। 18 अधिनियम के समक्ष यह दिखाने के लिए सामग्री है कि एक प्रत्यक्ष हस्तांतरण या विभाजन एक छल के अलावा और कुछ नहीं है और एक व्यक्ति या परिवार का कोई सदस्य प्रारंभ के दिन के रूप में भूमि पर कब्जा करना जारी रखता है, यह अधिनियम के अधिदेश के अनुसार कार्य करने और अधिकतम सीमा की गणना करने के उद्देश्य से भूमि को शामिल करने की उसकी शक्तियों के भीतर होगा-कलेक्टर

किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसकी उपस्थिति को लागू करने दोनों के मामले में दीवानी अदालत की शक्तियों से संपन्न

किसी भी दस्तावेज़ को पेश करने के लिए मजबूर करने की भी शक्ति-चाहे वह नकली लेन-देन हो, चाहे वह बिक्री हो या विभाजन, हालांकि इसमें हस्तांतरण या विभाजन के सभी गुण हैं और इसे इस तरह से पंजीकृत किया जा सकता है, वास्तव में, हस्तांतरणकर्ता मालिक बना रहता है-तत्काल मामले में, पिता भूमि के मालिक बने रहे जैसा कि स्वामित्व था।

कानूनी रूप से वैध साधन द्वारा दोनों बेटियों को नहीं दिया गया यहां तक कि प्रासंगिक समय के फसल विवरण ने भी खेती को दिखाया

अकेले पिता द्वारा या बेटियों के साथ विभाजन हुआ था इस कारण से अप्राकृतिक है कि मौजूदा हिंदू कानून के तहत,

बेटियां हिस्से की हकदार नहीं थीं और महिलाएं विभाजन की हकदार नहीं थीं-इस प्रकार विभाजन वास्तव में न केवल अप्राकृतिक था, बल्कि इसका प्रभाव डालने का इरादा नहीं था-संपत्ति जारी रही।

पिता के साथ, जिस स्थिति में यह उसके द्वारा प्रारंभ की तारीख को भी धारित संपत्ति होगी, जिससे वह इसमें शामिल होने के लिए उत्तरदायी होगा। पारिवारिक इकाई का लेखा-जोखा-आयोजितः मतभेद को देखते हुए, मामले को बड़ी पीठ को भेजने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया-बड़ी पीठ को संदर्भ।

राय के मतभेद को देखते हुए मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः

पर संजय किशन कौल, जे।

1. कल्पित कथाः

1.1 विचाराधीन कानून एक लाभकारी कानून है और वास्तव में, इसे व्यापक आयाम दिया जाना चाहिए,

इसका उद्देश्य भूमिहीनों के बीच भूमि का वितरण करना है। इस तरह के कानून को व्यापक आयाम देते हुए, न्यायालय को विशालस जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर नहीं होना चाहिए।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग।

कानून के शब्दों की व्याख्या उसके सादे पढ़ने से परे करें जो कानून के इरादे को दर्शाता है। प्रावधानों को पढ़ना होगा, यह देखने के लिए कि क्या कोई अस्पष्टता है, जिसकी आवश्यकता है उन खंडों के निर्माण के लिए और सहायता, या क्या वे अपने अर्थ में स्पष्ट और स्पष्ट हैं। उक्त अधिनियम की धारा 8,10 और 11 सहित अध्याय 3 के प्रावधानों को पढ़ने पर, कोई अस्पष्टता नहीं है क्योंकि इसके लिए किसी भी सहायता की आवश्यकता होगी।

उन खंडों के अर्थ का निर्माण करें। [पारस 19 और 20] [938] बी-डी]

गुरदित सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1974) 2 एससीसी 260: [1974] 3 एस. सी. आर. 896-निर्भर।

1.2 प्रारंभ की तारीख वह तारीख होगी जिससे प्रावधान लागू होंगे। हालांकि, संशोधन

1972 के प्रावधान को सम्मिलित करके एक कल्पित कथा बनाई गई

शून्य लेन-देन की स्थापना जो पूर्व में हुआ हो सकता है

तिथि, अर्थात, 26.9.1970 से। परिणाम यह है कि लगभग पाँच वर्षों की इस अवधि में लेन-देन या हस्तांतरण भी प्रभावित होंगे

अधिशेष भूमि का संबंध है। विधायिका के विवेक में, पांच साल की अवधि जांच के लिए पर्याप्त है। लेनदेन जिन्हें "संदिग्ध और अप्रत्यक्ष" कहा जा सकता है

उक्त अधिनियम के परिणाम से बचने के तरीके। यह भी है भूमि के अधिशेष क्षेत्र के निर्धारण से संबंधित धारा 18 के प्रावधानों द्वारा प्रबलित। खंड का प्रभाव

18 (ख) यह है कि कोई भी भूमि, भले ही वह विभाजन या अन्य द्वारा प्राप्त की गई हो।

हस्तांतरण, 26.9.1970 की तारीख के बाद के लिए शामिल किया जाएगा

अधिशेष भूमि की गणना के उद्देश्य, उस व्यक्ति की भूमि के रूप में जिसने इसे हस्तांतरित किया था। उप-धारा का दूसरा स्पष्टीकरण

(1) धारा 10 में यह भी प्रावधान किया गया है कि इस तरह के साक्ष्य देने वाले दस्तावेज

अगर वे उस तारीख को या उससे पहले पंजीकृत नहीं हैं, या भले ही वे हैं, तो 26.9.1970 से पहले भी हस्तांतरण को छूट नहीं दी जाएगी।

उस तारीख के बाद पंजीकृत, उन्हें पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है

उस तारीख को या उससे पहले। इस प्रकार, भूमि से बचने की संभावना

पिछली तारीख को दस्तावेज़ बनाकर और बाद में उन्हें पंजीकरण के लिए पेश करके अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया जाता है।

[पारस 21-23] [938-ई-एफ; 939-ए-बी, ई-एफ] [2019] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्यः [1955] 2 एससीआर 603; मंचेरी पुथुसेरी अहमद बनाम।

कुथिरावट्टम एस्टेट रिसीवर (1996) 6 एससीसी 185:

[1996] 5 पूरक। एस. सी. आर. 813-पर निर्भर।

1.3 एक कानूनी कल्पना उस उद्देश्य के लिए सीमित होनी चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया है और इसे उस वैध उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

मैदान। मंचेरी मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था, "एक कल्पना को अदालत द्वारा सादृश्य पर या शब्दों को जोड़कर या हटाकर नहीं बढ़ाया जा सकता है।

विधायिका द्वारा विचार किया गया "। इस प्रकार, काल्पनिक माने जाने वाले प्रावधान की व्याख्या करने का यह तरीका होने के कारण, राज्य को कार्रवाई करने और इस अवधि के दौरान किसी भी संदिग्ध लेनदेन को रोकने के लिए पांच साल का समय देने के लिए 26.9.1970 और 2.10.1975 की प्रासंगिक तिथियों का विस्तार नहीं किया जा सकता है।

समय की असीमित पूर्व अवधि के लिए। [पारस 25,26] [940-बी-जी; 941-ए]

राज कुमार जौहरी बनाम। एम. पी. राज्य (2002) 3 एस. सी. सी. 732:

[2002] 2 एस. सी. आर. 512; उत्तर चंद बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (1980) 2 एस. सी. सी. 292: [1980] 2 एससीआर 1048

पर भरोसा किया।

-

2. क्रॉस-आपत्तियों की अनुमति देने वाला अपीलीय प्राधिकरणः

जहां तक दो बड़ी बेटियों का संबंध है, विभाजन विलेख के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह आदेश पारित किया गया था, जो एसडीओ होने के नाते, जहां तक उनमें निहित भूमि का संबंध है, उनके पक्ष में था। इस प्रकार, उनके लिए अपील दायर करने का कोई अवसर नहीं था, न ही उन्होंने अपील दायर की। अपील दायर करने वाले परिवार के अन्य सदस्यों ने उन्हें पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया। एक बार फिर, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वे इच्छुक पक्ष नहीं होंगे, या उस ओर से समर्थक पक्ष भी नहीं होंगे। हालाँकि, एक बार जब राज्य ने परस्पर आपत्तियाँ दायर करने का निर्णय लिया और उसमें, एसडीओ के आदेश के उस हिस्से को भी, जो दो बड़ी बेटियों के पक्ष में था, आक्षेप किया, तो वे उन कार्यवाही के लिए आवश्यक पक्षकार थे। यह कहने का कोई जवाब नहीं है कि चूंकि भूमि की सीमा का प्रभाव उनके पिता, वीजेके के क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के लिए होगा, इसलिए वीजेके को यह देखना होगा कि वह अपनी बेटियों को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं। यह

मौलिक दोष को बाद में ठीक नहीं किया जा सकता है। कार्यवाही, अपील के अधिकार के रूप में एक वैधानिक अधिकार और एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इस दृष्टिकोण को न्यायिक घोषणाओं के एक समूह द्वारा पुष्ट किया जाता है। यह माना गया है कि सिविल विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर की संहिता।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग।

प्रक्रिया, 1908 में किसी ऐसे पक्ष के खिलाफ प्रति-आपत्तियां दायर करने पर विचार नहीं किया गया है जो अपील में पक्षकार नहीं है। इस तरह की आपत्तियों को दायर करने के मामले में दो अलग-अलग संचालन आवश्यक हैं। उसे उन व्यक्तियों को पक्षकार के रूप में शामिल करना चाहिए जिनके खिलाफ वह क्रॉस-आपत्ति दर्ज करने का इरादा रखता है, फिर उसे क्रॉस-आपत्तियों का ज्ञापन दायर करना चाहिए। न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण की स्थिति इससे अलग नहीं होगी क्योंकि एक पक्ष को सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार, इस कारण से भी क्रॉस आपत्ति दो बड़ी बेटियों की स्थिति को बाधित नहीं कर सकती थी। [पारस 28 और 29] [941-डी-जी; 942-ए-बी]

उदित नारायण सिंह मल्फरिया बनाम। अतिरिक्त सदस्य, राजस्व बोर्ड, बिहार एआईआर 1963 एससी 786 (डब्ल्यूएस):

[1963] पूरक। एस. सी. आर. 676 पर भरोसा किया।

राजेन्द्र नाथ चटर्जी बनाम। महेशता देवी एयर

1926 कैल 533; वेंकटपति बनाम। वीरय्या एयर (30)

1943 मद्रास 609-स्वीकृत।

3. एच. यू. एफ. संपत्ति में अविवाहित बेटियों का दावाः

3.1 यह * गुरम्मा भर्तार मामला, उपहार देने की स्वीकार्यता

पैतृक संपत्ति का एक उचित हिस्सा, के पक्ष में

विवाह के उद्देश्यों के लिए, बेटियों को वैध माना जाता था, और मिताक्षर कानून के अनुसार। इस प्रकार, कानूनी दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि अविवाहित बेटियों के विवाह का प्रावधान पैतृक संपत्ति से किया जा सकता है। इस तरह का प्रावधान शादी से पहले, उस समय या बाद में भी किया जा सकता है। यह प्रावधान पवित्र दायित्व के कारण किया जा रहा है, हालांकि समय के साथ महिलाओं का अधिकार कम हो गया है। हालाँकि, 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के साथ, अब एक विशिष्ट अधिकार है

पैतृक विभाजन पर हिस्सा पाने के लिए महिलाओं को प्रदान किया गया विभाजन का दावा करने के अधिकार सहित संपत्ति। यह परिवर्तन महाराष्ट्र में 1994 में ही लाया गया था। [पैरा 33,36] [945 एफ; 946-ई-जी]

पुगालिया वेट्टोरम्मल और अन्र। वी. वेट्टोर गौंडन (1912) 22 एमएलजे 321; आर. कुप्पायी बनाम। राजा गौंडर (2004)

1 एससीसी 295: [2003] 6 पूरक। एससीआर 605; * गुरम्मा

भारतार चनबसप्पा देशमुख बनाम। मल्लप्पा

चनबसप्पा और ओआरएस। [1964] 4 एस. सी. आर. 497 पर भरोसा किया।

अन्नामलाई अम्मल बनाम। सुंदराथम्मल और ओआरएस। आकाशवाणी 1953 मैड 404-स्वीकृत।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के प्रावधान को बनाए जाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। यदि कानून इसकी अनुमति देता है, तो इसे शायद ही धोखाधड़ी कहा जा सकता है। इस प्रकार, अनुमति देने का आधार क्रॉस-आपत्ति का कानून में कोई आधार नहीं है। इसके अलावा, दो बड़ी बेटियाँ, जिनके अधिकारों पर वास्तव में बहस हुई है, यहाँ तक कि

प्रारंभ की तारीख से पहले बहुमत प्राप्त किया, यानी, वे उस तारीख को प्रमुख अविवाहित बेटियाँ थीं जब संशोधन किए गए थे। लागू हुआ। इस प्रकार, धारा 4 के तहत निहित परिभाषा के संदर्भ में उन्हें परिवार इकाई में भी शामिल नहीं किया गया था। [पारस 37,38] [946-एच; 947-ए-सी]

3.3 परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी नहीं चाहा

कृत्य पर हमला करें या उसे चुनौती दें। यह उसी की वैधता के अलावा परिवार की सहमति के साथ था। दस्तावेज़ के नामकरण को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए दस्तावेज़ के अग्रभाग को देखा जा सकता है। मामले के दिए गए तथ्यों में यह इस बात पर विवाद नहीं है कि विलेख एक पंजीकृत दस्तावेज था। इस प्रकार, यदि कोई इसे विभाजन-सह-उपहार विलेख के रूप में भी समझता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टी. पी. अधिनियम की धारा 122 और 123 के तहत उपहार विलेख की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इस प्रकार, भले ही दस्तावेज़ प्रभावी रूप से एक उपहार विलेख है, और हिंदू कानून बेटी के लिए उसकी शादी के लिए एक प्रावधान करने की अनुमति देता है, एक विभाजन विलेख का निष्पादन, जिसका इस तरह के उपहार का प्रभाव है, विलेख के प्रभाव को रद्द नहीं करेगा। यह पैतृक में से बेटी के लिए किए गए प्रावधान के रूप में है

संपत्ति पवित्र दायित्व के अनुपालन में होगी। इस प्रकार, ये निष्कर्ष इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एसडीओ का दृष्टिकोण दो बड़ी बेटियों की भूमि के बारे में, सही दृष्टिकोण है। [पारस 39-42] [948-C; 949-B-E]

मेड गौडा वी. चेन्ने गौड़ा ए. आई. आर. 1925 मध्य 1174; रामास्वामी पट्टामाली बनाम। लक्ष्मी ए. आई. आर. 1962 केर 313; नम्बुरी बसव सुब्रमण्यम बनाम। अलापति हैमवती

& ओआरएस। (1996) 9 एससीसी 388 [1996] 3 एससीआर 1100 -

पर भरोसा किया।

विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग।

पोन्नू और अन्र। वी. तालुक भूमि बोर्ड, चित्तूर और अन्य। ,

(1981) के. एल. टी. 780-स्वीकृत।

रेमंड लिमिटेड बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2007) 3 एससीसी 79: [2007] 2 एस. सी. आर. 990; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम संघ

भारत का ए. आई. आर 1963 एस. सी. 1241: [1964] एससीआर 371 -

संदर्भित किया गया।

पेर के. एम. जोसेफ, जे. (असहमति)

1. 26.09.1970 से पहले अधिनियम के तहत प्राधिकरणों की शक्ति

1.1 "स्थानांतरण" और "विभाजन" शब्द का प्रयोग किया जाता है।

अधिनियम की धारा 10 और 11 को हस्तांतरण और विभाजन के रूप में समझा जाना चाहिए जो वास्तविक है। दूसरे शब्दों में, ए हस्तांतरण, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो, जैसा कि धारा 8 के तहत परिभाषित किया गया है

वास्तव में इसके परिणामस्वरूप पिछले मालिक के अधिकारों का विनिवेश और हस्तांतरणकर्ता को अधिकार सौंप दिए जाते हैं। विधायी इरादा यह था कि ऐसे हस्तांतरण, जो अन्यथा वास्तविक लेनदेन के रूप में पारित होंगे और इसलिए, अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने का प्रभाव पड़ेगा जैसा कि विशेष रूप से धारा 3 में निहित है और अधिशेष भूमि के वितरण से संबंधित अध्याय को अप्रभावी बना दिया जाना चाहिए। उसी स्थिति में है

पक्षकार और पक्षकार जो पहले संयुक्त स्वामित्व था, उसके अलग-अलग मालिकों के रूप में संपत्तियों का आनंद लेते हैं, उनके अधिकार अंतर्निहित प्रशंसनीय उद्देश्य से समाहित और अभिभूत हो जाएंगे। अधिनियम की धारा 3 और निषेध का पूरा प्रभाव होगा। [पैरा 54] [973-डी-जी]

1.2 अधिनियम की धारा 18 के खंड (ए) और (बी) के अलावा, कलेक्टर अन्य मामलों का पता लगाने के लिए कर्तव्यबद्ध है। खंड (ग) अधिनियम की धारा 18 में विशेष रूप से यह आदेश दिया गया है कि अधिकारी को यह पता लगाना चाहिए कि प्रारंभ की तारीख को धारक के पास भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है। अधिनियम की धारा 18 के खंड (1) में यह भी विचार किया गया है कि कलेक्टर किसी भी अन्य मामले पर विचार कर सकता है जो उसकी राय में अधिकतम सीमा क्षेत्र की गणना के लिए आवश्यक है। धारा 18 (सी) और (1) के संयोजन में पठित अधिनियम की धारा 3, अन्य बातों के साथ, यह स्थापित करती है कि कलेक्टर [2019] 11 एस. सी. आर.

उसके पास शक्ति है और यह उसका कर्तव्य बन जाता है, वास्तव में, यह पता लगाना कि क्या है

नियत दिन पर आयोजित क्षेत्र, अर्थात। , 02.10.1975 . विधानमंडल ने "धारण करने" शब्दों को परिभाषित किया है, जिसका अर्थ है "मालिक या किरायेदार के रूप में भूमि के वास्तविक कब्जे में कानूनी रूप से होना"। "स्वामी" शब्द का अर्थ आगे परिभाषित किया गया है, "किसी भी भूमि के संबंध में भूमि पर कब्जा करने वाला व्यक्ति, संहिता में परिभाषित उच्चतर धारक, सरकार का पट्टेदार, जैसा कि आमतौर पर होता है, शामिल है।

समझ में आया "। यदि व्यक्ति भूमि पर कब्जा कर रहा है, तो वह मालिक होगा। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति नियत दिन के रूप में एक अधिभोगकर्ता के रूप में कब्जे में है, तो उसके द्वारा इस प्रकार धारण की गई भूमि की सीमा की गणना करने के उद्देश्य से विचार किया जाएगा।

छत की सीमा। समान रूप से, यदि व्यक्ति सरकार के पट्टेदार के रूप में कब्जे में है, तो उसे अधिनियम की धारा 3 का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यदि उसके पास अधिकतम सीमा से अधिक भूमि है, जिसमें वह भूमि भी शामिल है जो वह सरकार के पट्टेदार के रूप में रखता है। [पैरा 55] [973-एच; 974-ए-ई]

1.3 इसलिए, कलेक्टर पाठ्यक्रम में कर्तव्यबद्ध है।

प्रारंभ के दिन के रूप में वास्तव में होल्डिंग (अधिनियम में परिभाषित के रूप में) क्या है, इस बारे में पूछताछ और पता लगाने के लिए। में।

कानून के अर्थ को जानने और कानून के शब्दों को स्पष्ट करने और कानून के इरादे की खोज करने का मामला।

विधान, न्यायालय को यह मान लेना चाहिए कि विधानमंडल ने समय की महसूस की गई आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है। यह आगे यह मान लेगा कि विधानमंडल कानून के बारे में जानता था क्योंकि यह मौजूद है और इस धारणा के साथ शुरू नहीं होता है कि विधानमंडल है

कानून के बिंदुओं पर अदालतों द्वारा व्यक्त की गई राय से अनजान। [पैरा 56] [974-एफ-एच]

श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड, मदुरै बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 49: [1956] एस. सी. आर. 691; कलवा देवदत्तम और अन्य बनाम। संघ का

भारत और अन्य एआईआर 1964 एससी 880: [1964] एससीआर 191

- संदर्भित किया गया।

2.1 नकली लेन-देन में, चाहे वह बिक्री हो या विभाजन, हालांकि

इसमें हस्तांतरण या विभाजन के सभी गुण हैं और इसे इस तरह से पंजीकृत किया जा सकता है, वास्तव में, हस्तांतरणकर्ता जारी है

मालिक। वह व्यक्ति जो पिछला मालिक था, विभाजन के मामले में, जो नकली है, मालिक बना रहेगा।

ए विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग।

चतुर छलावरण या एक बिक्री या विभाजन के रूप में प्रच्छन्न रूप से प्रच्छन्न एक दस्तावेज़, के इरादे को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है विधायिका। यदि आसपास की परिस्थितियों और लेन-देन के पीछे की वास्तविक वास्तविकता की निष्पक्ष रूप से जांच की जाती है और यह स्थापित किया जाता है कि हस्तांतरणकर्ता या पिछले मालिक, जैसा भी मामला है

हो सकता है कि हस्तांतरण या विभाजन के मामले में, क्रमशः, नियत दिन पर संपत्ति को बनाए रखना जारी रखा जाए, इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। [पैरा 59] [976-जी-एच; 977-ए]

2.2 यह व्याख्या कि विधानमंडल मौजूदा कानून को जानता है और यह कि विधानमंडल शब्दों को बर्बाद नहीं करता है और आगे यह कि एक व्याख्या जो एक ओर, क़ानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाती है, और उतनी ही महत्वपूर्ण रूप से, एक है, जिसे संविधि की साधारण भाषा वहन करने में सक्षम है, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने के लिए राजी करेगी कि कलेक्टर के पास, जब अधिनियम की धारा 18 के तहत जांच के दौरान, यह दिखाने के लिए सामग्री है कि एक प्रत्यक्ष हस्तांतरण या विभाजन एक दिखावा के अलावा और कुछ नहीं है और एक व्यक्ति या परिवार का सदस्य प्रारंभ के दिन के रूप में भूमि पर कब्जा करना जारी रखता है, तो अधिनियम के अधिदेश के अनुसार कार्य करना और गणना करने के उद्देश्य से भूमि को शामिल करना उसकी शक्तियों के भीतर होगा।

छत की सीमा। [पैरा 60] [977-सी-ई]

उसके पास किसी भी दस्तावेज़ को पेश करने के लिए मजबूर करने की शक्ति भी है। यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या कोई दस्तावेज़ एक सांठगांठ, धोखाधड़ी या नकली लेनदेन है, वास्तव में यह तर्क दिया जाएगा कि ऐसा निर्णय लेने वाला प्राधिकरण गवाहों के बयान के रूप में प्रासंगिक साक्ष्य पर विचार करने की स्थिति में होना चाहिए और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन भी करना चाहिए जो मामले पर प्रकाश डाल सकता है। इस तरह की शक्तियां स्पष्ट रूप से कलेक्टर को प्रदान की जाती हैं और शक्तियां वही हैं जो इस संबंध में दीवानी अदालत को प्राप्त होती हैं। [पैरा 61] [977-जी-एच; 978-ए-बी] 3.1 अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह है कि विभाजन पर इस आधार पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है कि

बेटियों को आवंटित किया गया जब प्रचलित कानून के तहत बेटियों को हिस्से का कोई अधिकार नहीं था। अगर कोई भी [2019] 11 एस. सी. आर.

उक्त विभाजन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यह केवल प्रभावित होगा पार्टियाँ, अर्थात। , वे व्यक्ति जो विभाजन में वैध रूप से हिस्से के हकदार हैं। यह कहना एक बात है कि एक शेयरधारक जिसके शेयर हैं

प्रभावित हो सकता है, उपयुक्त मंच पर इस पर सवाल उठा सकता है। हालाँकि, यह कहना बहुत दूर की बात है कि अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकरण, जब उसके सामने सबूत होता है, जो लेन-देन को एक नकली या सांठगांठ वाला मामला होने की ओर इशारा करता है, तो उसे ऐसा करने से अक्षम कर दिया जाता है। यदि कोई इस आधार पर आगे बढ़ता है कि लेन-देन नकली था, तो जिन व्यक्तियों को नकली लेन-देन से लाभ होगा, वे अन्य हिस्सेदार होंगे। इस मामले के तथ्यों में, अर्थात। , पिता, पत्नी और बेटा। यही कारण है कि यह निष्कर्ष में निहित है कि

धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत विचार किया गया, निस्संदेह, धारा 8 में परिभाषित एक हस्तांतरण है, जो एक वास्तविक लेनदेन है। धोखाधड़ी वाला लेन-देन या छल लेन-देन यदि 26.09.1970 से पहले किया जाता है, तो

26.09.1970 में या उसके बाद प्रभावी। इसका मतलब यह नहीं है कि ए लेन-देन जो विशेष रूप से अधिनियम के लागू होने के बाद किया जाता है, चाहे वह हस्तांतरण हो या विभाजन, और यदि कोई सामग्री है विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग।

और परिस्थितियाँ सामने आईं, जो अधिकारियों को यह मानने के लिए राजी करती हैं कि यह सांठगांठ या एक नकली लेनदेन और संपत्ति है

हाथ नहीं बदले, संपत्ति को पिछले मालिक द्वारा रखे गए रूप में नहीं माना जाएगा जैसा कि

शुरुआत का दिन और खाते में शामिल होने के बावजूद कथित स्थानांतरण या विभाजन। [पैरा 68] [980-ई-एच; 981-ए-बी]

4. दोनों दलों के बीच साझा की जाने वाली साझेदारी प्राकृतिक और शर्मनाक थी 4.1 विभाजन इस कारण से अप्राकृतिक था कि मौजूदा हिंदू कानून के तहत, बेटियां हिस्से की हकदार नहीं थीं।

विभाजन को अप्राकृतिक मानने का एक अन्य कारण यह है कि वीजेके की पत्नी एक हिस्से के विभाजन पर कानूनी रूप से हकदार थी, लेकिन उसे कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। आगे की खोज यह है कि वीजेके ने भूमि की प्रभावी खेती जारी रखी, और इस संबंध में,

अधिकारों के अभिलेख पर भरोसा किया गया था। [पैरा 69] [981-ई; 982-ई-एफ]

4.2 मौजूदा कानून के तहत, महिलाएं सह-खरीददार नहीं थीं।

एक पत्नी विभाजन की मांग नहीं कर सकती थी। महिलाएं विभाजन लागू नहीं कर सकती थीं। यह एक अधिकार था जो पुरुषों को दिया गया था। इसके अलावा, विभाजन उस संपत्ति का हो सकता है जो पहले संयुक्त रूप से आयोजित की जाती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता के पास मिताक्षर कानून के तहत विभाजन करने की शक्ति थी, भले ही बेटे इसके लिए सहमत न हों। [पारस 72-73,75,77] [984-G; 985-B-G; 986-G]

महाराष्ट्र राज्य बनाम। नारायण राव शाम राव देशमुख और अन्य एआईआर 1985 एससी 716: [1985] 3

एस. सी. आर. 358 निर्दिष्ट है।

मेयने का हिंदू कानून और उपयोग-संदर्भित

5. एक हिंदू द्वारा अपने पति को उपहार देने से संबंधित कानून

5.1 एक संयुक्त हिंदू परिवार में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते थे। लेकिन, एक संयुक्त हिंदू परिवार को समझा जा सकता था।

व्यक्तियों का एक संकीर्ण निकाय होना जो एक का गठन करता है

सह सहभागी। सह-भागीदार, समय के प्रासंगिक बिंदु पर, इसमें पुरुष शामिल थे, अर्थात। , बेटा, पोता और परपोते। वे ऐसे व्यक्ति थे जो विभाजन की मांग करने के हकदार थे। ए.

विभाजन में अलग आनंद शामिल है और जो पहले संयुक्त रूप से आयोजित संपत्ति थी। एक हिंदू की पत्नी जबकि सह-भागीदार नहीं [2019] 11 एस. सी. आर.

एक ऐसा व्यक्ति था जो विभाजन में हिस्से का हकदार था। लेकिन जब विभाजन हुआ तब भी एक व्यक्ति की बेटी वह व्यक्ति नहीं था जो किसी भी हिस्से का हकदार था। [पैरा 80] [991 डी-ई]

321 स्वीकृत किया गया। अन्नामलाई अम्मल बनाम। सुंदराथम्मल और अन्य 1953 ए. आई. आर. मद्रास 404; गुरम्मा भर्तार चनबसप्पा देशमुख और अन्य बनाम। मल्लप्पा चनबसप्पा और

एक और ए. आई. आर 1964 एस. सी. 510: [1964] एससीआर 497 -

संदर्भित किया गया।

5.2 विभाजन विलेख की शर्तें निर्धारित की गई हैं। विभाजन विलेख में पहली बात जो एक उल्लेखनीय विशेषता है वह है

वी. जे. के. की पत्नी का बहिष्कार। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें 60 का उपहार दिया गया था

और दिनांकित उपहार विलेख द्वारा विषम एकड़ 20.1.1955। हालाँकि, जब परिवार का विभाजन हुआ, तो उसका अधिकार जारी रह सकता है। यदि हिंदू कानून के तहत पत्नी, जब विभाजन किया जाता है, एक हिस्से की हकदार थी, तो यह तथ्य कि उसे कोई हिस्सा नहीं दिया गया है, संदेह पैदा करता है। पिता को 32 एकड़ जमीन मिली। बेटे को 30 एकड़ जमीन दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन बेटियों का कोई अधिकार नहीं था, उन्हें कुल 45 एकड़ और 35 एकड़ जमीन दी जाती है। बेटियों को मिलकर बेटे के हिस्से का डेढ़ गुना हिस्सा मिला। पत्नी को दी गई कोई भी संपत्ति अधिकतम सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से परिवार के खाते में शामिल की जानी चाहिए थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय पारिवारिक इकाई की कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में परिवार अधिकतम सीमा के अधीन था। बड़ी बेटियाँ क्रमशः 14 वर्ष और 11 वर्ष की थीं। वास्तव में बेटा केवल 4 साल का था और सबसे छोटी बेटी 8 साल की थी। विभाजन विलेख में यह बयान कि दोनों पक्ष संयुक्त रूप से अपनी संपत्तियों का उपयोग कर रहे हैं, संदिग्ध है क्योंकि किसी भी बेटी का संपत्तियों में कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इस प्रकार, वे परिस्थितियाँ जो दस्तावेज़ के खिलाफ खड़ी होती हैं, अर्थात् विभाजन एक वास्तविक लेन-देन होने के कारणः बच्चों की आयु 4,8,11 और 14 वर्ष है; वीजेके की पत्नी को कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा है; बच्चों का प्रतिनिधित्व उनके विठ्ठल जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर द्वारा किया जा रहा है।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग।

दादा एक अभिभावक के रूप में जब माता-पिता जीवित होते हैं। जब उस समय हिंदू अविभाजित परिवार के विभाजन में बेटियों को भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था, तब बेटियों को अंशों का आवंटन। कुल 106 एकड़ में से 45 एकड़ और 35 एकड़ को 'छोटा' या 'उचित' नहीं माना जा सकता है। हालांकि यह सच हो सकता है कि 1994 के बाद, एक हिंदू बेटी

महाराष्ट्र को अनुभाग द्वारा सह-भागीदार के रूप में मान्यता दी गई थी 29 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का ए और इस तरह के हिस्से का हकदार, ऐसा अधिकार 1970 में मौजूद नहीं था जब विभाजन किया गया था। [पैरा 83] [993-डी-एफ-एच; 994-ए-ई]

6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक हिंदू के लिए अपनी बेटी को एक छोटा सा हिस्सा या उचित हिस्सा उपहार में देना खुला था। वास्तव में,

एक विचारधारा है कि भले ही इसे विभाजन के रूप में शैलीबद्ध किया गया हो, लेकिन इसे पहले से मौजूद अधिकार के अभाव में एक उपहार माना जा सकता है। इस मामले में सवाल यह नहीं है कि क्या वीजेके द्वारा अपनी बड़ी बेटियों को उपहार वैध रूप से दिया जा सकता था या नहीं। इसका उपहार होने का कोई मामला न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष या इस न्यायालय के समक्ष स्थापित नहीं किया गया है। अधिनियम के तहत 'परिवार के सदस्य' की परिभाषा में आश्रित बेटियाँ शामिल थीं। ऐसा कोई मामला नहीं है कि संपत्ति वीजेके की अलग संपत्ति थी। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि संपत्ति एक पैतृक संपत्ति थी जिसे उन्होंने अर्जित किया था। उनके और उनके पिता के बीच पहले के विभाजन की शर्तें। [पारस 84-85,88] [994-E-H; 996-D]

पोटी लक्ष्मी पेरुमल्लू बनाम। पोटी कृष्णवेनम्मा ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 825: [1965] एस. सी. आर. 26; मेड कौडा और ओआरएस। वी. चेन गौडा और ओआरएस। ए. आई. आर. 1925 मद्रास 1174; पोन्नू और एक अन्य वी। तालुक भूमि बोर्ड, चित्तूर और

अन्य (1981) के. एल. टी. 780-संदर्भित।

7.1 न्यायाधिकरण ने नोट किया कि 1970 में विभाजन की तारीख पर बड़ी बेटियाँ 14 और साढ़े बारह वर्ष की थीं। वीजेके मालिक बना रहा क्योंकि शीर्षक कानूनी रूप से वैध साधन द्वारा पारित नहीं किया गया है। यह आगे कहा गया है कि बेटे का नाम 1972 से 1975 की अवधि के लिए फसल रजिस्टर में निवासी के रूप में दर्ज है। सबसे बड़ी बेटी 03.11.1973 पर बड़ी हो गई, फिर भी उसे नाबालिग के रूप में दिखाया गया है और उसके पिता को उसकी ओर से रहने वाले के रूप में दिखाया गया है। वर्ष 1974-1975 के लिए, ध्यान देने वाली अगली विशेषता यह है कि सबसे बड़ी बेटी को अपने पिता के साथ रहने वाले के रूप में दिखाया जाना है। हालाँकि, उसे अपने अभिभावक [2019] 11 एस. सी. आर. के माध्यम से दिखाया गया है।

जिसे उसके दादा के रूप में दिखाया गया है। वर्ष 1975-1976 के लिए, उसे अभिभावक दादा के माध्यम से रहने वाले के रूप में दिखाया गया है। वह बहुत पहले मेजर हो गई थीं। वीजेके का नाम जो पिछले वर्ष था, हटा दिया गया है। [पारस 92,95,96] [997-डी ई; 999-बी; 1000-बी]

7.2 यह निस्संदेह सच है कि न्यायाधिकरण के समक्ष अपील वीजेके, उनकी पत्नी, बेटे और सबसे छोटी बेटी द्वारा दायर की गई थी। बड़ी बेटियों के लिए विभाजन में उन्हें आवंटित संपत्तियों के रूप में पारित आदेश को चुनौती देने का कोई अवसर नहीं था

31.1.1970 दिनांकित विलेख को बाहर रखा गया था। ऐसी ही एक अपील में सरकार ने एक क्रॉस आपत्ति दायर की। निस्संदेह, क्रॉस

अधिनियम की धारा 33 के स्पष्ट प्रावधानों के साथ-साथ आदेश 41 नियम 22 सी. पी. सी. के तहत भी आपत्ति कायम रखी जा सकती थी, जिसे अधिनियम की धारा 33 के तहत भी लागू किया गया था। कानून में यह सच है कि यदि एक क्रॉस आपत्ति रखी जाती है, तो व्यक्ति

क्रॉस आपत्ति में एक आदेश से प्रभावित होना पार्टी सरणी पर होना चाहिए। यदि वह पक्षकार समूह में नहीं है, तो अपील में प्रत्यर्थी पर यह दायित्व है कि वह ऐसे व्यक्ति को पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए किसी गैर-पक्षकार के खिलाफ प्रति-आपत्ति बनाए रखे। यह आदेश

न्यायाधिकरण को वीजेके और उनकी पत्नी ने केवल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में 3 और 4 अपीलार्थियों को ऐसी रिट याचिका में प्रतिवादी बनाया गया था। यह सच है कि बड़ी बेटियाँ भी बनती थीं। उत्तरदाताओं। वीजेके और उनकी पत्नी ने बड़ी बेटियों के प्रतिनिधियों के रूप में भी रिट याचिका पर मुकदमा नहीं चलाया। न्यायाधिकरण द्वारा विभाजन विलेख और उपहार विलेख के संबंध में निष्कर्ष

उन्होंने एक ओर वीजेके और उनकी पत्नी दोनों को प्रभावित किया और दूसरी ओर बड़ी बेटियों को भी प्रभावित किया। परिवार इकाई का अधिकतम सीमा लेखा बड़ी बेटियों को आवंटित 31 एकड़ को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया था। वीजेके दो अलग-अलग क्षेत्रों में प्रभावित होगा। क्षमताएँ। एक परिवार इकाई के प्रमुख के रूप में और दूसरा बड़ी बेटियों के पिता के रूप में। [पारस 99-101] [1000-F-H; 1001-A-D]

8.1 हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के तहत,

धारा 6 घोषणा करती है कि हिंदू नाबालिग का स्वाभाविक संरक्षक कौन होगा। हिंदू अल्पसंख्यक की धारा 6 का अवलोकन और

संरक्षकता अधिनियम से पता चलेगा कि अविवाहित लड़की के मामले में, पिता और पिता के बाद माँ स्वाभाविक विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर होंगे।

संरक्षक। यह नाबालिग के व्यक्ति और नाबालिग की संपत्ति दोनों के संबंध में है। जब रिट याचिका दायर की गई थी, तो सबसे बड़ी बेटी स्पष्ट रूप से बालिग थी और शादीशुदा थी। दूसरा।

बेटी भी मेजर थी। राज्य यह तर्क देगा कि 31.1.1970 दिनांकित विभाजन एक दिखावा था और वीजेके ने इसे जारी रखा।

न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी। विभाजन के संबंध में प्रति आक्षेप की अनुमति देने से पहले न्यायाधिकरण ने अन्य अपीलार्थियों के साथ उन्हें पक्षकारों के रूप में सुना था। यह आधार कि उनकी बड़ी बेटियों को अवसर दिए बिना क्रॉस आपत्ति की अनुमति दी गई थी, वीजेके या उनकी पत्नी के लिए उपलब्ध नहीं था। एक बार फिर, रिट याचिका केवल वीजेके और उनकी पत्नी द्वारा दायर की गई है। हालाँकि बड़ी बेटियाँ मेजर थीं, लेकिन उन्होंने न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती नहीं दी। शायद यह सच है कि वे अपने माता-पिता द्वारा दायर रिट याचिका में प्रतिवादी थे। एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका खारिज करने के बाद भी, न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए, बड़ी बेटियों द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी। [पारस 102-104] [1001-D; 1002-B-G]

8.2 अगर वास्तव में बड़ी बेटियों ने अधिकार हासिल कर लिया था

और विभाजन विलेख के तहत 31 एकड़ से अधिक की सीमा के संबंध में अधिकार और अपने बीच में विषम एकड़ भूमि के संबंध में, यह किसी की समझ से परे है कि वे उस आदेश को चुनौती नहीं देंगे जो उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए कथित है। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों का यह आचरण राज्य के मामले में यह आश्वासन देता है कि विभाजन एक वास्तविक लेन-देन नहीं था, बल्कि एक ढोंग था और संपत्ति वीजेके के साथ जारी रही, इस मामले में यह वीजेके द्वारा प्रारंभ की तारीख को भी रखी गई संपत्ति होगी, जिसका अर्थ है कि यह परिवार इकाई के खाते में शामिल होने के लिए उत्तरदायी होगी।

उन्होंने

तदनुसार [2019] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण के आदेश को उसकी पत्नी के साथ चुनौती दी, जो उसे उपहार में मिली संपत्ति को शामिल करने से अलग से व्यथित थी। [पैरा 105] [1002-एच; 1003-ए]

9. रिट याचिका विभाजन का मुकदमा नहीं है। एक विभाजन मुकदमे में, वादी के अलावा, प्रतिवादी भी जूते में खड़े थे

एक वादी का। वी. जे. के. का तब भी निधन हो गया जब उच्च न्यायालय में अपील लंबित थी। मूल रूप से एक विशेष अनुमति याचिका के रूप में इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी। विशेष अनुमति याचिका में, इसे एल. आर. के माध्यम से वी. जे. के. (अब मृत) दिखाया गया है और याचिकाकर्ताओं के नाम दिखाए गए हैं। बड़ी बेटियाँ थीं

विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 और अनुमति दिए जाने पर, वे अपीलार्थी 1 और 2 के रूप में पक्षकार श्रेणी में हैं। लेकिन वे इस न्यायालय के समक्ष केवल वीजेके के कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में हैं जिन्होंने रिट याचिका दायर की और अपनी पत्नी के साथ अपील की। इसलिए जो सामग्री केवल वीजेके के लिए उपलब्ध थी, वे उनके लिए उपलब्ध होगी। [पैरा 106] [1003-सी-एफ]

जगदीश चंदर चटर्जी और अन्य बनाम। श्री श्री

किशन और दूसरा (1972) 2 एस. सी. सी. 461: [1973] 1 एस. सी. आर. 850; ताहेराखातून (डी) एल. आर. एस. द्वारा। वी. सलाम्बिन

मोहम्मद (1999) 2 एससीसी 635: [1992] 2 एससीआर 210 -

पर भरोसा किया।

भगवानदास हेडा और अन्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य 1983 एम. एच. एल. जे. 825; उत्तर चंद (मृत) एल. आर. एस. वी. महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य आकाशवाणी 1980 एससी 806 [1980] 2 एससीआर 1048; कुंडोमल गंगा राम

वी. टोपाल छोटामल एयर 1953 अल्लाहाबद 710; मालिरेड्डी वेंकटपति और अन्य बनाम। मालिरेड्डी

वीरय्या और अन्य 1943 ए. आई. आर. मद्रास 609; बिहार

प्रतिरक्षा कंपनी लिमिटेड v. बिहार राज्य और अन्य

[1955] 2 एस. सी. आर. 603; आय आयुक्त-कर बनाम। बॉम्बे सिटी I, बॉम्बे बनाम। अमरचंद एन. श्रॉफ अपने उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1448: [1963] पूरक। एससीआर 699; आयकर आयुक्त,

कानपुर बनाम। भारत माता प्रशीतन उद्योग

(पी) लिमिटेड (1985) 4 एससीसी 1: [1985] 2 पूरक। एस. सी. आर. 556; बिजेंद्र सिंह बनाम। हरियाणा राज्य और दूसरा (2005) 3 एस. सी. सी. 685: [2005] 2 एस. सी. आर. 1131; आयकर आयुक्त, दिल्ली बनाम।

एस. तेजा सिंह एयर 1959 एससी 352 विठ्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग।

और अन्य वी। कुथिरावट्टम एस्टेट रिसीवर (1996) 6 एस. सी. सी. 185 [1996] 5 पूरक। एस. सी. आर. 813 निर्दिष्ट है।

मामला कानून संदर्भ

संजय किशन कौल के निर्णय में, जे.

[2007] 2 एससीआर 990

संदर्भित किया गया है

पैरा

19

[1964] एससीआर 371

संदर्भित किया गया है

पैरा

19

[1974] 3 एससीआर 896

उस पर भरोसा करें

पैरा

21

[1955] 2 एससीआर 603

उस पर भरोसा करें

पैरा

21

[1996] 5 पूरक। एससीआर 813

उस पर भरोसा करें

पैरा

25

[2002] 2 एससीआर 512

उस पर भरोसा करें

पैरा

26

[1980] 2 एससीआर 1048

उस पर भरोसा करें

पैरा

27

[1963] पूरक। एससीआर 676

उस पर भरोसा करें

पैरा

28

[1964] 4 एससीआर 497

उस पर भरोसा करें

पैरा

28

[2003] 6 पूरक। एससीआर 605

उस पर भरोसा करें

पैरा

32

[1996] 3 एससीआर 1100

उस पर भरोसा करें

पैरा

39

के. एम. जोसेफ के निर्णय में, जे.

[1980] 2 एससीआर 1048

पैरा

20

संदर्भित किया गया है

[1955] 2 एससीआर 603

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

[1963] पूरक। एससीआर 699

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

[1985] 2 पूरक। एससीआर 556

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

[2005] 2 एससीआर 1131

पैरा

25

संदर्भित किया गया है

[1959] पूरक। एससीआर 39

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[1996] 5 पूरक। एससीआर 813

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[1956] एससीआर 691

संदर्भित किया गया है

पैरा

57

[1964] एससीआर 191

संदर्भित किया गया है

पैरा

58

[1985] 3 एससीआर 358

संदर्भित किया गया है

पैरा

72

[1964] एससीआर 497

संदर्भित किया गया है

पैरा

79

[1965] एससीआर 26

संदर्भित किया गया है

पैरा

85

[1973] 1 एससीआर 850

उस पर भरोसा करें

पैरा

106

[1992] 2 एससीआर 210

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6006

2009 से।

1991 के एल. पी. ए. सं. 3 में बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 1 से

कृष्णन वेणुगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आदर्श त्रिपाठी, अनीश गुप्ता, अजय कुमार तलेसरा, एड. अपीलार्थियों के लिए। निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अनूप कंदारी, निशांत शर्मा, सुश्री दीपा कुलकर्णी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय के निर्णय/आदेश उनके द्वारा दिए गए/पारित किए गए थे

संजय किशन कौल, जे।

1. बड़ी भूमिहीन गरीब आबादी के साथ असंसदीय रूप से गठित भारतीय राज्य के समाजवादी एजेंडे को अन्य बातों के साथ-साथ कई राज्य कानूनों द्वारा कृषि भूमि के पुनः वितरण के लिए एक अधिकतम सीमा निर्धारित करके और फिर इसे भूमिहीन गरीबों को आवंटित करके बढ़ावा दिया गया था। हम यहाँ महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम सीमा धारक) अधिनियम 1961 (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) से संबंधित हैं। उक्त अधिनियम में कई संशोधनों को भी शामिल किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खामियों को दूर करने का पहलू है, जिसके तहत अधिकतम सीमा से अधिक भूमि रखने वाले मालिकों को यह करना होगा कि वे विभिन्न पहलुओं को ठीक करें।

किसी तरह इसे परिवार के बीच फिर से वितरित करने का प्रयास करें ताकि इसे अधिकतम सीमा के भीतर लाया जा सके, या कम से कम, अतिरिक्त भूमि को कम किया जा सके। उक्त अधिनियम के उद्देश्य को इसकी प्रस्तावना से अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जो इस प्रकार हैः

" महाराष्ट्र राज्य में कृषि भूमि के धारण पर अधिकतम सीमा (या अधिकतम सीमा) अधिरोपित करने के लिए एक अधिनियम; ऐसी अधिकतम सीमा से अधिक भूमि के अधिग्रहण और वितरण का प्रावधान करने के लिए; यह प्रावधान करने के लिए कि उपक्रमों से ली गई भूमि और जिसकी अखंडता को कॉम्पैक्ट ब्लॉकों में बनाए रखा जाता है, ताकि कृषि के लिए भूमि का पूर्ण और कुशल उपयोग और निगमों के माध्यम से इसका कुशल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

(क) राज्य द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित कंपनी, ऐसे निगमों या कंपनी को प्रदान की जाए; और इससे जुड़े मामलों के लिए

उपरोक्त उद्देश्य "

2. उक्त अधिनियम के अध्याय III ने हस्तांतरण और अधिग्रहण और उल्लंघन के परिणामों को प्रतिबंधित करने के प्रावधान किए। प्रासंगिक

अध्याय में आने वाले खंडों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

अलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। राज्य महाराष्ट्र राजस्व और वन विभाग। [संजय किशन कौल, जे।]

इकाई, उस तारीख को और उसके बाद, किसी भी भूमि का हस्तांतरण नहीं करेगी, जब तक कि इस अधिनियम के तहत अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि का निर्धारण नहीं किया जाता है। व्याख्याः - इस धारा में, "हस्तांतरण" का अर्थ है हस्तांतरण, चाहे बिक्री, उपहार, कब्जे के साथ बंधक, विनिमय, पट्टा, रखरखाव के लिए भूमि का आवंटन, किसी मकान मालिक द्वारा किरायेदारी का समर्पण या भूमि को फिर से शुरू करना या कोई अन्य स्वभाव, चाहे वह पक्षों के कार्य द्वारा हो या किसी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण की डिक्री या आदेश द्वारा (सिवाय इसके कि जहां ऐसी डिक्री या आदेश ऐसे न्यायालय में स्थापित की गई कार्यवाही में पारित किया जाता है)।

न्यायाधिकरण या 26 सितंबर, 1970 से पहले ऐसे प्राधिकरण के समक्ष), लेकिन इसमें भूमि राजस्व की वसूली के लिए या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य राशियों के लिए या उस समय लागू किसी कानून के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि की बिक्री या अन्यथा हस्तांतरण शामिल नहीं है।

.....

धारा 10 भूमि के कुछ हस्तांतरण और अधिग्रहण के परिणाम

(1) अगर -

(क) 26 वें दिन के बाद कोई भी व्यक्ति या परिवार इकाई का सदस्य सितंबर, 1970 का लेकिन प्रारंभ की तारीख से पहले, संशोधन अधिनियम, 1972 के उद्देश्य से बचने या उसे विफल करने के लिए किसी भी भूमि का हस्तांतरण, या

इस प्रकार गणना किया गया क्षेत्र उस स्वामित्व के लिए अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक माना जाएगा, भले ही उसके पास या परिवार इकाई के पास शेष भूमि वास्तव में अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक न हो। यदि इस तरह के हस्तांतरण के कारण, किसी व्यक्ति की, या जैसा भी मामला हो, पारिवारिक इकाई की हिस्सेदारी इस प्रकार गणना किए गए क्षेत्र [2019] 11 एस. सी. आर. से कम है।

अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक होने के लिए, तब व्यक्ति की सारी भूमि, या यथास्थिति, पारिवारिक इकाई को अधिशेष भूमि माना जाएगा; और इस प्रकार हस्तांतरित और हस्तांतरणकर्ता के कब्जे वाली भूमि में से [जब तक कि ऐसी भूमि उप-धारा (3) के प्रावधानों के तहत ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं है], ऐसी कमी की सीमा तक भूमि को भी अधिशेष भूमि माना जाएगा, उस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, इसके बावजूद कि हस्तांतरणकर्ता का अधिकार वास्तव में अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक नहीं हो सकता है।

स्पष्टीकरण-खंड (क) के प्रयोजनों के लिए 'हस्तांतरण' का वही अर्थ है जो धारा 8 में है।

26 सितंबर, 1970 के बाद, लेकिन प्रारंभ की तारीख से पहले किए गए सभी हस्तांतरणों को (जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो) संशोधन अधिनियम, 1972 के उद्देश्य से बचने या उसे विफल करने के लिए किया गया माना जाएगा।

(2) यदि प्रारंभ की तारीख को या उसके बाद किसी व्यक्ति के पास, या जैसा भी मामला हो, अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक पारिवारिक इकाई के कब्जे में है, या यदि उस तारीख को या उसके बाद किसी भूमि के अधिग्रहण (वसीयती स्वभाव, या मृत्यु पर हस्तांतरण, या कानून के संचालन द्वारा) के परिणामस्वरूप, किसी व्यक्ति के कब्जे में भूमि का कुल क्षेत्र व्यक्ति, या, यथास्थिति, एक परिवार इकाई, अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक है, तो इस प्रकार अधिक भूमि अधिशेष भूमि होगी।

(3) जहां धारा 9 का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके लिए दंड के रूप में, व्यक्ति या, जैसा भी मामला हो, परिवार इकाई या किसी सदस्य का अधिकार, स्वामित्व और हित। इस प्रकार अर्जित या प्राप्त की गई भूमि में, अध्याय IV के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जब्त कर ली जाएगी, और बिना किसी आश्वासन के राज्य सरकार में निहित होगीः

बशर्ते कि, जहां ऐसी भूमि पर बोझ है, कलेक्टर ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे और धारक और उस व्यक्ति को सुनने के बाद, जिसके पक्ष में उसके द्वारा बोझ डाला गया है, निर्देश दे सकता है कि धारक की किसी अन्य भूमि में धारक का अधिकार, स्वामित्व और हित विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टी. एच. आर. में बराबर है।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [संजय किशन कौल, जे।]

धारा 9 के जानबूझकर उल्लंघन में अधिग्रहित भूमि तक,

सरकार को ज़ब्त कर दिया जाएगा।

धारा 11 विभाजन पर प्रतिबंध

और तदनुसार उसकी उपेक्षा की जाएगी, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे विभाजन के अंतर्गत आने वाली किसी भी भूमि को - परिवार द्वारा धारित भूमि और परिवार द्वारा धारित भूमि में प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से की सीमा को धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सीमा क्षेत्र की गणना करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

व्याख्याः - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'विभाजन' का अर्थ है पक्षों के कार्य द्वारा भूमि का कोई विभाजन, और

इसमें किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण की डिक्री या आदेश द्वारा किया गया विभाजन भी शामिल है। ”

3. उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि 1972 के संशोधन अधिनियम द्वारा किसी भी लेन-देन या हस्तांतरण, लेनदेन के लिए 'आईडी1' की कट ऑफ तिथि का प्रावधान करके एक काल्पनिक कथा (जिसके द्वारा पूर्व तिथि से किए गए 'आईडी1' के हस्तांतरण को एक प्रामाणिक लेनदेन के अलावा अन्य तरीके से रद्द करने की मांग की जाती है) बनाने की कोशिश की जाती है।

1972 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने के लिए, जिस तारीख के बाद पूर्वानुमेयता में स्थानांतरण माना जा रहा है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यह केवल 1975 के संशोधन अधिनियम द्वारा है कि शुरुआत की तारीख 2.10.1975 के रूप में निर्दिष्ट की गई थी। इस प्रकार, जबकि आम तौर पर कानून के सभी प्रासंगिक प्रावधान, 2.10.1975 से लागू होने के बाद, प्रावधान उस तारीख से लागू हुए होंगे, यानी 2.10.1975,26.9.1970 से प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के लिए एक कानूनी कल्पना बनाई गई थी। प्रस्तुतियों से यह प्रतीत होता है कि जैसा कि कानून पर बहस हुई है और इसमें किया गया है

कुछ समय के लिए विचार करते हुए, संशोधनों की प्रत्याशा में, समय की इस अवधि के दौरान लेनदेन की आशंका का उपरोक्त प्रावधानों द्वारा ध्यान रखा गया था।

4. तथ्यात्मक मैट्रिक्स की जांच उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में की जानी चाहिए, और वर्तमान अपील में हम व्यावहारिक रूप से हैं एक दस्तावेज से संबंधित, जो विभाजन विलेख दिनांकित [2019] 11 एस. सी. आर. है।

31.1.1970 , जो विधिवत पंजीकृत किया गया है, अर्थात, दस्तावेज़ और उसका पंजीकरण दोनों निर्विवाद रूप से 26.9.1970 की कट-ऑफ तिथि से पहले हैं।

5. विभाजन विलेख को पांच पक्षों स्वर्गीय श्री विठ्ठलदास जगन्नाथ खत्री और उनके तत्कालीन नाबालिग बेटे और तीन नाबालिग बेटियों के बीच निष्पादित किया गया है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि दो नाबालिग बेटियाँ शुरू होने की तारीख से पहले ही बालिग हो गई थीं। 2.10.1975 , हालाँकि वे 26.9.1970 पर प्रमुख नहीं थे। इस दस्तावेज़ के संदर्भ में, हिंदू अविभाजित परिवार ('एचयूएफ') की कृषि भूमि को एचयूएफ के हिस्से के रूप में सभी पक्षों का उल्लेख करके विभाजित करने की मांग की गई है। भूमि का संयुक्त रूप से उपयोग करने के लिए कहा गया था और भूमि में हिस्सेदारी दोनों को दी गई थी, नाबालिग बेटे और बेटियों ने कहाः

..... पार्टी नंबर 2 से 5 1 तक को शिक्षा लेनी होगी और यह देखना होगा कि उनमें से प्रत्येक इसे स्वतंत्र रूप से ले और खर्चों का प्रावधान करे

इसलिए और यह देखने के लिए कि उनमें से प्रत्येक खर्चों को पूरा करेगा उनकी अपनी संपत्ति से और भविष्य में उनके बीच कोई विवाद नहीं हुआ, इसलिए हम निष्पादन कर रहे हैं और अपने पास रख रहे हैं

विभाजन का यह विलेख। "

6. उपरोक्त पाठ को निर्धारित करने के बाद, संपत्ति

प्रत्येक पक्ष का उल्लेख किया गया है और पोस्ट किया गया है कि, हस्ताक्षर से पहले, यह आगे निम्नानुसार कहा गया हैः

" इस तरह हमने संपत्ति का विभाजन कर दिया है, पक्ष के हिस्से में आने वाली संपत्ति ने उसका कब्जा ले लिया है और उसका पूरा मालिक बन गया है। अब किसी को भी दूसरों की संपत्ति की चिंता नहीं है। शिक्षा और विवाह के उद्देश्य के लिए हम में से पक्ष संख्या 2 से 5 तक और अपने परिवार के लाभ के लिए और सफल भविष्य के लिए, हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा और विचार से इस 31 जनवरी 1970 के दिन विभाजन के विलेख को निष्पादित और रखा।

7. हम यह भी देख सकते हैं कि पूर्व में किए गए विभाजन विलेख के कारण उपरोक्त विभाजन विलेख की प्रस्तावना विठ्ठलदास और उनके पिता जगन्नाथ, 20.1.1955 पर, जब विठ्ठलदास की पत्नी के पक्ष में जगन्नाथ द्वारा एक उपहार विलेख के माध्यम से एक अलग प्रावधान भी किया गया था।

8. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने पर अधिशेष भूमि वितरण न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'एस. एल. डी. टी.') की स्थापना की गई।

वापसी के संबंध में स्वतः संज्ञान शक्तियों के प्रयोग में कार्यवाही

1 विट्ठलदास विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर के बच्चे। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [संजय किशन कौल, जे।]

महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण, बॉम्बे बेंच, नागपुर के समक्ष हमला किया गया, जिसने 16.2.1977 पर अपील को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विट्ठलदास द्वारा बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ के समक्ष कार्यवाही दायर की जा रही है। दिनांक 1 के आदेश के संदर्भ में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के विद्वान एकल न्यायाधीश ने विट्ठलदास और अन्य लोगों को अपना मामला पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं करने के आधार पर मामले को नए सिरे से जांच के लिए एस. एल. डी. टी. को वापस भेज दिया।

9. रिमांड पर, एसडीओ, चिखलिया जिला, बुलढाना द्वारा 7.5.1984 पर एक नया आदेश पारित किया गया था। विट्ठलदास के आयोजन के विभिन्न पहलू

10. विट्ठलदास, उनकी पत्नी, बेटे और तीसरी बेटी बेलादेवी ने उक्त अधिनियम की धारा 33 के तहत अपील की। हालाँकि, अन्य दो नाबालिग बेटियाँ, जिन्होंने 2.10.1975 से पहले बहुमत प्राप्त कर लिया था, ने अपील दायर नहीं की क्योंकि वे स्पष्ट रूप से एसडीओ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से संतुष्ट थीं। राज्य ने एस. डी. ओ. क्यू. ए. (बी) और (सी) द्वारा भूमि के अपवर्जन को चुनौती देते हुए परस्पर आपत्तियां भी दायर कीं। चूँकि दोनों बड़ी बेटियाँ दुखी नहीं थीं, इसलिए वे अपील की कार्यवाही से पहले न तो अपीलार्थी थे और न ही प्रतिवादी। न ही राज्य ने उनकी भूमि पर क्रॉस-आपत्ति दर्ज करने के बावजूद उन्हें फंसाने का ध्यान रखा। हालाँकि, अपील अदालत ने,

अपील को खारिज कर दिया, और 3.12.1984 दिनांकित आदेश के माध्यम से क्रॉस-आपत्तियों की अनुमति दी। चूँकि दो बड़ी बेटियों की भूमि ही एकमात्र चिंता है, [2019] 11 एस. सी. आर.

इस मामले में, क्रॉस-आपत्तियों की अनुमति देने का तर्क निर्धारित किया गया है।

11. मुख्य याचिका, जिसे अपीलीय पक्ष में पाया गया

प्राधिकरण, यह था कि 31.1.1970 दिनांकित विभाजन विलेख हिंदू कानून के सिद्धांतों के खिलाफ था, जिस हद तक यह पैतृक भूमि में नाबालिग बेटियों को हिस्सा देता था। कहा जाता है कि यह भूमि भी विट्ठलदास के कब्जे में बनी रही। भले ही विभाजन विलेख 26.9.1970 की कट-ऑफ तिथि से पहले था, लेकिन यह राय दी गई थी कि दस्तावेज़ को वर्तमान मामले जैसे मामले में देखा जा सकता है, जहां संपत्ति थी।

उन दो बेटियों को बांटा गया जो हिस्से की हकदार नहीं थीं।

12. उपरोक्त अपीलीय आदेश को विट्ठलदास ने चुनौती दी थी

और उनकी पत्नी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ के समक्ष रिट कार्यवाही में, लेकिन उस याचिका को 7.9.1987 से 15/16.9.1987 की अवधि में मौखिक निर्णय के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। उन कार्यवाहियों में कुछ अन्य पहलुओं का भी आग्रह किया गया था, लेकिन वे वर्तमान अपील के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष से सहमत था कि बेटियाँ, जिनका संपत्ति में हिस्सा नहीं था, एक विभाजन विलेख उन्हें कोई ब्याज प्रदान नहीं कर सकता था, हालांकि यह 26.9.1970 की कट ऑफ तिथि से पहले था।

13. एक अंतर-अदालत अपील को प्राथमिकता दी गई थी, जिसे दिनांक 27.11.2007 के विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। डिवीजन बेंच ने इन निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त की कि विभाजन दिनांकित विभाजन विलेख के माध्यम से किया गया था

31.1.1970 यह अप्राकृतिक था क्योंकि इसने नाबालिग बेटियों की संपत्तियों को अलग-थलग कर दिया था, और यह कि बच्चे को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सका, भले ही यह 26.9.1970 की प्रासंगिक तिथि से पहले प्रभावी हो गया था।

14. डिवीजन बेंच के समक्ष अपीलकर्ताओं ने दो बड़ी बेटियों को पक्षकारों के रूप में नहीं रखे जाने का मुद्दा भी उठाने की मांग की। क्रॉस-आपत्तियाँ, भले ही उनके मौजूदा अधिकार प्रभावित हो रहे थे। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि एचयूएफ के किसी भी सदस्य ने किसी भी कारण से विभाजन विलेख पर हमला नहीं किया था। इन दलीलों को इस आधार पर भी समर्थन नहीं मिला कि यह स्वर्गीय विट्ठलदास थे जिन्होंने भूमि खोने की मांग की थी और वास्तव में, यह देखना उनके लिए था कि अपनी दो बड़ी बेटियों को अधिकार कैसे प्रदान किए जाएं। दो बड़ी बेटियों को परिवार इकाई का हिस्सा बनाया गया था।

विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [संजय किशन कौल, जे।]

15. विशेष अनुमति याचिका ('एसएलपी') केवल स्वर्गीय विट्ठलदास द्वारा अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से दायर की गई थी। दो बड़ी बेटियाँ

इस प्रकार, वर्तमान कार्यवाहियों में स्वर्गीय विट्ठलदास के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अपीलार्थी हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तरदाताओं का तर्क है कि दो बड़ी बेटियों ने केवल स्वर्गीय विट्ठलदास के स्थान पर कदम रखा, और वे अपने स्वयं के अधिकारों में कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती हैं। 31.8.2009 पर छुट्टी दी गई थी, और यथास्थिति के अंतरिम आदेश को पूरे समय जारी रखने का निर्देश दिया गया था। 23.11.2016 पर, सुनवाई के दौरान, स्पष्टता प्राप्त करने के लिए एक आदेश पारित किया गया था, कि क्या विभाजन विलेख के अनुसरण में, अधिकारों के हस्तांतरण की सूचना कभी दी गई थी

राजस्व प्राधिकरण, महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 148 और 149 के संदर्भ में। राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, अदालत के समक्ष रिकॉर्ड में भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दी थी। विभाजन विलेख के निष्पादन के बाद के घटनाक्रमों के लिए आवश्यक सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय दिया गया था।

16. अपीलार्थियों की ओर से एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया था,

मार्च, 2017 में पुष्टि की गई। संबंधित जिले के तहसील कार्यालय से रिकॉर्ड मांगने वाले अपीलार्थियों को जवाब मिला,

उन्हें सूचित किया कि 1970 से 1975 तक के रिकॉर्ड विकृत हैं। यह स्थिति और कि 1964 से 1978 की अवधि के लिए उत्परिवर्तन रजिस्टर का पता नहीं लगाया जा सकता है। गाँव मंगरुल के लिए 1970-1972 अवधि के लिए फसल विवरण उपलब्ध नहीं था, जबकि गाँव बाबुलगाँव के लिए फसल उपलब्ध नहीं थी।

सर्वेक्षण No.14 के लिए 1970-1973 अवधि के लिए विवरण उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार यह अधिसूचित किया गया कि सर्वेक्षण संख्या 12 के लिए फसल विवरण 1971-1972 अवधि के लिए उपलब्ध नहीं था। उपलब्ध कराए गए अभिलेख,

हालाँकि, यह दर्शाता है कि 1972-1976 से, सर्वेक्षण संख्या 12 के लिए, और 1973-1976 से, जैसा कि सर्वेक्षण संख्या 14 के लिए एकत्र किया गया था, दोनों बेटियों को रहने वाले के रूप में दिखाया गया था, लेकिन उनके अभिभावक के माध्यम से। यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी तरह, वयस्क होने की उम्र प्राप्त करने पर, जाहिरा तौर पर उस पहलू पर बड़ी दो बेटियों का कोई समर्थन नहीं किया गया था। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी इसी तरह की स्थिति दिखाता है।

17. प्रस्तुत दस्तावेजों से जो तस्वीर सामने आती है, वह यह है कि विभाजन विलेख के अनुसरण में, जो स्पष्ट रूप से अधिकारों के अभिलेख और फसल रजिस्टर दोनों के लिए प्रस्तुत किया गया था, दो बड़ी बेटियों के नाम दर्ज किए गए थे, हालांकि उनके अभिभावक के माध्यम से, देर से।

जगन्नाथ (दादा), क्योंकि वे संबंधित समय में नाबालिग थे,

जबकि प्रारंभ की तारीख 2.10.1975 से पहले उनके बहुमत प्राप्त करने पर संबंधित समर्थन नहीं किया गया था।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. हमने अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील श्री कृष्णन वेणुगोपाल और उनकी ओर से अधिवक्ता श्री एन. आर. कटनेश्वरकर को सुना। उत्तरदाता का-राज्य।

कल्पित कथाः

19. विचाराधीन कानून एक लाभकारी कानून है और वास्तव में, इसे व्यापक आयाम दिया जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य भूमिहीनों के बीच भूमि वितरित करना है। उपर्युक्त उद्धृत प्रस्तावना उक्त अधिनियम के उद्देश्य को निर्धारित करती है। लेकिन, यह भी उतना ही सच है कि इस तरह के विधान को व्यापक आयाम देते हुए, यह नहीं हो सकता है कि न्यायालय कानून के उद्देश्य को दर्शाते हुए अपने सादे पठन से परे क़ानून के शब्दों की व्याख्या करता है। प्रस्तावना की अपनी सीमाएँ होती हैं जहाँ तक कि इसे क़ानून की व्याख्या के लिए एक सहायता के रूप में माना जाता है। यह Act.[2] के प्रावधानों को प्रतिबंधित या विस्तारित नहीं कर सकता है इस प्रकार, प्रावधानों को पढ़ना होगा, यह देखने के लिए कि क्या कोई अस्पष्टता है, उन धाराओं के निर्माण के लिए किसी और सहायता की आवश्यकता है, या क्या वे स्पष्ट और स्पष्ट हैं अर्थ। 3.

20. अध्याय III के प्रावधानों को पढ़ने पर, जिनमें शामिल हैं -

उक्त अधिनियम की धारा 8,10 और 11 में कोई अस्पष्टता नहीं है क्योंकि उन धाराओं के अर्थ के निर्माण के लिए किसी सहायता की आवश्यकता होगी।

21. प्रारंभ की तारीख वह तारीख होगी जिससे प्रावधान लागू होंगे। हालाँकि, 1972 का संशोधन

शून्य पर सेटिंग के प्रावधान को सम्मिलित करके एक कल्पित कथा बनाई

लेन-देन जो किसी पूर्व तिथि पर हो सकते हैं, अर्थात 26.9.1970 से। परिणाम यह है कि लगभग पाँच वर्षों की इस अवधि में लेन-देन या हस्तांतरण भी अधिशेष भूमि के निर्धारण के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रावधानों से प्रभावित होंगे। इसका उद्देश्य "संदिग्ध और अप्रत्यक्ष तरीकों से अतिक्रमण को रोकना" था। 4 " यह वह है

इस न्यायालय द्वारा गुरदित सिंह बनाम में भी अपनाया गया दृष्टिकोण। पंजाब राज्य, 5 लेकिन तब इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि उस खंड पर निर्माण किया जाना चाहिए जिसे इसकी भाषा शायद ही सहन कर सकती है। गुरदित सिंह बनाम में विचाराधीन विधान। पंजाब राज्य 'पेप्सू टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल' के समान ही था।

2 रेमंड लिमिटेड बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2007) 3 एस. सी. सी. 79; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1241 3 द ससेक्स पीरेज केस (1844) 11 सीएल एंड फिन 85 (एचएल)। 4 गुरदित सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) 2 एससीसी 260

5 (ऊपर)

6 (ऊपर)

विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [संजय किशन कौल, जे।]

भूमि अधिनियम, 1955। ऐसी स्थिति को स्वीकार करना और स्वीकार करना मुश्किल होगा, जहां पिछली समय अवधि को ध्यान में रखते हुए लगाई गई सीमाओं के बावजूद, किसी भी लेनदेन पर इस तरह से हमला किया जा सकता है। विवेक में

विधायिका के अनुसार, लेनदेन की जांच के लिए पांच साल की अवधि प्रदान की गई है जिसे "संदिग्ध और अप्रत्यक्ष" कहा जा सकता है।

उक्त अधिनियम के परिणाम से बचने के तरीके। यह धारा 18 के प्रावधानों द्वारा भी प्रबलित है, जो भूमि के अधिशेष क्षेत्र के निर्धारण से संबंधित है, जहां खंड (बी) विशेष रूप से निम्नानुसार प्रदान करता हैः

" 18. (अ)

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(ख) क्या 26 तारीख से अवधि के बीच कोई भूमि हस्तांतरित की गई है।

सितंबर, 1970 का दिन और प्रारंभ की तारीख, या कोई भूमि

26 सितंबर, 1970 के बाद विभाजित, होना चाहिए

छत क्षेत्र की गणना में माना या नजरअंदाज किया गया जैसा कि प्रदान किया गया है

धारा 10 या धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा;

इस प्रकार, एक बार फिर, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भूमि हस्तांतरित की गई है।

अधिकतम सीमा क्षेत्र की गणना में अवधि 26.9.1970 और प्रारंभ तिथि (2.10.1975) के बीच की अवधि को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

22. उपरोक्त प्रावधान का प्रभाव यह है कि कोई भी भूमि, यहां तक कि

यदि यह विभाजन या अन्य हस्तांतरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो 26.9.1970 की तारीख के बाद अधिशेष भूमि की गणना के उद्देश्यों के लिए उस व्यक्ति की भूमि के रूप में शामिल किया जाएगा जिसने इसे हस्तांतरित किया था।

23. विधायिका ने भी एक और सावधानी बरती है। दूसरा।

धारा 10 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में यह भी प्रावधान है कि इस तरह के हस्तांतरण का प्रमाण देने वाले दस्तावेजों को छूट नहीं दी जाएगी यदि वे उस तारीख को या उससे पहले पंजीकृत नहीं हैं, या भले ही वे उस तारीख के बाद पंजीकृत हैं, उन्हें उस तारीख को या उससे पहले पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है। हस्तांतरण दस्तावेज़ के लिए आवश्यकता यह है कि इसे निष्पादित किया जाए और कट-ऑफ तिथि से पहले पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार, पिछली तारीख को दस्तावेज बनाकर और बाद में उन्हें पंजीकरण के लिए पेश करके भूमि सीमा से बचने की संभावना को समाप्त कर दिया जाता है।

24. धारा 11 विशेष रूप से विभाजन विलेख के बारे में बात करती है

इसी तरह और, इस प्रकार, न केवल बिक्री, उपहार, कब्जे के साथ बंधक, विनिमय, पट्टा, रखरखाव के लिए भूमि का आवंटन, किरायेदारी का समर्पण या मकान मालिक द्वारा भूमि को फिर से शुरू करने या किसी अन्य स्वभाव के हस्तांतरण को शामिल किया जाता है, यहां तक कि विभाजन विलेख के माध्यम से मार्ग को भी बंद कर दिया गया है, जब तक कि इसे [2019] 11 एस. सी. आर. से पहले निष्पादित नहीं किया गया हो।

कट-ऑफ तिथि। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में, विभाजन

विलेख को 26.9.1970 की कट-ऑफ तिथि से पहले निष्पादित किया गया था और उस तारीख से पहले भी पंजीकृत किया गया था।

कानूनी कल्पना के मुद्दे की एक बार फिर जांच की गई। वैसा ही। इस प्रस्ताव को एक बार फिर दोहराते हुए कहा गया कि एक कानूनी कल्पना

इसे उस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया है, और यह कि इसे किसी अन्य कल्पना को आयात करके विस्तारित नहीं किया जा सकता है। उस अधिनियम की धारा 4 ए के संदर्भ में, इसे एक्सप्रेस द्वारा सीमित माना गया था

शब्द-कब्जे में एक बंधकधारी को वह कहा गया था जो उस धारा के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 50 वर्षों की निरंतर अवधि के लिए उस क्षमता को धारण करता था। शब्द हैं।

" प्रारंभ से तुरंत पहले "विधायी इरादे को दर्शाने के रूप में उनका सामान्य और पूर्ण अर्थ दिया जाना आवश्यक था और इस प्रकार, केवल ऐसे प्रकार के मामले जहां धारा के प्रारंभ से तुरंत पहले एक बंधककर्ता के कब्जे में था,

केवल 50 वर्ष पूर्व की अवधि के लिए विस्तार योग्य। इसे आगे इस प्रकार देखा गयाः

" ..... धारा 4 को अधिनियमित करते समय विधायिका द्वारा बनाई गई कानूनी कल्पना का दायरा और दायरा कितना भी फायदेमंद हो सकता है-ऐसी कल्पना तभी उत्पन्न हो सकती है जब ऐसी कल्पना को उठाने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों को निर्धारित करने वाली धारा की स्पष्ट भाषा का पालन संबंधित बंधक धारक द्वारा किया जाता है जो ऐसी काल्पनिक कल्पना का लाभ चाहता है। इस तरह की कल्पना को अदालत द्वारा सादृश्य पर या विधायिका द्वारा विचार नहीं किए गए शब्दों को जोड़कर या हटाकर नहीं बढ़ाया जा सकता है।

7 बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्यः (1955) 2 एससीआर 603 8 मंचेरी पुथुसेरी अहमद बनाम। कुथिरावट्टम एस्टेट रिसीवर (1996) 6 एस. सी. सी. 185 9 (2002) 3 एस. सी. सी. 732 विठ्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टी. एच. आर.

शकुंतला @SUSHMA v. महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [संजय किशन कौल, जे।]

कल्पना समझने के लिए एक प्रावधान की व्याख्या करने का तरीका होने के नाते, 26.9.1970 और 2.10.1975 की प्रदान की गई प्रासंगिक तिथियां, राज्य को कार्रवाई करने और किसी भी संदिग्ध को रोकने के लिए पांच साल का समय देती हैं। इस अवधि के दौरान लेन-देन को असीमित पूर्व अवधि तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

27. यह न्यायालय, उत्तर चंद बनाम। महाराष्ट्र राज्य, 1 ने इस कानून पर विचार करते हुए कहा है कि कट-ऑफ तिथि होगी पवित्र। तथ्यात्मक रुपरेखा में कटौती की तारीख से पहले विभाजन के साथ-साथ भूमि की बिक्री से भी निपटा गया था। एक बार कट-ऑफ तिथि प्रदान किए जाने के बाद, यह देखा गया कि वे पूरी तरह से प्रावधानों के दायरे से बाहर हैं

अधिनियम और इस प्रकार, उच्च न्यायालय का यह मानना उचित नहीं होगा कि किए गए हस्तांतरण या तो मिलीजुली या धोखाधड़ी वाले थे।

क्रॉस-आपत्तियों की अनुमति देने वाला अपीलीय प्राधिकरणः

28. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, एसडीओ होने के नाते, जहां तक दो बड़ी बेटियों का संबंध है, उनके पक्ष में था जहाँ तक उनमें निहित भूमि का संबंध है, विभाजन विलेख के अनुसरण में। इस प्रकार, उनके लिए अपील दायर करने का कोई अवसर नहीं था, न ही उन्होंने अपील दायर की। अपील दायर करने वाले परिवार के अन्य सदस्यों ने उन्हें पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया। एक बार फिर, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वे इच्छुक पक्ष नहीं होंगे, या उस ओर से समर्थक पक्ष भी नहीं होंगे। हालांकि, एक बार जब राज्य ने क्रॉस-आपत्तियां दायर करने का फैसला किया और उसमें, एसडीओ के आदेश के उस हिस्से पर भी आपत्ति जताई जो पक्ष में था।

दो बड़ी बेटियों में से, यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वे उन कार्यवाही के लिए आवश्यक पक्ष थे। यह कहने का कोई जवाब नहीं है कि चूंकि भूमि की छत का प्रभाव उनके पिता स्वर्गीय विट्ठलदास के क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के लिए होगा, इसलिए विट्ठलदास को यह देखना होगा कि वह अपनी बेटियों को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं। इस मौलिक दोष को ठीक नहीं किया जा सकता है

बाद की कार्यवाही, अपील के अधिकार के रूप में एक वैधानिक अधिकार और एक महत्वपूर्ण है। इस उपरोक्त दृष्टिकोण को न्यायिक घोषणाओं के एक समूह द्वारा पुष्ट किया जाता है। यह माना गया है कि नागरिक संहिता

प्रक्रिया, 1908 उस पक्ष के खिलाफ प्रति-आपत्तियां दायर करने पर विचार नहीं करती है जो अपील में पक्षकार नहीं है। इस तरह की आपत्तियों को दायर करने के मामले में दो अलग-अलग संचालन आवश्यक हैं। उसे शामिल करना चाहिए।

पक्षकारों के रूप में जिन व्यक्तियों को वह प्रति-आपत्तियाँ दायर करने का इरादा रखता है, उन्हें प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन दाखिल करना होगा। पद की स्थिति

10 (1980) 2 एससीसी 292 11 राजेन्द्र नाथ चटर्जी बनाम। महेशता देवी ए. आई. आर. 1926 कैल 533 12 वेंकटपति बनाम। वीरय्या एयर (30) 1943 मद्रास 609 [2019] 11 एस. सी. आर.

न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को एक पक्ष के रूप में प्रभावित होने के लिए सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार, अयोग्य अभेद्य

इस दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है। 29. इस प्रकार, उपरोक्त कारण से भी क्रॉस-आपत्ति दो बड़ी बेटियों की स्थिति को बाधित नहीं कर सकती थी।

एच. यू. एफ. संपत्ति में अविवाहित बेटियों का दावाः

30. यह पहले ही देखा जा चुका है कि दो बड़ी बेटियों का पक्ष न लेना अपीलीय कार्यवाही के लिए घातक होगा। लेकिन, वे उससे अधिक कारणों से घातक होते हैं। वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण समान रूप से एक अविवाहित बेटी के अधिकारों को स्पष्ट करने वाले कानूनी ग्रंथ के खिलाफ होगा। यह विचार लिया गया है कि चूंकि ये भूमि नाबालिग अविवाहित बेटियों को दी गई थी, इसलिए एचयूएफ संपत्ति में उनका कोई हिस्सा नहीं था, इस तरह का अनुदान उस समय कानून के विपरीत है।

31. यह निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि सूची लंबित है, और वर्तमान परिदृश्य ऐसा है जहां बेटियों को भी दिया गया है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में किए गए संशोधन के संदर्भ में पैतृक/एचयूएफ संपत्ति में अधिकार। राज्य का

महाराष्ट्र, जहाँ भूमि स्थित है, एक कदम आगे था क्योंकि 1994 के महाराष्ट्र अधिनियम 39 के अनुसार, जिसे 22.6.1994 पर लागू किया गया था, महिलाओं को जन्म से भी सह-भागीदार बनाकर ऐसे अधिकार प्रदान किए गए थे। हालाँकि, उस तारीख को भी जब विभाजन विलेख निष्पादित किया गया था, कानूनी स्थिति वैसी नहीं थी जैसा कि स्पष्ट किया गया है।

32. यह देखा गया है कि एक पिता अपनी बेटी को पैतृक अचल संपत्ति की उचित सीमा के भीतर उपहार दे सकता है।

उसकी शादी के समय या उसके बाद भी उसके नैतिक दायित्वों का हिस्सा। वास्तव में, एक अवलोकन किया गया है कि पैतृक संपत्ति की कुल होल्डिंग के 1/6 वें हिस्से का उपहार वैध है। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि इस तरह के उपहार पवित्र उद्देश्यों के लिए हैं, लेकिन अलगाव एक अधिनियम द्वारा होना चाहिए।

33. गुरम्मा भर्तार में चनबसप्पा देशमुख बनाम।

मल्लप्पा चनबसप्पा और अन्य "। , कानूनी स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हैः

13 उदित नारायण सिंह मल्फरिया बनाम। अतिरिक्त सदस्य, राजस्व बोर्ड, बिहार एआईआर 1963 एससी 786 (डब्ल्यूएस)

पुगालिया वेट्टोरम्मल और अन्र। वी. वेट्टोर गौंडन (1912) 22 एमएलजे 321

14 15 1 5 आर. कुप्पायी बनाम। राजा गौंडर (2004) 1 एस. सी. सी. 295 16 1 6 (1964) 4 एस. सी. आर. 497 अलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टी. एच. आर.

शकुंतला @सुश्मा बनाम। राज्य महाराष्ट्र राजस्व और वन विभाग। [संजय किशन कौल, जे।]

" 15 ... . माधविया में, पीपी। 41 और 42, कात्यायन के एक पाठ का हवाला दिया गया है जिसमें एक पिता द्वारा उसे अचल संपत्ति का उपहार देने का अधिकार दिया गया है।

एक वर्ष में 2000 फनाम की राशि तक चल वस्तुओं के उपहार के अलावा बेटियाँ।

..... मनु कहता है

" एक ही माँ की अविवाहित बेटियों को उनके भाइयों को उनकी कई माताओं के वर्ग के अनुसार क्रमशः उनके आवंटन में से भाग देने दें। प्रत्येक को अपने विशिष्ट हिस्से का एक-चौथाई हिस्सा देना चाहिए और जो लोग इसे देने से इनकार करते हैं, उनका अपमान किया जाएगा।

ये और इसी तरह के अन्य ग्रंथ इंगित करते हैं कि हिंदू कानून के ग्रंथ न केवल विभाजन के समय या उनकी शादी के समय, जैसा भी मामला हो, बेटियों को संपत्ति देने की मंजूरी देते हैं, बल्कि उक्त कर्तव्य में लापरवाही की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं।

शर्तें। यह सच है कि ये हिंदू कानून ग्रंथ अप्रचलित हो गए हैं। बेटी ने पारिवारिक संपत्ति में अपने हिस्से का अधिकार खो दिया है।

इसके विभाजन के समय। लेकिन हालाँकि विवाह के प्रावधान के माध्यम से या बाद में बेटी के लिए व्यवस्था करने के अधिकार को पिता की ओर से एक नैतिक दायित्व में परिवर्तित कर दिया गया है।

..... कुडुतम्मा बनाम में निर्णय। नरसिम्हाचार्यालु [(1907) 17

उसकी बेटियाँ उचित सीमा तक पारिवारिक संपत्ति से बाहर हैं। ..... वालिस, जे. ने अपने फैसले में बताया कि अविवाहित बेटियां पहले विभाजन पर हिस्सेदारी करने की हकदार थीं और यह अधिकार रद्द कर दिया गया था, एक बेटी को दिया गया उपहार अदालतों द्वारा विवाहित जोड़े के लिए एक प्रावधान के रूप में बनाए रखा गया था। विद्वान न्यायाधीश

इस प्रकार स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया, पी। 532 :

" ... यद्यपि संयुक्त परिवार और उसके प्रतिनिधि, पिता या अन्य प्रबंध सदस्य, अब कानूनी रूप से दुल्हन को उसके विवाह के अवसर पर दान प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं हो सकते हैं, फिर भी वे नैतिक रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य हैं, किसी भी दर पर जब मामले की परिस्थितियाँ इसे उचित रूप से आवश्यक बनाती हैं। .... मद्रास उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ ने सुंदरम्य बनाम में प्रश्न पर विचार किया। सीथम्मा [(1911) 21 एमएलजे 695, [2019] 11 एस. सी. आर.

699] और एक हिंदू पिता द्वारा शादी के बाद अपनी बेटी को 8 एकड़ पैतृक भूमि के उपहार की वैधता घोषित की, जब परिवार के पास 200 एकड़ भूमि थी। शादी उपहार से लगभग चालीस साल पहले हुई थी। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि पिता का तब किसी संपत्ति को देने का कोई इरादा था। बेटी। इस प्रकार विद्वान न्यायाधीशों द्वारा कानूनी स्थिति की व्याख्या की गई। मुनरो और संकरन नायर, जे. जे. :

" पिता या विधवा कोई संपत्ति देने के लिए बाध्य नहीं है। वहाँ। यह कानूनी नहीं हो सकता है, लेकिन केवल एक नैतिक दायित्व हो सकता है। यह भी सच है कि हमारे सामने के मामले में पिता ने शादी के समय कोई उपहार नहीं दिया और उस नैतिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि नैतिक दायित्व उपहार को बनाए क्यों नहीं रखता है क्योंकि यह बेटी को शादी के समय नहीं बल्कि कुछ समय बाद ही दिया गया था। वादी के पिता का नैतिक दायित्व

यह तब तक लागू रहा जब तक कि इसे 1899 में उपहार द्वारा जारी नहीं किया गया। .....

" यह प्रश्न कि क्या कोई विशेष उपहार उचित है या नहीं, उपहार के समय परिवार की स्थिति, परिवार की अचल संपत्ति की सीमा, परिवार का ऋण और सर्वोच्च शुल्क के अनुसार निर्णय लेना होगा। परिवार व्यवस्था करने के लिए बाध्य था, और इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि उपहार को उचित माना जा सकता है, तो ऐसा उपहार परिवार के सदस्यों की सहमति के बावजूद संयुक्त परिवार के सदस्यों पर बाध्यकारी होगा। विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [संजय किशन कौल, जे।]

इस निर्णय के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चंद्र रेड्डी ने अन्नामलाई बनाम. सुंदराथम्मल [(1952) II एमएलजे 782,

784] .....

16 ..... कानूनी स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः हिंदू कानून

परीक्षणों ने किसी बेटी या बहन को, जैसा भी मामला हो, विभाजन के समय पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार प्रदान किया। वह अधिकार समय के प्रवाह से खो गया था। लेकिन, यह बन गया,

एक नैतिक दायित्व में परिवर्तित। पिता या उसके

प्रतिनिधि उचित तरीके से एक वैध उपहार दे सकता है।

बेटी के भरण-पोषण के लिए परिवार की वित्तीय और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान। प्रथा या सुविधा के अनुसार, ऐसे उपहार विवाह के समय दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा उपहार देने का पिता या उसके प्रतिनिधि का अधिकार विवाह के अवसर तक ही सीमित नहीं है। यह एक सामान्य दायित्व है और यह तब तक बना रहता है जब तक कि इसका निर्वहन नहीं हो जाता। विवाह इस तरह के उपहार के लिए केवल एक प्रथागत अवसर है। लेकिन दायित्व का निर्वहन जीवनकाल के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है।

पिता का या उसके बाद का। इस तरह के उपहार की मात्रात्मक सीमाओं को निर्धारित करते हुए एक कठोर और तेज़ नियम निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और यह केवल अदालतों द्वारा तय किया जा सकता है, जिसमें पारिवारिक संपत्ति की सीमा, प्रदान की जाने वाली बेटियों की संख्या और अन्य सर्वोपरि शुल्क और अन्य समान परिस्थितियों की समग्र तस्वीर को ध्यान में रखा जा सकता है।

उपरोक्त मामले में, एक बेटी के संबंध में निष्पादित उपहार विलेख के संबंध में चर्चा हुई। उपहार की स्वीकार्यता पैतृक संपत्ति का एक उचित हिस्सा, बेटियों के पक्ष में, विवाह के उद्देश्यों के लिए, वैध माना गया था, और इसके अनुसार

मिताक्षर कानून। मनुस्मृति की चर्चा भी इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि, हालाँकि यह वर्तमान कानूनी स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती है, लेकिन लगातार, हिंदू ग्रंथ न केवल विभाजन के समय या विवाह के समय बेटियों को संपत्ति देने की मंजूरी देते हैं, बल्कि इसके लिए पहले से भी प्रावधान किए जा सकते हैं।

34. अन्नामलाई अम्मल बनाम में न्यायिक घोषणा।

सुंदराथम्मल और अन्य "। यह भी देखा जा सकता है, जहाँ इसे निम्नानुसार देखा गया हैः

17 आकाशवाणी 1953 मैड 404 [2019] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 5. यदि दायित्व नैतिक और निरंतर है और हो सकता है शादी के लंबे समय बाद बनाया गया, क्या यह कहा जा सकता है कि यह अंदर नहीं है

एक पिता की इस तरह का उपहार देने की क्षमता

शादी? मेरी राय में, सिद्धांत रूप में बहुत अंतर नहीं है

विवाह के बाद एक उपहार और विवाह से पहले एक उपहार के बीच, इस तरह के उपहार का उद्देश्य भविष्य के लिए एक प्रावधान करना है

दुल्हन का जोड़ा।

6. यह मुझे अगले सवाल की ओर ले जाता है कि क्या दस्तावेज़ के तहत किसी उपहार को विवाह प्रावधान के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, जो इसे अमान्य बनाता है? मेरे दिमाग में ऐसा लगता है उपहार की वैधता को प्रभावित नहीं करता है। जब कोई पिता किसी अविवाहित व्यक्ति को संपत्ति का उचित हिस्सा उपहार में देता है।

बेटी यह माना जा सकता है कि यह एक विवाह प्रावधान था। इस मामले में यह देखा जाना चाहिए कि एक्स के तहत। पी. 1 वादी को केवल एक निहित शेष राशि दी गई थी और उसके पक्ष में उपहार पहले प्रतिवादी के जीवनकाल के बाद ही प्रभावी होगा।

35. उपरोक्त निर्णय को इस न्यायालय की प्रमुखता प्राप्त हुई

उरम्मा भर्तार चनबसप्पा देशमुख और अन्य। वी.

अप्पा चनबसप्पा और अन्य। 18 .

36. इस प्रकार, कानूनी दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट हैः

ए। अविवाहित बेटियों की शादी का प्रावधान हो सकता है

पैतृक संपत्ति से बना।

बी। ऐसा प्रावधान पहले, उस समय या यहां तक कि किया जा सकता है।

शादी के बाद।

सी। यह प्रावधान पवित्र दायित्व के कारण किया जा रहा है, हालांकि समय के साथ महिलाओं का अधिकार कम हो गया है।

हालाँकि, 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के साथ, अब महिलाओं को विभाजन का दावा करने के अधिकार सहित पैतृक संपत्ति के विभाजन पर हिस्सा प्राप्त करने का एक विशिष्ट अधिकार प्रदान किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि यह परिवर्तन था

1994 में ही महाराष्ट्र में लाया गया।

37. यदि वर्तमान मामले के तथ्यों को टाला जाता है, तो उपरोक्त विभाजन विलेख के तहत क्या किया गया है। एक प्रावधान

रा)

विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [संजय किशन कौल, जे।]

बेटियों की शादी के लिए बनाया गया था। वास्तव में, यह प्रावधान शिक्षा और विवाह के उद्देश्यों के लिए है। आज समाज जहाँ है, उसके संदर्भ में, इस तरह के प्रयास की प्रशंसा की जानी चाहिए, न कि तिरस्कार के रूप में। यह तब कानून में टिकाऊ था, और यह अब केवल कानून में टिकाऊ से अधिक है। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के प्रावधान को बनाए जाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था।

यदि कानून इसकी अनुमति देता है, तो इसे शायद ही धोखाधड़ी कहा जा सकता है। इस प्रकार, क्रॉस-आपत्ति की अनुमति देने के आधार को कानून में कोई आधार नहीं है।

38. इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जा सकता है कि दो बड़ी बेटियां, जिनके अधिकारों पर वास्तव में बहस हुई है, पहले भी बहुमत प्राप्त कर चुकी हैं

प्रारंभ की तारीख, यानी, संशोधन लागू होने की तारीख को वे प्रमुख अविवाहित बेटियाँ थीं। इस प्रकार, उन्हें धारा 4 के तहत निहित परिभाषा के संदर्भ में परिवार इकाई में भी शामिल नहीं किया गया था, जो निम्नानुसार हैः

" धारा 4-पारिवारिक इकाई द्वारा धारित भूमि

(1) परिवार इकाई के प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित सभी भूमि, चाहे संयुक्त रूप से हो या अलग से, अधिकतम सीमा निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए होगी।

परिवार इकाई का क्षेत्र, परिवार इकाई द्वारा धारित माना जाए। व्याख्याः - "परिवार इकाई" का अर्थ है,

(क) एक व्यक्ति और उसके पति या पत्नी (या एक से अधिक पति या पत्नी) और उनके नाबालिग बेटे और नाबालिग अविवाहित बेटियाँ, यदि कोई हों; या
(ख) जहां कोई पति या पत्नी, जीवित पति या पत्नी, और नाबालिग बेटे और नाबालिग अविवाहित बेटियां; या

(ग) जहां पति-पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, नाबालिग बेटे और नाबालिग

ऐसे मृत पति/पत्नी की अविवाहित बेटियाँ।

26 सितंबर, 1970 के बाद किसी न्यायालय द्वारा किए गए विवाह और प्रथा द्वारा विवाह के सभी विघटन, या उस तारीख को या उसके बाद विधिवत किए गए, घोषित या घोषित किए गए, परिवार इकाई द्वारा धारित अधिकतम सीमा क्षेत्र निर्धारित करने के उद्देश्यों को नजरअंदाज कर दिया जाए और तदनुसार, प्रत्येक पति या पत्नी द्वारा धारित भूमि को उस उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा, जैसे कि कोई नहीं।

विघटन हो गया था। लेकिन, अगर विघटन के लिए एक कार्यवाही

विवाह की प्रक्रिया किसी भी न्यायालय के समक्ष शुरू हो चुकी है

11 एस. सी. आर. उपरोक्त तिथि, तब विवाह के विघटन का पूर्ण प्रभाव होगा (चाहे विवाह उस [2019] से पहले या उसके बाद भंग हो गया हो।

तिथि), और एक परिवार इकाई के अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण करने में ध्यान में रखा जाएगा।

बेटियों को शामिल करने का सवाल तभी उठेगा जब विभाजन विलेख का दस्तावेज धोखाधड़ी वाला पाया जाए। इस प्रकार, इस कारण से भी, संपत्ति को शामिल नहीं किया जा सकता है और भूमि के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है

स्वर्गीय विट्ठलदास।

39. जैसा कि ऊपर देखा गया है, दस्तावेज़ का रूप महत्वपूर्ण नहीं है।

इस ओर से। ऐसा प्रावधान विभाजन विलेख में किया जा सकता है। यह उपहार की प्रकृति में हो सकता है। तो क्या? परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी भी उस पर हमला करने या चुनौती देने की कोशिश नहीं की है। यह इसके साथ है

परिवार की सहमति, उसी की वैधता के अलावा। पोन्नू और अन्न में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय। वी. तालुक भूमि

बोर्ड, चित्तूर और अन्य। , " यह भी संदर्भित किया जा सकता है, जहां, एक अधिकतम सीमा के मामले के मुद्दे से निपटने के दौरान, एक विभाजन विलेख के तहत बेटे को अधिकार प्रदान करना, एक उपहार के रूप में माने जाने में सक्षम होने के रूप में मान्य माना गया था। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (इसके बाद 'टी. पी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 122 के प्रावधान,

धारा 123 पर चर्चा की गई। एक उपहार, स्वेच्छा से और बिना किसी विचार के की गई संपत्ति का हस्तांतरण होने के नाते, एक पंजीकृत साधन द्वारा किया जाना चाहिए। उपहार अनिवार्य रूप से एक हस्तांतरण है। इस प्रकार, भले ही कोई पूर्व-विद्यमान अधिकार न हों, यह एक वैध उपहार हो सकता है, जब तक कि उक्त आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। उस मामले के तथ्यों में, विभाजन विलेख संयुक्त मालिकों या सह-मालिकों के बीच भी नहीं था, बल्कि उन व्यक्तियों के बीच था जो विशेष रूप से भूमि के मालिक थे और एक अन्य व्यक्ति जिसके पास कोई मौजूदा स्वामित्व या अधिकार नहीं था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक न्यायाधिकरण पीछे जा सकता है और लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को देख सकता है। रिलायंस को मेड गौडा बनाम पर रखा गया था। चेन्ने गौड़ा, 20 जहाँ एक व्यक्ति जो सह-मालिक नहीं था, वह भी एक लेन-देन में एक पक्ष था, और यह माना गया कि संपत्ति की उस विशेष वस्तु के संबंध में लेन-देन वास्तव में एक पक्ष था।

उपहार और इस प्रकार, एक वैध उपहार विलेख की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। इसी तरह, रामास्वामी पट्टमाली बनाम। लक्ष्मी ", एक सही पर

लेन-देन की समझ, दस्तावेज़ को विभाजन और असाइनमेंट के एक समग्र विलेख के रूप में माना गया था। इसके अलावा, नंबुरी बसव सुब्रमण्यम बनाम। अलपति हैमावती & Ors.22, निर्णय लेते समय

19 (1981) के. एल. टी 780

20 ए. आई. आर. 1925 मैड 1174 21 ए. आई. आर 1962 केर 313

22 (1996) 9 एस. सी. सी. 388 विठ्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टी. एच. आर. शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [संजय किशन कौल, जे।]

40. कानून का उपरोक्त उच्चारण सही कानूनी स्थिति को दर्शाता है। मामले के दिए गए तथ्यों में यह विवाद नहीं है कि विलेख एक पंजीकृत दस्तावेज था। इस प्रकार, यदि कोई इसे एक विभाजन सह-उपहार विलेख के रूप में भी समझता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टी. पी. अधिनियम की धारा 122 और 123 के तहत एक उपहार विलेख की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। 41. वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में कानूनी स्थिति, इस प्रकार, यह दर्शाती है कि भले ही दस्तावेज़ प्रभावी रूप से एक उपहार विलेख हो, और हिंदू कानून उसके लिए बेटी के लिए एक प्रावधान करने की अनुमति देता है।

विवाह, एक विभाजन विलेख का निष्पादन, जिसका इस तरह के उपहार का प्रभाव है, विलेख के प्रभाव को रद्द नहीं करेगा। यह इसलिए है क्योंकि पैतृक संपत्ति से बेटी के लिए किया गया प्रावधान होगा पवित्र दायित्व का पालन।

42. अंत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि जिस एकमात्र पहलू पर बहस हुई, वह थी दो बड़ी बेटियों का हिस्सा, और स्वर्गीय विट्ठलदास की भूमि के साथ समायोजित किए बिना भूमि को अपनी अलग भूमि के रूप में बनाए रखने का अधिकार। उपरोक्त निष्कर्ष, इस प्रकार, इस निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि दो बड़ी बेटियों की भूमि के संबंध में एसडीओ द्वारा दिनांकित आदेश 7.5.1984 के माध्यम से लिया गया दृष्टिकोण सही है, और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा बाद में दृष्टिकोण एक से अधिक कारणों पर गलत है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। उस दृष्टिकोण की और अधिक प्रमुखता

इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा भी कायम नहीं रखा जा सकता है। 43. इस प्रकार, अपीलीय प्राधिकारी, विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के विवादित आदेश खारिज किए जाने योग्य हैं।

और एस. डी. ओ. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, बहाल किया गया, बभुलगांव के सर्वेक्षण Nos.12 और 14 में स्थित भूमि, दो बड़ी बेटियों को अधिकार देते हुए, जो वर्तमान कार्यवाही में अपीलकर्ता हैं।

44. यदि उपरोक्त निष्कर्ष से उत्पन्न होने वाला कोई परिणामी आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाना है, तो आवश्यक होगा उक्त प्राधिकारी के समक्ष आदेश रखे जाने के दो महीने की अवधि के भीतर किया गया।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

45. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। दलों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

के. एम. जोसेफ, जे.

1. भाई न्यायमूर्ति संजय किशन कौल द्वारा लिखे गए फैसले को पढ़ने के बाद, उनके प्रति मेरे सर्वोच्च सम्मान के बावजूद, मैं उनके फैसले से सहमत होने में असमर्थता व्यक्त करता हूं।

2. यह अपील अपीलार्थियों द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उनके पिता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।

स्वर्गीय श्री विट्ठलदास और उनकी माँ ने निर्णय की पुष्टि की

उनके माता-पिता द्वारा दायर रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश और इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1961 के तहत न्यायाधिकरण का आदेश भी।

3. स्वर्गीय श्री विट्ठलदास विवाहित थे और उनकी तीन बेटियाँ और एक बेटा था। उन्होंने एक विभाजन में प्रवेश करने का इरादा किया जो उस पर पंजीकृत था

31.01.1970 . इस मामले में विवाद के केंद्र में उनकी दो बड़ी बेटियों, श्रीमती को शेयरों का आवंटन है। शकुंतला और श्रीमती. दुर्गा देवी। इनके बाद उन्हें बड़ी बेटियाँ कहा जाता है। वे इस न्यायालय में अपीलार्थी 1 और 2 हैं। विभाजन के समय वे दोनों नाबालिग थे और सवाल यह है कि क्या अधिनियम के तहत अधिशेष भूमि का निर्धारण करने में उन्हें आवंटित 31 एकड़ और 29 गुंटा भूमि को श्री विट्ठलदास की पारिवारिक इकाई के खाते से बाहर रखा जाना चाहिए। इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता 3 और 4 स्वर्गीय श्री विट्ठलदास के पुत्र और तीसरी बेटी हैं। 4. विठ्ठलदास ने 02.10.1975 पर अधिनियम की धारा 12 के तहत विवरणी दाखिल की। प्राधिकरण ने एक आदेश पारित किया जिसमें विट्ठलदास की कुल भूमि 118 एकड़ और 17 गुंटा घोषित की गई। 60 एकड़ और 27 गुंटा को अधिशेष भूमि और छत क्षेत्र से अधिक माना जाता था। न्यायाधिकरण ने विट्ठलदास द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और साथ ही राज्य की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। दिनांक 1 के आदेश द्वारा, श्री विट्ठलदास द्वारा दायर रिट याचिका को इस आधार पर अनुमति दी गई कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था। इसके बाद, उप-मंडल अधिकारी ने 07.05.1984 दिनांकित आदेश पारित किया जिसके तहत उन्होंने अपनी बड़ी बेटियों को दी गई भूमि को बाहर कर दिया, अर्थात। , विभाजन विलेख के तहत शकुंतला और दुर्गा देवी। विभाजन विलेख द्वारा बड़ी बेटियों को जो भूमि आवंटित की गई थी, वह बाबुलगांव गाँव में थी। इसमें कुल 31 एकड़ और 29 गुंटा शामिल थे। सर्वेक्षण संख्या 12 में यह क्षेत्र 17 एकड़ 23 गुंटा विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर है।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

और सर्वेक्षण संख्या 14 में, क्षेत्र 14 एकड़ और 6 गुंटा है। उन्होंने आगे पाया कि परिवार इकाई 60 एकड़ और 15 गुंटा रखने की हकदार थी। 6 15 एकड़ गुंटा पोट खरब भूमि पाई गई और जोड़ते हुए

54 एकड़ के बराबर, (विचाराधीन भूमि की सीमा) परिवार इकाई को 60 एकड़ और 15 गुंटा रखने का हकदार पाया गया। यह भी पाया गया कि अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत 59 एकड़ और 35 गुंटा को अधिशेष भूमि माना गया था। श्री जगन्नाथ खत्री (विट्ठलदास के पिता) द्वारा उनकी पत्नी कमला देवी को उपहार में दी गई भूमि मिली। उनके (दाता) साथ रहे और उनका नाम अधिकारों के अभिलेख में दिखाई दिया। इस प्रकार, 31 एकड़ और 29 गुंटा भूमि को छोड़कर, बड़ी बेटियों को आवंटित की गई और भूमि जो उनकी पत्नी को उपहार में दी गई थी।

5. 1984 की अधिकतम सीमा अपील संख्या 59 विट्ठलदास, उनकी पत्नी और अपीलकर्ता 3 और 4, जो बेटे और सबसे छोटी बेटी हैं, द्वारा दायर की गई थी। विट्ठलदास का।

6. दूसरी ओर, महाराष्ट्र राज्य ने क्रॉस आपत्तियां दायर कीं। क्रॉस आपत्ति की विषय वस्तु इस प्रकार थीः

विट्ठलदास की पत्नी कमला देवी को उपहार में दी गई जमीन गलत थी।

परिवार के खाते से बाहर रखा गया। इसके बाद, विभाजन विलेख के संबंध में, जो हमारे सामने विवाद का विषय है, क्रॉस आपत्तियों में निम्नलिखित कहा गया हैः

राज्य अभिलेख पृष्ठ संख्या 71 पर विभाजन विलेख पर निम्नलिखित आधार पर आपत्ति जताता है -

आई. नाबालिग बहन के अप्राकृतिक विभाजन का सहारा तब लिया जाता है जब प्राकृतिक अभिभावक जीवित होते हैं और कुछ भी अप्रिय नहीं होता है।

उनके खिलाफ साबित हुआ।

ii. कि वर्तमान अपीलार्थियों के बजाय जो नाबालिगों के पिता और प्रमुख और वास्तविक अभिभावक हैं; वर्तमान

विभाजन विलेख जगन्नाथ खत्री के साथ संरक्षकता को दर्शाता है जो नाबालिगों के दादा हैं।

iii. हालाँकि कन्या को उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, उसके लिए उत्तराधिकार केवल माता-पिता की मृत्यु पर ही खुलता है। इस प्रकार विभाजन विलेख अप्राकृतिक और इसके विरुद्ध है -

हिंदू रखरखाव अधिनियम का अनुक्रम।

9] 11 एस सी आर।

ये संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अधिनियम हैं। इसलिए अस्वाभाविक रूप से इसे समाप्त करने की आवश्यकता है।

अपीलार्थी, पत्नी और अपीलार्थी के साथ पूरा क्षेत्र

परिवार इकाई की परिभाषा के अनुसार एक साथ जोड़ा जाए।

7. श्री विट्ठलदास और उनकी पत्नी द्वारा क्रॉस आपत्तियों पर दायर जवाब में, जहां तक यह विभाजन से संबंधित है, यह इस प्रकार कहा गया थाः

अपीलकर्ताओं ने आगे उत्तरदाता राज्य द्वारा उठाए गए तर्क को अस्वीकार कर दिया, जहां तक बेटियों को विभाजन या हिस्से के आवंटन का संबंध है। नामकरण महत्वहीन है। स्वामित्व और खेती का तथ्य भौतिक है। विद्वान उप-मंडल अधिकारी ने सर्वेक्षण संख्या को सही ढंग से बाहर कर दिया है। 13 और बाबलगाँव के 14 मामले की गिनती और उक्त निष्कर्ष में इस न्यायाधिकरण के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर उठाए गए विवाद का खंडन किया जाता है।

8. न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और

क्रॉस आपत्तियों की अनुमति दी। परिणामस्वरूप, भूमि, जो विभाजन विलेख की विषय वस्तु है और जो बड़ी बेटियों को आवंटित की गई थी और संपत्ति जो उनकी पत्नी के पक्ष में उपहार विलेख की विषय वस्तु थी, परिवार की कुल भूमि स्वामित्व में शामिल हो गई। भूमि का कुल विस्तार 181 एकड़ और 26 गुंटा पाया गया। 111 एकड़ और 39 गुंटा को अधिशेष भूमि घोषित किया गया।

1991 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 3 को प्राथमिकता दी गई। इस अपील में आक्षेपित दिनांक 1 के निर्णय द्वारा, खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार को बरकरार रखा। उनकी पत्नी श्रीमती. कमलादेवी, हालांकि उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपीलार्थी को एक प्रारूप बनाया गया है उत्तरदाता।

विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

10. न्यायाधिकरण के निष्कर्षों पर विचार करना प्रासंगिक है:

केवल पिता की मृत्यु पर। विभाजन पर हमला किया गया था अप्राकृतिक। उनकी पत्नी, जो एक हिस्से की हकदार थी, को कोई हिस्सा नहीं दिया गया था।

शेयर करें। दादा को नाबालिग बच्चों के संरक्षक के रूप में दिखाया गया था, हालांकि माता-पिता दोनों जीवित थे। अपीलार्थियों के तर्क पर ध्यान दिया गया कि जो सामग्री है वह खेती के बारे में तथ्यात्मक स्थिति है। अधिकतम सीमा अधिकारी उस विभाजन के पीछे जाने के हकदार नहीं हैं जो 26.09.1970 से पहले हुआ था। यदि अपीलकर्ता-विट्ठलदास इन भूमि पर 26.09.1970 पर कब्जा नहीं कर रहे थे और उसके बाद, उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता था।

11. रिलायंस को बॉम्बे हाई के फैसले पर रखा गया था

न्यायालय:

" सबसे पहले यह तर्क दिया जाता है कि प्रमुख अविवाहित बेटी किरण, जिसे अधिनियम की धारा 4 के तहत "पारिवारिक इकाई" की अवधारणा में शामिल नहीं किया गया है, विभाजन पर हिस्सेदारी का हकदार थी।

पैतृक और संयुक्त परिवार की संपत्ति और इसलिए, अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 (3) (i) के संदर्भ में उसके हिस्से की सीमा तक भूमि को बाहर रखा जाना चाहिए। यह बात केवल कहने की है। अस्वीकार करने के
लिए। हिंदू कानून स्पष्ट है कि केवल कुछ महिलाएं जैसे पत्नी, विधवा, विधवा माँ, दादी केवल विभाजन पर साझा करने की हकदार हैं। अविवाहित बेटियाँ बड़ी या नाबालिग,

विवाहित या अविवाहित उस श्रेणी से संबंधित नहीं है

स्त्रियाँ "।

12. रिलायंस को बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ द्वारा 1976 की रिट याचिका संख्या 2791 में भी निर्णय पर रखा गया था। इसमें यह पाया गया कि उच्च न्यायालय ने विभाजन को नजरअंदाज कर दिया था

घोषणाकर्ता की माँ, दिनांकित 09.01.1970 पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा।

13. अपीलार्थी-बड़ी बेटियाँ, जिन्हें विभाजन में हिस्सेदारी की अनुमति दी गई थी, नाबालिग पाई गईं। शकुंतला, जिनकी जन्म तिथि

03.11.1955 की आयु 14 वर्ष थी और दुर्गा देवी, जिनकी जन्म तिथि 29.08.1957 है, साढ़े बारह वर्ष की थीं, जब 31.01.1970 पर विभाजन किया गया था।

14. विट्ठलदास मालिक बने रहे क्योंकि शीर्षक पारित नहीं हुआ था।

कानूनी रूप से वैध साधन द्वारा दोनों बेटियों को।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. जहाँ तक वास्तविक अधिकार का संबंध है, वर्ष 1970-1971 और 1971 1972 के लिए सर्वेक्षण संख्या 14 के संबंध में फसल विवरण ने विट्ठलदास द्वारा खेती को दर्शाया। 1972-1973 से 1974-1975 तक के वर्षों के लिए, इसे विठ्ठलदास और बेटी दुर्गा देवी द्वारा संयुक्त रूप से खेती किए जाने के रूप में दिखाया गया था।

16. बेटी शकुंतला को आवंटित संपत्ति, सर्वे No.12 के संबंध में, यह पाया गया कि विट्ठलदास द्वारा इसकी खेती की जा रही थी।

बेटी शकुंतला के साथ।

भूमि पर स्वतंत्र रूप से खेती करने के लिए आवश्यक साधन। यह पाया गया कि विट्ठलदास ने भूमि पर कब्जा करना जारी रखा।

18. रिट याचिका दायर की गई थी। , [विट्ठलदास और उनकी पत्नी द्वारा 1985 की रिट याचिका संख्या 111] और जिसमें प्रतिवादी 6 श्रीमती थीं।

शकुंतला और प्रतिवादी 7 श्रीमती थीं। दुर्गा देवी, बड़ी बेटियाँ। यह ध्यान दिया जाए कि बड़ी बेटियों ने न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती नहीं दी थी। विद्वान एकल न्यायाधीश न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़े हैं, सिवाय इसके कि हमने देखा है। 19. विद्वान एकल न्यायाधीश ने भगवानदास हेडा और अन्य का उल्लेख किया v. महाराष्ट्र राज्य और अन्य ', और 1976 की रिट याचिका संख्या 2997 में निर्णय, और उसके बाद, इस प्रकार रहाः

" 8. इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि हालांकि उत्तरदाता 6 और 7 शुरुआत की तारीख यानी 2-10-1975 पर बड़े थे, फिर भी वे नाबालिग थे क्योंकि उनकी उम्र 14 और साढ़े 12 वर्ष थी। क्रमशः 31.01.1970 पर, जब विभाजन प्रभावित हुआ था। वास्तव में, उनके पिता के पास गाँव बभुलगाँव के खेत में उनके कथित हिस्से (आईडी1) और फसल थी।

1970-71 और 1971-72 वर्षों के लिए बयान उनके

खेती, जबकि वर्ष 1974-75 के लिए फसल विवरण उनके और उनकी बेटी दुर्गादेवी द्वारा संयुक्त खेती को दर्शाते हैं। जहाँ तक क्षेत्र सर्वेक्षण संख्या 12 का संबंध है, वर्ष के दौरान पिता विठ्ठलदास और उनकी बेटी शकुंतला को संयुक्त रूप से उक्त फाइल की खेती करते हुए दिखाया गया है। वर्ष 1970-71 और 1971-72 के लिए दायर सर्वेक्षण संख्या 14 के संबंध में विट्ठलदास ने उक्त खेत में खेती की है। इन तथ्यों के आधार पर विद्वान एम. आर. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता विट्ठलदास मैदान में थे।

1 1983 एम. एच.

एल. जे. 825 विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

सर्वेक्षण सं। 12 17 एकड़ 28 गुंठा और सर्वेक्षण सं। 14 गाँव बाबुलगाँव के 14 एकड़ 6 गुंठे को मापते हुए, जिसे कथित विभाजन विलेख दिनांक 31-1-1970 में क्रमशः 6 और 7 उत्तरदाताओं के शेयरों को आवंटित किया गया है। मेरे विचार में, उपरोक्त निष्कर्ष सही है, या किसी भी दर को अभिलेख में दर्ज साक्ष्य के आधार पर विकृत नहीं कहा जा सकता है। तत्काल मामला। इसलिए इसे बरकरार रखा जाना चाहिए "।

अपील विट्ठलदास का निधन हो गया। इसके बाद, विवादित निर्णय प्रत्यर्थियों को 4 से 7 को अपीलार्थी संख्या 1 के एल. आर. के रूप में दिखाएगा। 20. डिवीजन बेंच के समक्ष, उत्तर चंद (मृत) मामले में एल. आर. एस. द्वारा इस संबंध में दिए गए फैसले पर ध्यान दें। वी. महाराष्ट्र राज्य और

अन्य 2 को आमंत्रित किया गया था। उक्त निर्णय बाद में भेजा जाएगा। राज्य ने बताया कि इस न्यायालय द्वारा तय किए गए उक्त मामले में शामिल विभाजन उन व्यक्तियों में से था जिनका संपत्ति में मौजूदा हित था। इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि विभाजन में अधिकार रखने वाली विट्ठलदास की पत्नी को हिस्सा नहीं दिया गया था। राज्य का तर्क था कि विभाजन विलेख बड़ी बेटियों के पक्ष में किसी भी हस्तांतरण को प्रभावित नहीं करता था, और इसलिए, 26.09.1970 से पहले किए गए किसी भी हस्तांतरण को मान्यता देने का कोई सवाल ही नहीं था।

21. इसके बाद, निष्कर्ष पैराग्राफ 9,10 में पाए जाते हैं।

11 , 12 :

" 9. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। पहला, 1970 में, अपने माता-पिता के जीवनकाल के दौरान विभाजन में बेटियों को पारिवारिक संपत्ति के हिस्से का हकदार होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था। इसके अलावा, इस तरह के विभाजन में अपीलार्थी संख्या 1 के पिता को उनके संरक्षक के रूप में दिखाने से उन्हें अपीलार्थी के परिवार से अलग नहीं किया जाएगा। यदि अपीलकर्ता संख्या 1 ऐसा चाहता तो वह प्रत्यर्थी Nos.6 और 7 को संपत्तियां उपहार में दे सकता था, लेकिन वह भी तब तक मायने नहीं रखता जब तक कि प्रत्यर्थी Nos.6

और 7 उनके परिवार का हिस्सा बने रहे। उत्तर चंद बनाम में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। महाराष्ट्र राज्य ने ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 806 में प्रतिवेदन दिया, जिस पर विद्वान अधिवक्ता ने

अपीलार्थी निर्भरता रखते हैं, अपीलार्थी की मदद नहीं करते हैं, क्योंकि उस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय वास्तविक स्थानान्तरण पर विचार कर रहा था

प्रासंगिक तिथि से पहले प्रभावी, जबकि हाथ में मामले में, इस तरह के कोई वास्तविक हस्तांतरण नहीं हैं, लेकिन केवल चोरी का प्रयास किया गया है, अगर हम दिनांकित 31-1-1970 विभाजन का वर्णन कर सकते हैं। इसके अलावा, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से देखा गया है, विचाराधीन खेतों के उद्धरण बताते हैं कि वे वर्ष 1975 तक अपीलार्थी संख्या 1 और उनकी बेटियों की संयुक्त खेती में थे। 10. इन स्थानान्तरणों के प्रभाव पर चर्चा करते समय न्यायाधिकरण द्वारा उपयोग की गई अभिव्यक्ति को विच्छेदित करना आवश्यक नहीं है। जैसा कि दादराव बनाम में इस न्यायालय के निर्णय में कहा गया है। महाराष्ट्र राज्य, 1969 Mh.L.J. 813 में सूचित किया गया, जिस पर विद्वान अधिवक्ता

क्योंकि अपीलार्थियों ने निर्भरता रखी है, ऐसा विभाजन वैध या अमान्य हो सकता है जैसा कि पक्षों के बीच है। सवाल यह है कि क्या इसे छत क्षेत्र निर्धारित करने के उद्देश्य से मान्यता दी जानी है या नहीं। इसमें, चूंकि प्रतिवादी Nos.6 और 7 के पक्ष में 31-1-1970 दिनांकित लिखत द्वारा कोई हस्तांतरण नहीं किया गया था, इसलिए इन उद्देश्यों के लिए पहचान और हस्तांतरण का कोई सवाल ही नहीं थाः

अपीलार्थी सं. 1 की अधिशेष भूमि का निर्धारण करना।

11. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विभाजन पर परिवार के संबंधित सदस्यों द्वारा सवाल नहीं उठाया गया था और इसलिए, इस तरह के विभाजन की अनदेखी करने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह प्रश्न कि क्या प्रतिवादी Nos.6 और 7 ऐसे विभाजन में हिस्से के हकदार थे, केवल प्रतिवादी संख्या 4 अनिलकुमार और अपीलकर्ता संख्या 2 कमलादेवी द्वारा उत्तेजित किया जा सकता था और राज्य के लिए प्रतिवादी Nos.6 और 7 के पक्ष में बनाए गए अधिकारों पर सवाल उठाने के लिए खुला नहीं था। 12. विद्वान ए. जी. पी. ने इस भ्रामक तर्क को यह बताते हुए सही ही खारिज कर दिया कि राज्य परिवार के सदस्यों की तरह ही एक इच्छुक पक्ष था, क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के संचालन के कारण राज्य को उनके वितरण के उद्देश्य से अधिशेष भूमि को सुरक्षित करने का अधिकार था। यदि अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता के तर्क को स्वीकार किया जाना था, तो काल्पनिक

हस्तांतरण, जिसमें हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरणकर्ता का कोई विवाद नहीं था, अधिनियम के प्रावधानों से पूरी अधिशेष भूमि को बाहर कर देता। इसलिए, अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए।

22. जहां तक राज्य द्वारा दायर प्रति-आपत्ति पर विचार करने में दोष का संबंध है, इसे उच्च न्यायालय द्वारा विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर के आधार पर निपटाया गया।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

कि अधिनियम की धारा 33 के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का पालन किया जाना था। यह पाया गया कि राज्य को न्यायालय शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होने के बारे में न्यायाधिकरण की टिप्पणी उचित नहीं थी, लेकिन न्यायालय शुल्क का भुगतान न करना ऐसा मामला नहीं था जिस पर एक वादी लाभ उठा सके। राज्य न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है

कमी अच्छी है। इसके बाद, यह सवाल उठाया गया कि क्या न्यायाधिकरण पक्ष में उनकी उपस्थिति के बिना बड़ी बेटियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाली क्रॉस आपत्ति पर विचार कर सकता था

न्यायाधिकरण के समक्ष।

23. उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसलों पर विचार किया

कुण्डोमल गंगा राम बनाम में इलाहाबाद में न्यायपालिका। टोपामल

छोटामल 3 और मालिरेड्डी वेंकटपति और अन्य बनाम। मलिरेड्डी वीरय्या और अन्य-ए इस सिद्धांत के लिए कि प्रति-आपत्ति बनाए रखने वाला एक प्रतिवादी ऐसा तब कर सकता है जब प्रति-आपत्ति से प्रभावित व्यक्ति को पक्ष में लाया जाता है और पैराग्राफ 21 और 23 में निम्नानुसार आयोजित किया जाता हैः

" 21. हमने इन प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। इसके अलावा

यह प्रश्न कि क्या प्रत्यर्थी Nos.6 और 7 का इसमें कोई अधिकार था

संबंधित क्षेत्रों में, यह हमें लगता है कि बिल्कुल नहीं था

उनके अधिकारों, यदि कोई हो, के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना

अपीलार्थी सं. 1 के स्वामित्व में संबंधित भूमि को शामिल करना। यह.

अपीलार्थी सं. 1 होगा, जिसे संबंधित नुकसान उठाना पड़ेगा।

प्रत्यर्थी Nos.6 और 7 के दावों को समायोजित करने के बाद क्षेत्रफल, यदि

वह यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत उत्सुक था कि उन्हें वह मिले जो वह देना चाहता था।

उन्हें। न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश एक निर्देशित नहीं था प्रतिवादी Nos.6 और 7 के खिलाफ, लेकिन एक था जिसने प्रभावित किया

बालकृष्ण महाराज के मामले में गैर-सूचित निर्णय ऊपर उल्लिखित मंदिर, क्योंकि उस मामले में, तारासिंह था

एक किरायेदार, जो अधिशेष भूमि से पहले भी एक पक्ष था निर्धारण न्यायाधिकरण। इसलिए, हम कोई बल नहीं पाते हैं

प्रॉक्सी के रूप में अपीलार्थियों की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ उत्तरदाता का Nos.6 और 7।

XXX

XXX

XXX

23. संक्षेप में, हम उस विभाजन की वैधता को दिनांकित 31-1 मानते हैं।

1970 न्यायाधिकरण द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। वह सब जो न्यायाधिकरण ने

3 ए. आई. आर. 1953 अल्लाहाब 710

4 आकाशवाणी 1943 मद्रास 609 [2019] 11 एस. सी. आर.

और विद्वान एकल न्यायाधीश को इस तथ्य को ध्यान में रखना था कि भूमि अपीलार्थियों के पास बनी रही क्योंकि प्रत्यर्थी Nos.6 और 7 का अपीलार्थियों के परिवार से कोई अलगाव नहीं था। जहां तक अदालत की बात है-प्रति-आपत्ति पर शुल्क, हालांकि हम अस्वीकार करते हैं न्यायाधिकरण की टिप्पणियों के अनुसार, दोष ठीक किया जा सकता है और अपीलार्थियों को भूमि के एक हिस्से को अपने कब्जे में लेने में मदद नहीं कर सकता है, जो राज्य को वितरण के लिए उपलब्ध होना चाहिए। प्रत्यर्थी Nos.6 और 7 प्रति-आपत्ति के लिए आवश्यक पक्ष नहीं थे, पहला, संपत्तियों में स्थायी हित के अभाव के कारण, और दूसरा,

क्योंकि अपीलकर्ताओं पर विश्वास किया जा सकता था कि वे अपनी बेटियों के हितों का ध्यान अपनी संपत्ति से रखें, न कि "पॉल को भुगतान करने के लिए पीटर को लूटना" के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अंत में, क्षेत्र सर्वेक्षण सं. के बहिष्करण का दावा। 106 सावंगी का यह तर्क देते हुए कि 20-1-1955 दिनांकित उपहार वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि उसी समय 30-1-1970 दिनांकित दस्तावेज़ के बारे में एक बिल्कुल विपरीत रुख लेना, गर्म हवा देने के बराबर है।

और एक ही सांस में ठंड। और इस आधार पर अपील खारिज कर दी गई।

अपीलार्थियों की सामग्री

24. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा संबोधित तर्क इस प्रकार हैं:

31.01.1970 पर एक विभाजन दर्ज और पंजीकृत किया गया था। इसके तहत श्री की बेटियों के लिए कुछ भूमि अलग कर दी गई है।

पंजीकृत विभाजन विलेख दिनांक 31.01.1970 को परिवार इकाई द्वारा भूमि धारण की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वह यह इंगित करके अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं कि विधानमंडल ने कट ऑफ तिथि तय कर दी है जिसके बाद विभाजन विलेख को इस उद्देश्य के लिए नजरअंदाज कर दिया जाएगाः छत सीमा की गणना। वास्तव में, अधिनियम की धारा 11 में घोषणा की गई है कि 26 सितंबर, 1970 के बाद कोई भी विभाजन माना जाएगा।

जब तक कि इसके विपरीत संशोधन अधिनियम, 1972 और विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टी. एच. आर. के उद्देश्य से बचने या उसे विफल करने के लिए पूर्वानुमेय साबित नहीं किया गया हो।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

तदनुसार उपेक्षा की जाएगी। नतीजतन, इस तरह से आच्छादित भूमि

विभाजन, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, परिवार द्वारा धारित भूमि होगी। अपीलकर्ताओं ने अधिनियम की धारा (10) द्वारा आगे रखा जो फिर से 26.09.1970 को उस तारीख के रूप में मानता है जिसके बाद हस्तांतरण किया जाता है।

के उद्देश्य को हराने के लिए निष्पादित के रूप में अशक्त माना जाएगा

संशोधन अधिनियम, 1972। अधिनियम की धारा 10 आगे यह घोषणा करने के लिए आगे बढ़ती है कि इस तरह के हस्तांतरण की अनदेखी करते हुए अधिकतम सीमा खाते का निर्धारण किया जाएगा। जहाँ तक अधिनियम की धारा 8 का संबंध है, यह स्थानांतरण के खिलाफ निर्देशित है। प्रारंभ तिथि को या उसके बाद किया गया, अर्थात। , 02.10.1975 . स्पष्टीकरण इस धारा के उद्देश्य के लिए "स्थानांतरण" शब्द के अर्थ को सबसे व्यापक तरीके से प्रदान करता है और मुझे उक्त परिभाषा की रूपरेखा से आगे रोके जाने की आवश्यकता नहीं है।

अपीलार्थियों का तर्क है कि विचाराधीन विधान अनुचित है। इसलिए, इस तरह की प्रतिमा की व्याख्या, निस्संदेह, स्पष्ट प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करके की जानी चाहिए, लेकिन यह उससे आगे नहीं जा सकती है। दूसरे शब्दों में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभाजन विलेख, इस मामले में विवाद के केंद्र में, निष्पादित किया जाता है और 31.01.1970 पर 26.09.1970 से बहुत पहले और प्रारंभ के दिन से कई साल पहले पंजीकृत किया जाता है, विभाजन विलेख को परिणामी रूप से पूरा संचालन दिया जाना चाहिए। विभाजन विलेख के तहत बड़ी बेटियों को आवंटित की गई संपत्तियों को परिवार इकाई के खाते से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उक्त दिन तक बड़ी बेटियां बालिग हो चुकी थीं और अब परिवार इकाई के सदस्य नहीं हो सकती थीं।

25. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी के लिए कोई मामला नहीं है-यह बताएँ कि विभाजन एक सांठगांठ था। अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाया गया आगे का तर्क यह है कि न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी-राज्य की प्रति-आपत्ति को अनुमति देने में अवैध रूप से काम किया और उसके बाद यह अभिनिर्धारित किया कि 31.01.1970 दिनांकित विभाजन विलेख को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। 26. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि एक कानूनी कल्पना को उस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिसके लिए यह किया गया है

बनाया गया था। इस संबंध में, अपीलकर्ताओं ने निम्नलिखित मामले कानून बिहार इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड पर भरोसा किया। बिहार राज्य और अन्य 3;

आय आयुक्त-कर बनाम। बॉम्बे सिटी I, बॉम्बे बनाम। अपने उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा अमरचंद एन. श्रॉफ;

5 (1955) 2 एससीआर 603

6 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1448 [2019] 11 एस.

आयकर, कानपुर बनाम। मदर इंडिया रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज (पी) Ltd.7; बिजेंद्र सिंह बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य 3.

27. यह भी तर्क दिया जाना चाहिए कि कानूनी का उद्देश्य

इसे बनाने वाले प्रावधानों की सरल भाषा से कल्पना का पता लगाया जाना चाहिए (आयकर आयुक्त, दिल्ली बनाम देखें। एस. तेजा सिंह ')। 28. इस बात की परवाह किए बिना कि क़ानून का उद्देश्य कितना फायदेमंद हो सकता है, काल्पनिक कल्पना को इस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है -

जहाँ भाषा अस्पष्ट है (देखें (2009) 1 एससीसी 540)। इन सिद्धांतों के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। राज्य की सामग्री

30. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य का विद्वान वकील उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन करने की कोशिश करेगा। वह इंगित करेंगे कि तथाकथित विभाजन विलेख दिनांक 31.01.1970 के बावजूद और उसके बावजूद, यह पिता ही थे जो कब्जे में बने रहे और आय लेते रहे। वह समान रूप से खेती कर रहा था। इसलिए विभाजन विलेख एक चाल थी और इसे भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए और बड़ी बेटियों को आवंटित भूमि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जो कि न्यायाधिकरण द्वारा किया गया है और जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। उन्होंने कहा कि अदालत को इस तथ्य को नजरअंदाज करना चाहिए कि यह कानून एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य भूमिहीनों को भूमि पर संपत्ति का अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाना है और उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

'अधिनियम': एकर स्थापना आ परिवर्तन सँ पहिने सँ एकर नियंत्रण भऽ गेल अछि।

31. अधिनियम की योजना की सराहना करना आवश्यक है। अधिनियम

इसे वर्ष 1961 में लागू किया गया था। धारा 2 (4) ने नियत दिन को परिभाषित किया

7 (1985) 4 एससीसी 1

8 (2005) 3 एस. सी. सी. 685 9 ए. आई. आर 1959 एस. सी. 352

10 1 0 (1996) 6 एस. सी. सी. 185 अलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टी. एच. आर. शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]जिसका अर्थ है "जिस दिन यह अधिनियम लागू होता है"। यह अधिनियम 26.01.1962 पर लागू हुआ। यह ध्यान देने योग्य है कि 1961 में अधिनियमन के बाद कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके प्रभाव, धारा 3,4 और 5 के प्रावधानों को इस प्रकार समझें

मैली अधिनियमित का उल्लेख यहाँ नीचे किया गया हैः -

धारा 3 इस प्रकार हैः -

" अधिक न्यायसंगत वितरण प्रदान करने के लिए

राज्य के किसानों के बीच कृषि भूमि

महाराष्ट्र (और विशेष रूप से, भूमिहीन व्यक्तियों को प्रदान करने के लिए) यदि व्यक्तिगत खेती के लिए भूमि दी जाती है), तो इस अधिनियम के प्रारंभ पर, इस सीमा तक और इसके बाद दिए गए तरीके से, अधिकतम सीमा (या अधिकतम सीमा) लागू की जाएगी।

पूरे राज्य में कृषि भूमि का स्वामित्व। ”

धारा 4 इस प्रकार हैः

" 4 (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि नहीं रखेगा, जैसा कि इसके बाद दिए गए तरीके से निर्धारित किया गया है।

स्पष्टीकरण। - एक व्यक्ति किसी भी हद तक छूट प्राप्त भूमि रख सकता है।

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति के पास अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक की सभी भूमि अधिशेष भूमि मानी जाएगी, और इसके साथ उस तरीके से निपटा जाएगा जिसके लिए इसके बाद प्रावधान किया गया है -

अधिशेष भूमि "।

धारा 5 छत क्षेत्र के लिए प्रदान की गई है

अध्याय III, जिसमें धारा 8 और 911 आती हैं, ध्यान देने योग्य है। " 8. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास नियत दिन या उसके बाद भूमि हो।

छत क्षेत्र की अधिकता, उस दिन या उसके बाद हस्तांतरित होगी या

किसी भी भूमि का विभाजन तब तक करें जब तक कि छत से अधिक भूमि न हो

अधिनियम के तहत निर्धारित;

जीवन "। नियत दिन, यह देखा गया है कि 26 वां दिन था

एरी, 1962।

" 9. कोई भी व्यक्ति नियत दिन पर या उसके बाद किसी भी समय, हस्तांतरण या विभाजन द्वारा किसी भी भूमि का अधिग्रहण, यदि उसके पास पहले से ही भूमि है

छत क्षेत्र से अधिक, या भूमि जो किसी के साथ मिलकर

क्षेत्र। स्पष्टीकरण। - इस खंड में, "स्थानांतरण" और "विभाजन" में है

वही अर्थ जो धारा 8 में है।

धारा 12 अध्याय चतुर्थ के अंतर्गत अध्याय शीर्षक अधिशेष के अंतर्गत आती है।

और इसमें विवरणी दाखिल करने का प्रावधान था।

दूरगामी परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है जो थे

महाराष्ट्र अधिनियम सं। 1975 का XXI। प्रस्तावना

इस प्रकार हैः

" जबकि, महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र

कृषि भूमि (जोत पर अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1961

पहली बार, जनहित में अधिकतम सीमा (या अधिकतम सीमा) कृषि भूमि के स्वामित्व पर, और अधिग्रहण के लिए प्रावधान किया गया

वितरण के लिए अधिकतम सीमा से अधिक रखी गई भूमि

राज्य के किसानों के बीच, और विशेष रूप से

भूमिहीन व्यक्ति; और उसमें वर्णित अन्य उद्देश्यों के लिए; और जहाँ तक, अब इसे सार्वजनिक रूप से कम करना समीचीन है

राज्य में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए कृषि भूमि अधिशेष के रूप में, ताकि अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा सके

भूमि, और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से, और

जिससे भूमिहीन और अन्य व्यक्तियों की अधिक प्रभावी ढंग से सहायता की जा सके।

और आम तौर पर कृषि को वितरित करने के उद्देश्य से

समुदाय के संसाधन जो आम लोगों के लिए सबसे अच्छे हैं अच्छा है, और साधनों की एकाग्रता को रोकने के लिए भी

कृषि उत्पादन और आम नुकसान के लिए धन "।

(जोर दिया गया)

यह उस दिन लागू होना था, जिस दिन इसे अधिसूचित किया गया था। वह आ गया।

19/09/1975 से।

32. अधिनियम की धारा 2 (6 ए) "प्रारंभ तिथि" को परिभाषित करती है।

अर्थात अक्टूबर, 1975 का दूसरा दिन।

33. " अधिनियम की धारा 2 (11) में "परिवार" को परिभाषित किया गया हैः

अलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 2 (11) " "परिवार" में एक हिंदू अविभाजित परिवार शामिल है, और अन्य व्यक्तियों के मामले में, एक समूह या इकाई जिसके सदस्य प्रथा के अनुसार हैं।

या उपयोग, संपत्ति या कब्जे या निवास में संयुक्त हैं;

34. धारा 2 (14) पर विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया जाता है

और यह "भूमि धारण करने" शब्दों को परिभाषित करता हैः

" 2 (14) " भूमि को धारण करने के लिए ", इसके व्याकरणिक भिन्नताओं और संज्ञानात्मक के साथ

मालिक के रूप में या किरायेदार के रूप में; और "होल्डिंग" का अर्थ लगाया जाएगा तदनुसार;

35. राज्य द्वारा धारा 2 (21) पर भी भरोसा किया गया है जो "एर" शब्द को परिभाषित करता हैः

" 2 (21) " किसी भी भूमि के संबंध में "स्वामी" में अधिभोग के रूप में भूमि धारण करने वाला व्यक्ति, 4 [या संहिता में परिभाषित उच्चतर धारक], या सरकार के पट्टेदार के रूप में, एक बंधक-कब्जे वाला, और एक - अपने रखरखाव के लिए भूमि रखने वाला व्यक्ति;

36. धारा 3 (1) में एनजी भूमि के मामले में वास्तविक निषेध शामिल है और यह निम्नानुसार हैः

" 3 (1) इस अध्याय और अध्याय III के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति या परिवार इकाई, प्रारंभ की तारीख के बाद, ऐसा नहीं करेगी

छत क्षेत्र से अधिक भूमि, जैसा कि तरीके से निर्धारित किया गया है

इसके बाद प्रदान किया गया।

स्पष्टीकरण। - एक व्यक्ति या पारिवारिक इकाई के पास छूट प्राप्त भूमि हो सकती है।

किसी भी हद तक "।

37. धारा 3 (3) भी प्रकाश डाल सकती हैः

" (3) जहाँ कोई जमीन हो।

(क) एक परिवार द्वारा आयोजित किया जाता है जिसका एक व्यक्ति सदस्य है,

(बी) एक सहकारी समिति में आयोजित या संचालित है जिसमें से एक

व्यक्ति एक सदस्य है,

(ग) एक व्यक्ति द्वारा दूसरों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, ((घ) किसी व्यक्ति द्वारा किसी फर्म में भागीदार के रूप में रखा जाता है।

और खंड [2019] 11 एस. सी. आर. में दिए गए विवरणों में से किसी का उत्तर देते हुए भूमि में ऐसे व्यक्ति के हिस्से की सीमा, यदि कोई हो, सहित ऐसे व्यक्ति या परिवार इकाई की स्वामित्व, जिसमें ऐसा व्यक्ति सदस्य है।

(a), (b), (c) या (d) ऊपर] छत क्षेत्र से अधिक है

प्रारंभ की तारीख या उसके बाद की किसी तारीख को (इसके बाद)

के संबंध में छत क्षेत्र और अधिशेष भूमि का निर्धारण उस भूमि में ऐसे व्यक्ति के हिस्से की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगीः

((क) परिवार द्वारा धारित भूमि, जिसमें वह व्यक्ति सदस्य है, में परिवार के प्रत्येक सदस्य का हिस्सा इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि प्रत्येक सदस्य, जो विभाजन पर हिस्से का हकदार है, को अपने हिस्से की सीमा तक अलग-अलग भूमि का स्वामी माना जाए, जैसे कि भूमि को इस प्रकार विभाजित किया गया था और संबंधित तिथि पर अलग-अलग रखा गया था।

((ख) किसी सहकारी समिति द्वारा धारित या संचालित भूमि में या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से धारित या किसी फर्म द्वारा धारित भूमि में, व्यक्ति के हिस्से को उस भूमि की सीमा के रूप में लिया जाएगा जो ऐसा व्यक्ति सहकारी समिति में अपने हिस्से के अनुपात में, या संयुक्त हिस्सेदारी में अपने हिस्से या फर्म में भागीदार के रूप में अपने हिस्से के अनुपात में रखेगा, जैसे कि भूमि को इस तरह विभाजित किया गया था और अलग से।

संबंधित तिथि पर आयोजित किया गया "।

38. धारा 5 "छत क्षेत्र" के लिए प्रावधान करती है। धारा 5 (1) और 5 (2)

इस प्रकार हैः

" 5. छत क्षेत्र। - (1) पहली अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक जिले और तालुकों में, कॉलम 2,3,4,5 और 6 में वर्णित भूमि के प्रत्येक वर्ग के लिए, अधिकतम सीमा क्षेत्र भूमि के प्रत्येक ऐसे वर्ग के तहत उल्लिखित क्षेत्र होगा।

जिला या तालुका।

(2) यदि किसी व्यक्ति या परिवार की इकाई के पास केवल एक वर्ग की भूमि है, तो उसके स्वामित्व के लिए अधिकतम सीमा क्षेत्र उस वर्ग की भूमि के लिए अधिकतम सीमा क्षेत्र होगा। 39. अब मैं अधिनियम की धारा 8,9,10 और 11 को नोट कर सकता हूं, जो

पहले के प्रावधानों का उल्लेख कियाः

" 8.स्थानांतरण पर प्रतिबंध। - जहाँ कोई व्यक्ति, या जैसा भी मामला हो सकता है

हो सकता है, एक पारिवारिक इकाई छत क्षेत्र से अधिक भूमि रखती है या प्रारंभ की तारीख के बाद, ऐसा व्यक्ति, या जैसा भी मामला हो, परिवार इकाई का कोई भी सदस्य, उस तारीख को और उसके बाद, किसी भी भूमि का हस्तांतरण नहीं करेगा, जब तक कि अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि न हो।

इस अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाता है।

अलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @SUSHMA v. महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

पहले से ही ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित भूमि, या जैसा भी मामला हो, पारिवारिक इकाई, कुल अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक होगी। स्पष्टीकरण। इस धारा में हस्तांतरण का वही अर्थ है जो धारा 8 में है।

10. भूमि के कुछ हस्तांतरण और अधिग्रहण के परिणाम। (1) अगर

(क) 26 वें दिन के बाद कोई भी व्यक्ति या परिवार इकाई का सदस्य

सितंबर 1970 का लेकिन प्रारंभ की तारीख से पहले, किसी भी भूमि का हस्तांतरण या उससे बचने के लिए या

संशोधन अधिनियम, 1972 के उद्देश्य को विफल करना या

(ख) किसी भी भूमि को धारा 8 का उल्लंघन करते हुए हस्तांतरित किया जाता है, तब, उस व्यक्ति के अधिकतम सीमा क्षेत्र की गणना में, या

मामला हो सकता है, परिवार इकाई, भूमि को धारण करने का हकदार है, इसलिए

अंतरण को ध्यान में रखा जाएगा और इस प्रकार गणना की गई अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि मानी जाएगी।

उस होल्डिंग के लिए छत क्षेत्र से अधिक होना,

इसके बावजूद कि उसके पास या परिवार इकाई के पास बची हुई भूमि वास्तव में छत क्षेत्र से अधिक नहीं हो सकती है।

यदि इस तरह के हस्तांतरण के कारण, किसी व्यक्ति की, या जैसा भी मामला हो, पारिवारिक इकाई की हिस्सेदारी इस प्रकार गणना किए गए क्षेत्र से कम है। अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक होने पर, व्यक्ति की पूरी भूमि, या परिवार इकाई, जैसा भी मामला हो, ऐसी मानी जाएगी -

अधिशेष भूमि; और इस प्रकार हस्तांतरित और हस्तांतरणकर्ता के कब्जे वाली भूमि में से [जब तक कि ऐसी भूमि उप-धारा (3) के प्रावधानों के तहत ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी न हो], ऐसी कमी की सीमा तक भूमि, उस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन,

अधिशेष भूमि मानी जाती है, इसके बावजूद कि हस्तांतरणकर्ता का स्वामित्व वास्तव में अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक नहीं हो सकता है। स्पष्टीकरण। – खंड (क) के प्रयोजनों के लिए 'हस्तांतरण' का वही अर्थ है जो धारा 8 में है।

26 सितंबर, 1970 के बाद, लेकिन प्रारंभ की तारीख से पहले किए गए सभी हस्तांतरणों को (जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए) संशोधन अधिनियम, 1972 के उद्देश्य से बचने या उसे विफल करने के लिए किया गया माना जाएगा।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी हस्तांतरण को 26 सितंबर 1970 को या उससे पहले किया गया नहीं माना जाएगा यदि हस्तांतरण का प्रमाण देने वाला दस्तावेज या तो पंजीकृत नहीं है या नहीं है।

उस तारीख से पहले या जहां उस तारीख के बाद इसे पंजीकृत किया जाता है, इसे उक्त तारीख को या उससे पहले पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

(2) यदि प्रारंभ की तारीख को या उसके बाद किसी व्यक्ति के पास, या जैसा भी मामला हो, अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक पारिवारिक इकाई के कब्जे में है, या यदि उस तारीख को या उसके बाद किसी भूमि के अधिग्रहण (वसीयती स्वभाव से, या मृत्यु पर हस्तांतरण, या कानून के संचालन द्वारा) के परिणामस्वरूप, किसी व्यक्ति के कब्जे में भूमि का कुल क्षेत्र व्यक्ति, या, जैसा भी मामला हो, एक परिवार इकाई, अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक है, तो इतनी अधिक भूमि अधिशेष भूमि होगी।

(3) जहां धारा 9 का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके लिए दंड के रूप में, व्यक्ति का अधिकार, स्वामित्व और हित, या इस तरह से अधिग्रहित या प्राप्त भूमि में उसका कोई सदस्य, अध्याय 4 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जब्त कर लिया जाएगा, और राज्य सरकार में बिना किसी आश्वासन के निहित होगाः बशर्ते कि, जहां ऐसी भूमि पर बोझ है, वहां कलेक्टर ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझे और धारक और उस व्यक्ति को सुनने के बाद जिसके पक्ष में अलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर है।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

उसके द्वारा बोझ डाला जाता है, यह निर्देश देते हुए कि धारक की किसी अन्य भूमि में धारक का अधिकार, स्वामित्व और ब्याज धारा 9 के जानबूझकर उल्लंघन में अधिग्रहित भूमि के बराबर है,

सरकार को ज़ब्त कर दिया जाएगा।

11. विभाजन पर प्रतिबंधः - जहां 26 सितंबर, 1970 के बाद किसी परिवार द्वारा धारित किसी भूमि का विभाजन किया जाता है, वहां इस प्रकार किया गया विभाजन (जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो) संशोधन अधिनियम, 1972 के उद्देश्य से बचने या उसे विफल करने के लिए किया गया माना जाएगा और तदनुसार इसकी उपेक्षा की जाएगी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे विभाजन के दायरे में आने वाली किसी भी भूमि को परिवार द्वारा धारित भूमि माना जाएगा।

और परिवार द्वारा धारित भूमि में प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से की सीमा को धारा 3 के प्रावधान के अनुसार अधिकतम सीमा क्षेत्र की गणना करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विभाजन का अर्थ है पक्षों के कार्य द्वारा भूमि का कोई विभाजन, और इसमें न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण की डिक्री या आदेश द्वारा किया गया विभाजन भी शामिल है।

40. अध्याय IV में आने वाली धारा 12 प्रस्तुत करने से संबंधित है -

एन. एस. और विवरणी प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है। धारा 12 (1) इस प्रकार है

वीएसः

इकाई - (1) (क) सितम्बर 1970 के 26 वें दिन के बाद किसी भी समय लेकिन

प्रारंभ होने की तारीख से पहले, या

(ख) प्रारंभ की तारीख को या उसके बाद, किसी भी भूमि (किसी भी छूट प्राप्त भूमि सहित) का अधिग्रहण करता है, धारण करता है या कब्जे में आता है। छत क्षेत्र की अधिकता, या "

41. धारा 14 कलेक्टर को रखने की शक्ति प्रदान करती है।

y:

" 14. कलेक्टर की जाँच करने की शक्ति। - (1) जितनी जल्दी हो सके धारा 12 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति या धारा 13 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आगे की अवधि के बाद, कलेक्टर या तो स्वतः संज्ञान लेगा कि क्या विवरणी दाखिल की गई थी या नहीं या] दोनों के तहत उसे प्रस्तुत विवरणी के आधार पर।

11 एस. सी. आर. उन धाराओं का, और ऐसा अभिलेख जिस पर वह विचार करे।

प्रत्येक के संबंध में एक जांच करने के लिए आवश्यक

व्यक्ति 2 [या पारिवारिक इकाई] धारक और छत क्षेत्र से अधिक,

और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए,

ऐसे व्यक्ति द्वारा धारण की गई अधिशेष भूमि [या पारिवारिक इकाई।

(2) जहाँ किसी व्यक्ति या परिवार की इकाई के पास दो या दो से अधिक भूमि है। उसी जिले के तालुकों में, जांच ऐसे लोगों द्वारा की जाएगी

कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी या प्राधिकारी जो

जिले का प्रभारी कलेक्टर लिखित आदेश दे सकता है।

प्रभागों में, जाँच कलेक्टर द्वारा की जाएगी जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा

लिख

ना,

नामित करें। 5 [(4 ए) जहाँ एक व्यक्ति एक औद्योगिक में भूमि धारण करता है

वचन देते हुए, जाँच कलेक्टर द्वारा की जा सकती है जिसे

राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, नामित कर सकती है]। (5) द.

इस प्रकार नामित कलेक्टर, जाँच के प्रयोजनों के लिए, के संबंध में इस अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में सक्षम

6 ऐसा व्यक्ति [या पारिवारिक इकाई] और उसके द्वारा धारित भूमि [या उसके]।

42. इस प्रश्न पर विचार करने के लिए धारा 18 महत्वपूर्ण है।

टी निम्नानुसार पढ़ता हैः

धारा 14 के तहत सुनवाई के लिए, या किसी अन्य दिन या दिनों के लिए जिसके लिए जाँच स्थगित कर दी गई है, कलेक्टर, सुनवाई के बाद

धारक और अन्य इच्छुक व्यक्ति और जो उपस्थित हैं और कोई भी

प्रस्तुत साक्ष्य, निम्नलिखित मामलों पर विचार करें, अर्थात,

(क) भूमि का कुल क्षेत्रफल क्या है जो [धारक के पास था]

26 सितंबर, 1970 को;

(ख) क्या इस अवधि के बीच कोई भूमि हस्तांतरित की गई है

26 सितंबर 1970 का दिन और प्रारंभ की तारीख,

या 26 सितंबर 1970 के बाद विभाजित कोई भूमि,

छत क्षेत्र की गणना में विचार या उपेक्षा की जानी चाहिए जैसा कि धारा 10 की उप-धारा (1) या धारा 11; एस जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर द्वारा प्रदान किया गया है।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। राज्य AHARASTRA REVENUE & FOREST DEPT। [के. एम. जोसेफ, जे.]

क्या धारक का किसी परिवार द्वारा धारित या किसी सहकारी समिति द्वारा धारित या संचालित या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से धारित या किसी फर्म में भागीदार के रूप में धारित भूमि में कोई हिस्सा है; और इस तरह के हिस्से की सीमा;

प्रारंभ की तारीख को धारक द्वारा धारण की गई भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है?

धारा 8 या 11 का उल्लंघन करते हुए [धारक] और यदि ऐसा है, तो धारा [10 या धारा 11] की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत अधिकतम सीमा क्षेत्र की गणना करते समय क्या इस तरह से हस्तांतरित या विभाजित भूमि पर विचार किया जाना चाहिए या उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए? क्या प्रारंभ तिथि को या उसके बाद हस्तांतरण या विभाजन द्वारा किसी भूमि का अधिग्रहण या कब्जा किया गया है?

क्या कोई भूमि [प्रारंभ तिथि] को या उसके बाद वसीयती स्वभाव, मृत्यु पर हस्तांतरण या कानून के संचालन द्वारा अधिग्रहित की गई है? जाँच के समय धारित भूमि का कुल क्षेत्रफल क्या है, और भूमि का वह क्षेत्रफल क्या है जो [धारक] रखने का हकदार है?

क्या [धारक] द्वारा धारित किसी भूमि को धारा 10 की उप-धारा (3) के तहत या धारा 13 के तहत सरकार को जब्त किया जाना है, या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत अधिशेष भूमि मानी जानी चाहिए? क्या [धारक] द्वारा भूमि का प्रस्तावित प्रतिधारण धारा 16 के प्रावधानों के अनुरूप है?

[धारक] द्वारा धारित कुल भूमि में से कौन सी विशेष भूमि अधिशेष भूमि के रूप में परिसीमित होने का हकदार होना चाहिए?

कोई अन्य मामला जिस पर कलेक्टर की राय में अधिकतम सीमा क्षेत्र की गणना करने और किसी अतिरिक्त भूमि का परिसीमन करने के उद्देश्य से विचार करना आवश्यक है। ”

43. धारा 21 में प्रावधान है कि कलेक्टर को एक घोषणा करनी है

जांच के बाद अधिशेष भूमि, आदि।

44. धारा 22 किसी भी अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का प्रावधान करती है।

खंड भुगतान की प्रक्रिया और विधि प्रदान करता है।

45. अध्याय VI अध्याय शीर्षक "वितरण" के अंतर्गत आता है।

आरप्लस लैंड "।

46. प्राथमिकता सहित ध्यान में रखे जाने वाले मामलों का संकेत दिया जाता है। 47. अध्याय VII अपील के प्रावधान से संबंधित है।

48. धारा 33 में यह प्रावधान है कि आदेश के खिलाफ अपील की जाती है या

महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण के समक्ष कलेक्टर का डी। चूँकि प्रति आक्षेप को अनुमति देने में कथित रूप से की गई अवैधता के आधार पर तर्क का संबंध है, इसलिए इसे डी के रूप में संदर्भित किया जाता है जो इस प्रकार हैः

" 33. अपील करते हैं। - (1) किसी आदेश या पुरस्कार के विरुद्ध अपील

कलेक्टर महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण में झूठ बोलेंगे निम्नलिखित मामलेः

(1) धारा 131 की उप-धारा (2) और (3) के तहत एक आदेश [नहीं]

एक आदेश होने के नाते जो एक सही और सही वापसी है सभी विवरणों में पूर्ण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है;

(2) धारा 21 के अधीन कोई घोषणा [या उसका कोई भाग]; [(2 क)

धारा 21-ए के तहत एक आदेश;

(3) धारा 25 के तहत एक पुरस्कार; (4) भूमि के हस्तांतरण या विभाजन की मंजूरी से इनकार करने वाला आदेश

धारा 29;

(5) धारा 29 की उप-धारा (3) के तहत ज़ब्त करने का आदेश; (6) धारा 37 के तहत घोषणा या पुरस्कार का संशोधन;

और

(7) धारा 40 के अधीन संक्षिप्त निष्कासन का आदेश।

(1क) कोई भी प्रत्यर्थी, भले ही उसने निर्णय, आदेश, घोषणा या पुरस्कार के किसी भी हिस्से से अपील नहीं की हो, न केवल उसके खिलाफ तय किए गए किसी भी आधार पर निर्णय, आदेश, घोषणा या पुरस्कार का समर्थन कर सकता है, बल्कि उस निर्णय, आदेश, घोषणा या पुरस्कार पर क्रॉस आपत्ति ले सकता है जो वह अपील के माध्यम से ले सकता थाः

अलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

बशर्ते कि उन्होंने महाराष्ट्र में आपत्ति दर्ज कराई हो। राजस्व न्यायाधिकरण अपील की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन के नोटिस की सेवा की तारीख से तीस दिनों के भीतर, या ऐसा

जिस समय तक न्यायाधिकरण अनुमति देना उचित समझे और उसके बाद, पहली अनुसूची के आदेश 41, नियम 22 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, प्रति-आपत्ति के संबंध में लागू होगी क्योंकि वे नीचे दी गई प्रति-आपत्ति के संबंध में लागू होती हैं।

वह नियम (2) उप-धारा (1) के तहत अपील की प्रत्येक याचिका,

निर्णय, आदेश, घोषणा की प्रति के साथ या

अधिनिर्णय, जैसा भी मामला हो, जिसके विरुद्ध अपील की जाती है। (3) इस तरह की अपील पर निर्णय लेते हुए महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण

न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और सिविल संहिता के तहत मूल न्यायालय की डिक्री या आदेश से अपील पर निर्णय लेने में उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जिसका न्यायालय पालन करता है।

प्रक्रिया, 1908। (1908 का वी) "। 49. न्यायाधिकरण की शक्ति धारा 34 के तहत प्रदान की गई है, जो

इस प्रकार हैः

" 34. महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण की पुष्टि करने की शक्ति, आदि। - . महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण, एक अपील पर निर्णय लेते हुए

धारा 33 के तहत, निर्णय, आदेश, घोषणा या पुरस्कार या संशोधित घोषणा या पुरस्कार की पुष्टि, संशोधन या रद्द कर सकता है,

जैसा कि मामला हो सकता है "।

50. धारा 41 सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है और यह इस प्रकार है -

वीएसः

" 41. अधिकारिता का बार। - किसी भी दीवानी अदालत के पास किसी भी प्रश्न को निपटाने, निर्णय लेने या उससे निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो इसके द्वारा या इसके तहत है।

अधिनियम को निपटाने, तय करने या निपटाने की आवश्यकता है आयुक्त, कलेक्टर, न्यायाधिकरण, धारा 27, महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण या राज्य के तहत अधिकृत अधिकारी

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए एक दीवानी अदालत इसमें मामलातदार के अधीन गठित मामलातदार का न्यायालय शामिल है।

न्यायालय अधिनियम, 1906। (1906 का Bom.II) "[2019] 11 एस. सी. आर.

51. इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 44 (बी) वादियों आदि को बाहर करती है।

इसका पालन करें:

" धारा 44 बी: प्लीडर्स, ई. टी. सी. बहिष्कृत से अभिरुचि। - इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद

या कुछ समय के लिए लागू कोई कानून, कोई भी वकील इसके तहत किसी भी कार्यवाही में किसी भी पक्ष की ओर से उपस्थित होने का हकदार नहीं होगा।

प्राधिकृत अधिकारी, न्यायाधिकरण, कलेक्टर के समक्ष कार्य करना,

आयुक्त, राज्य सरकार या महाराष्ट्र

राजस्व न्यायाधिकरण: बशर्ते कि, जहां कोई पक्ष नाबालिग या पागल है, उसका अभिभावक उपस्थित हो सकता है, और किसी अन्य विकलांग व्यक्ति के मामले में, उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति

" प्लीडर में एक वकील, वकील, वकील या कोई अन्य कानूनी शामिल है।

अभ्यासी "।

52. परिभाषा खंड में जिन परिवर्तनों की शुरुआत की गई है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

जिसे 'प्रारंभ तिथि' के रूप में जोड़ा गया था, उसका अर्थ है जिस तारीख को संशोधन अधिनियम, 1972 लागू होता है। धारा 2 (11 ए) को अंतःस्थापित किया गया था और यह धारा 4 में वर्णित परिवार इकाई के अर्थ के लिए 'परिवार इकाई' को परिभाषित करने के लिए अभिप्रेत है।

धारा 2 (20) में 'परिवार के सदस्य' की परिभाषा थी -

प्रतिस्थापित किया गया और यह इस प्रकार है:

" (20) ' परिवार के सदस्य 'का अर्थ है पिता, माता, पति या पत्नी, भाई,

अविवाहित आश्रित बहन, तलाकशुदा और आश्रित बहन, बेटा, बेटे की पत्नी, अविवाहित बेटी, तलाकशुदा और आश्रित बेटी,

बेटों का बेटा, बेटे की अविवाहित बेटी, बेटे का तलाक और

आश्रित बेटी "। एक पूरी तरह से अलग अध्याय को अध्याय के रूप में जोड़ा गया

II. यह पूर्ववर्ती अध्याय के प्रतिस्थापन के माध्यम से किया गया था, संशोधन से पहले अधिनियम में निहित अध्याय।

विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

53. निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होंगे

न्यायालयः

1. क्या अधिनियम के तहत अधिकारियों के पास यह पता लगाने की शक्ति है

कि 26.9.1970 से पहले जो विभाजन किया गया था, वह बनावटी या मिली-जुली थी और इस तरह उसे नजरअंदाज कर दिया गया?

2. दिनांक 31.01.1970 के पंजीकृत विभाजन के बावजूद, क्या श्री विट्ठलदास की बड़ी बेटियों को आवंटित संपत्ति परिवार इकाई के खाते में शामिल होने के लिए उत्तरदायी है?

3. क्रॉस का क्या प्रभाव है-बड़ी बेटियों की अनुपस्थिति में राज्य की आपत्तियों को अनुमति दी जा रही है, के समक्ष अपील में

न्यायाधिकरण?

26.09.1970 से पहले अधिनियम के तहत प्राधिकरणों की शक्ति

विशेष रूप से धारा 3 में निहित और अधिशेष भूमि के वितरण से संबंधित अध्याय को अप्रभावी बना दिया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 11 के तहत विभाजन के संबंध में भी यही स्थिति है। भले ही कोई वास्तविक विभाजन हो जिसके द्वारा वास्तव में शेयर आवंटित किए जाते हैं पक्षकार और पक्षकार जो पहले संयुक्त स्वामित्व था, उसके अलग-अलग मालिकों के रूप में संपत्तियों का आनंद लेते हैं, उनके अधिकारों को समाहित किया जाएगा और

अधिनियम की धारा 3 में अंतर्निहित प्रशंसनीय उद्देश्य से अभिभूत और निषेध का पूरा प्रभाव होगा।

55. मैंने अधिनियम की धारा 18 के तहत कलेक्टर द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों पर ध्यान दिया है। खंड (ए) और (बी) के अलावा, वह अन्य मामलों का पता लगाने के लिए कर्तव्यबद्ध है। अधिनियम [2019] की धारा 18 का खंड (सी) 11 एस. सी. आर.

विशेष रूप से आदेश दिया गया है कि अधिकारी को यह पता लगाना चाहिए कि कुल क्या है

प्रारंभ तिथि पर धारक द्वारा धारित भूमि का क्षेत्र। खंड (1)

अधिनियम की धारा 18 में यह भी विचार किया गया है कि कलेक्टर किसी भी अन्य मामले पर विचार कर सकता है जो उसकी राय में आवश्यक है।

छत क्षेत्र की गणना करने के लिए। अधिनियम की धारा 3 में पढ़ा गया

धारा 18 (सी) और (1) के साथ संयोजन, अन्य बातों के साथ, यह स्थापित करता है कि कलेक्टर के पास शक्ति है और यह उसका कर्तव्य बन जाता है, वास्तव में, यह पता लगाने के लिए कि नियत दिन पर कौन सा क्षेत्र आयोजित किया जाता है। , 02.10.1975 . मैंने देखा है कि विधानमंडल ने "धारण करने" शब्दों को परिभाषित किया है, जिसका अर्थ है "मालिक या किरायेदार के रूप में भूमि के वास्तविक कब्जे में कानूनी रूप से होना"। "स्वामी" शब्द का अर्थ आगे परिभाषित किया गया है, "किसी भी भूमि के संबंध में एक व्यक्ति शामिल है जो भूमि को अधिभोगकर्ता, वरिष्ठ धारक के रूप में धारण करता है जैसा कि में परिभाषित किया गया है। संहिता, सरकार का पट्टेदार, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है "। यदि व्यक्ति भूमि पर कब्जा कर रहा है, तो वह मालिक होगा। 'अधिभोगकर्ता' शब्द को कोड में इसकी परिभाषा के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। यह है।

उल्लेखनीय है कि 'स्वामी' शब्द में निर्दिष्ट श्रेणियां शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति मालिक है जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, तो वह है

समझ में आया। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति नियत दिन के रूप में एक अधिभोगकर्ता के रूप में कब्जे में है, तो अधिकतम सीमा की गणना करने के उद्देश्य से उसके पास इस तरह से रखी गई भूमि की सीमा पर विचार किया जाएगा। समान रूप से, यदि व्यक्ति सरकार के पट्टेदार के रूप में कब्जे में है, तो उसे खर्च करना होगा अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन, यदि उसके पास अधिकतम सीमा से अधिक भूमि है, जिसमें वह भूमि भी शामिल है जिसे वह पट्टेदार के रूप में रखता है।

सरकार। कब्जा में बंधक रखने वाले और अपने रखरखाव के लिए भूमि रखने वाले व्यक्ति के संबंध में भी यही स्थिति है।

56. कलेक्टर, इसलिए, इस क्रम में कर्तव्यबद्ध है

पूछताछ करने और यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में होल्डिंग क्या है (जैसे

कानून बनाना और कानून के इरादे का पता लगाना, अदालत को चाहिए कुछ अनुमानों को ध्यान में रखें। न्यायालय यह मान लेगा कि

विधायिका ने उस समय की महसूस की गई आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है।

यह आगे यह मान लेगा कि विधानमंडल को कानून के बारे में पता था क्योंकि यह मौजूद है। यह इस धारणा के साथ शुरू नहीं होगा कि विधानमंडल कानून के बिंदुओं पर अदालतों द्वारा व्यक्त की गई राय से अनजान है। यह मान लिया जाएगा कि विधानमंडल दिए गए निर्णयों से अवगत था

कानून के बिंदुओं पर अदालतों द्वारा।

विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

57. श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड, मदुरै बनाम. के आयुक्त

आयकर, मद्रास ", इस न्यायालय के पास इस बात पर विचार करने का अवसर था कि" बेनामी "शब्द का अर्थ क्या हैः

" 30. अब, इस तर्क में अंतर्निहित धारणा यह है कि

न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में पाया था कि मध्यस्थ थे

अपीलार्थियों के लिए बेनामीदार, लेकिन इसमें इसका कोई आधार नहीं है

आदेश दिया। इस संबंध में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शब्द

' 'बेनामी' का उपयोग लेनदेन के दो वर्गों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो

अपने कानूनी चरित्र और घटनाओं में एक दूसरे से अलग हैं। में।

एक अर्थ में, यह एक ऐसे लेन-देन को दर्शाता है जो वास्तविक है, उदाहरण के लिए जब ए बी को संपत्ति बेचता है लेकिन बिक्री विलेख में एक्स का उल्लेख किया जाता है

खरीदार। यहाँ बिक्री अपने आप में वास्तविक है, लेकिन वास्तविक है

खरीदार बी है, एक्स उसका बेनामीदार है। यह वर्ग है

लेनदेन जिन्हें आमतौर पर बेनामी कहा जाता है। लेकिन शब्द

' 'बेनामी' का भी कभी-कभी उपयोग किया जाता है, शायद बिल्कुल सटीक नहीं,

नकली लेन-देन को संदर्भित करने के लिए, उदाहरण के लिए, जब ए का उद्देश्य है अपनी संपत्ति बी को इस इरादे के बिना बेचना कि उसका अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए

या बी को पास करें इन दोनों के बीच मौलिक अंतर

संचालनात्मक हस्तांतरण जिसके परिणामस्वरूप हस्तांतरणकर्ता को शीर्षक दिया जाता है, उत्तरार्द्ध में ऐसा कोई नहीं है, हस्तांतरणकर्ता को बनाए रखना जारी है

हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के बावजूद शीर्षक। यह है।

केवल पूर्व वर्ग के मामलों में कि यह आवश्यक होगा, जब

एक विवाद उत्पन्न होता है कि क्या विलेख में नामित व्यक्ति है वास्तविक हस्तांतरणकर्ता या बी, इस सवाल की पूछताछ करने के लिए कि कौन

हस्तांतरण, एक्स या बी के लिए विचार का भुगतान किया। लेकिन बाद में

मामलों का वर्ग, जब सवाल यह है कि क्या स्थानांतरण है

असली या नकली, निर्णय का मुद्दा यह होगा, न कि किसने भुगतान किया

प्रतिफल लेकिन क्या कोई प्रतिफल दिया गया था।

(जोर दिया गया)

58. कलवा देवदत्तम और अन्य में v. भारत संघ और

अन्य 1 2, मामला आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 25 ए, 67 और 30 के तहत उठा। जो सवाल उठे उनमें से एक यह था कि क्या

उक्त मामले में शामिल विभाजन बनावटी था। उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए परिस्थितियों पर भरोसा किया कि उक्त मामले में शामिल विभाजन का विलेख, हालांकि पंजीकृत था, नाममात्र का था। का उद्देश्य

11 आकाशवाणी 1957 एससी 49 12 ए. आई. आर 1964 एस. सी. 880 [2019] 11 एस. सी. आर.

यह तर्क दिया गया था कि विभाजन नाबालिग बेटों के हितों की उस पिता से रक्षा करने के लिए था जो परिवार के साथ भी नहीं रह रहा था और था अपने बेटों के नुकसान के लिए कार्य करना। हालांकि विलेख में स्पष्ट रूप से समान मूल्य के चार शेयरों में संपत्ति का समान वितरण दिखाया गया था, लेकिन नागप्पा के हिस्से को आवंटित संपत्ति वास्तव में दिखाई गई राशि के लायक नहीं थी। यह पाया गया कि नागप्पा का इरादा आयकर विभाग को यह दिखाना था कि कदम उठाने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। पाठ्यक्रम में, न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः

साक्ष्य द्वारा प्रकट परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विभाजन पर पहुँचने का कोई कारण नहीं था। वादियों के लिए वकील

व्यावहारिक रूप से उस तथ्य को स्वीकार किया, और प्रस्तुत किया कि नागप्पा का

अपने लेनदारों को हराने की इच्छा, और उसके लिए संपत्ति बचाने की इच्छा

बेटों, विभाजन के विलेख को लाने का वास्तविक कारण था

अस्तित्व। लेकिन वकील ने दावा किया कि नागप्पा ने गोद लिया था डालने के उद्देश्य के साथ एक विभाजन को प्रभावित करने का समीचीन

संपत्ति अपने लेनदारों की पहुंच और वास्तविकता से बाहर है

उस विभाजन को धुंधला करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

नागप्पा की अमूल्य वस्तु। लेकिन निरंतर प्रबंधन

विभाजन के बाद से नागप्पा द्वारा संपत्ति और ब्याज मुकदमों को चलाने में उसके द्वारा दिखाया गया स्पष्ट रूप से समर्थन करता है

यह निष्कर्ष कि विभाजन का विलेख एक नाममात्र का लेन-देन था

जिस पर कभी कार्रवाई करने का इरादा नहीं था और न ही दिया गया था

प्रभाव पड़ता है। ..... ”

(जोर दिया गया)

59. विधायिका, जब उसने अधिनियम को अधिनियमित किया था, तो यह अनुमान लगाया जाना चाहिए

कानून की स्थिति को यह जानने के लिए कि बिक्री या पट्टे या बंधक के माध्यम से एक हस्तांतरण विलेख, एक नाममात्र और एक नकली लेनदेन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। नकली लेन-देन में, चाहे वह बिक्री हो या विभाजन, हालांकि इसमें हस्तांतरण या विभाजन के सभी गुण हैं और इसे इस तरह से पंजीकृत किया जा सकता है, वास्तव में, हस्तांतरणकर्ता मालिक बना रहता है। वह व्यक्ति जो पिछला मालिक था, विभाजन

के मामले में, जो नकली है, मालिक बना रहेगा। एक चतुर छलावरण या एक बिक्री या विभाजन के रूप में छद्म रूप से प्रच्छन्न दस्तावेज़ को विधानमंडल के इरादे को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि आसपास की परिस्थितियों और लेन-देन के पीछे की वास्तविक वास्तविकता की निष्पक्ष रूप से जांच की जाती है और यह स्थापित किया जाता है कि हस्तांतरणकर्ता या पिछले मालिक, जैसा कि मामला विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर है।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

हो सकता है कि हस्तांतरण या विभाजन के मामले में, क्रमशः, नियत दिन पर संपत्ति को बनाए रखना जारी रखा जाए, इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

60. एक नकली लेन-देन वह साबित होता है जब नियत दिन की शुरुआत को निश्चित रूप से इस तरह से माना जाना चाहिए, और परिणाम, जो कानून में अच्छी तरह से स्थापित हैं, उन्हें हस्तांतरण या विभाजन के इस तरह के बहाने को पीड़ित करना चाहिए। ऐसी शक्ति वास्तव में अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित धारा 18 के तहत कलेक्टर के पास निहित होनी चाहिए। कलेक्टर को ऐसी शक्ति से वंचित करने के लिए जो अपीलकर्ता अदालत को रखने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे, इसमें अदालत को अपनी सामान्य समझ से छुट्टी लेने के लिए कहना और क़ानून पर एक व्याख्या करना शामिल होगा, जिसके परिणामस्वरूप एक अनुचित स्थिति के अलावा एक बेतुका परिणाम होगा। अपीलार्थियों द्वारा प्रचार की गई व्याख्या के परिणामस्वरूप क़ानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा। यह व्याख्या कि विधानमंडल मौजूदा कानून को जानता है और यह कि विधानमंडल शब्दों को बर्बाद नहीं करता है और आगे यह कि

व्याख्या, जो एक ओर, प्रतिमा के उद्देश्य को आगे बढ़ाती है, और समान रूप से महत्वपूर्ण है, वह एक है, जिसे संविधि की सादा भाषा वहन करने में सक्षम है, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने के लिए राजी करेगी कि कलेक्टर के पास, जब अधिनियम की धारा 18 के तहत एक जांच के दौरान, यह दिखाने के लिए सामग्री है कि एक प्रत्यक्ष हस्तांतरण या विभाजन एक दिखावा के अलावा और कुछ नहीं है और एक व्यक्ति या परिवार का सदस्य भूमि पर कब्जा करना जारी रखता है क्योंकि प्रारंभ के दिन, अधिनियम के जनादेश के अनुसार कार्य करना और अधिकतम सीमा की गणना करने के उद्देश्य से भूमि को शामिल करना उसकी शक्तियों के भीतर अच्छा होगा।

61. अधिनियम की धारा 30 कलेक्टर की शक्तियों को निर्धारित करती है जब वह अधिनियम के तहत उस जांच का आयोजन करता है। यह घोषणा करता है कि कलेक्टर के पास वही शक्तियाँ होंगी जो संहिता के तहत अदालतों में निहित हैं।

सिविल प्रक्रिया, 1908 (इसके बाद 'सी. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक मुकदमे का मुकदमा चलाने के लिए:

((i) शपथ पत्र द्वारा तथ्यों का प्रमाण;

((ii) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और

शपथ पर उसकी जाँच करना;

((iii) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करना।

अधिनियम की धारा 31 के तहत, कलेक्टर अपने निर्णय के कारण निर्धारित करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार, कलेक्टर को समन भेजने और लागू करने दोनों के मामले में दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त हैं। किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति बुलाए गए व्यक्ति से शपथ लेकर पूछताछ की जा सकती है। उसके पास किसी भी दस्तावेज़ को पेश करने के लिए मजबूर करने की शक्ति भी है।

यह निर्धारित करने का उद्देश्य कि क्या कोई दस्तावेज़ मिली-जुली है,

कपटपूर्ण या नकली लेन-देन, वास्तव में यह तर्क दिया जाएगा कि ऐसा निर्णय लेने वाला प्राधिकरण गवाहों के बयान के रूप में प्रासंगिक साक्ष्य पर विचार करने की स्थिति में होना चाहिए और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन भी करना चाहिए जो मामले पर प्रकाश डाल सकता है। इस तरह की शक्तियां स्पष्ट रूप से कलेक्टर को प्रदान की जाती हैं और शक्तियां वही हैं जो इस संबंध में दीवानी अदालत को प्राप्त होती हैं।

62. अपीलार्थियों का तर्क कि राज्य के लिए खुला उपाय एक मुकदमा दायर करना और एक दीवानी अदालत को आमंत्रित करना होगा

निर्णय लें और एक लेन-देन को नकली घोषित करने वाली डिक्री का उच्चारण करें, जो मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधायिका ने वास्तव में कलेक्टर को अधिकार क्षेत्र और ऐसे प्रश्नों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की है। यह वास्तव में एक ऐसी व्याख्या करने के बराबर होगा जो क़ानून को अव्यवहारिक बना देगी। दूसरी ओर, यह व्याख्या कि यदि मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सामग्री मौजूद है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि 26.09.1970 से पहले कथित हस्तांतरण या विभाजन एक नकली लेनदेन था, तो संविधि के उद्देश्य को कलेक्टर या अन्य अधिकारियों को तदनुसार मामले का निर्णय करने की अनुमति देकर आगे बढ़ाया जाएगा।

63. उत्तर चंद (ऊपर) में, यह न्यायालय वास्तव में अधिनियम के प्रावधानों पर विचार कर रहा था जब धारा 8,10 और 12 इसके वर्तमान अवतार में संशोधन नहीं किया गया था। अधिनियम स्वयं उन भूमि को छूट देता है जिन्हें 04.08.1959 से पहले अधिग्रहित या हस्तांतरित किया गया था। अधिनियम की धारा 8,9 और 12 में इसका प्रावधान किया गया था। उक्त मामले में, उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण को मिलीजुली पाया है। तो भी, उक्त मामले में शामिल एक डिक्री थी जिसके तहत एक बड़ी सीमा तक

गोद लिए हुए बेटे ने उसकी माँ को जमीन दी थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "न तो कोई अभिवाक था और न ही उनके समक्ष कोई मामला बनाया गया था।

डिप्टी कलेक्टर या आयुक्त के समक्ष यह इंगित करने के लिए कि गोद लिए गए बेटे के पक्ष में भूमि का हस्तांतरण और नेमीचंद द्वारा अपनी मां के पक्ष में हस्तांतरण, धोखाधड़ी से मिली-जुली या दूषित थी। यह लेन-देन अधिनियम लागू होने से पांच साल पहले किया गया था। इसके बाद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय ने इस प्रकार फैसला सुनायाः

" 3. ..... यहां तक कि अधिनियम भी स्पष्ट रूप से उन भूमि को छूट देता है जिन्हें 4-8-1959 से पहले अधिग्रहित या हस्तांतरित किया गया हो सकता है। एसएस. 8 , 10 और 12 जो

इस विषय से निपटने के लिए स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है कि केवल वही स्थानान्तरण अधिनियम द्वारा प्रभावित होंगे जो 4 से 8 विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर को या उसके बाद किसी भी समय किए जाते हैं।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

1959. जैसा कि ऊपर वर्णित दोनों स्थानांतरण 4-8 से पहले थे।

1959 , यह स्पष्ट है कि वे पूरी तरह से इसके दायरे से बाहर थे

अधिनियम के प्रावधान। इस प्रकार उच्च न्यायालय उचित नहीं था

यह मानते हुए कि अपीलार्थी द्वारा पक्ष में किया गया स्थानांतरण उनके दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्र नेमी द्वारा स्थानांतरण

अपनी माँ के लिए चंद या तो मिली-जुली या धोखाधड़ी थी। वहाँ

दलीलों में न तो कोई आधार था और न ही कोई सबूत उच्च न्यायालय के इस अनुमान का समर्थन करें।

(जोर दिया गया)

64. यह वास्तव में एक ऐसा मामला था जिसमें अदालत का निष्कर्ष है

इस आधार पर कि अभिवचनों में कोई आधार नहीं है और न ही इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत है कि लेनदेन मिली-जुली या धोखाधड़ी से दूषित थे। लेन-देन अधिनियम के लागू होने से पांच साल पहले हुए थे। निर्णय के उचित मूल्यांकन पर, हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि निर्णय को यह घोषित करने के रूप में समझा जाना चाहिए कि एक लेनदेन, भले ही यह मिली-जुली हो, कट ऑफ तिथि से पहले किया गया हो, उस पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है, यह निर्णय को देखने का सही तरीका नहीं हो सकता है। यदि इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए अभिवचन या सामग्री थी कि यह मिलीजुली थी, तो इस न्यायालय का निर्णय समान नहीं हो सकता था। यह पता लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि लेनदेन या तो मिली-जुली या धोखाधड़ी थी, आवश्यक रूप से हस्तांतरण वास्तविक था, अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो अधिनियम से पांच साल पहले किए गए लेनदेन को अमान्य कर दे।

65. अधिनियम की धारा 41 एक दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है

कलेक्टर और ट्रिब्यूनल सहित अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा निपटाए जाने वाले, तय किए जाने वाले या निपटाए जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में। इस दृष्टिकोण से, धारा 44 (बी) के तहत प्रतिबंध नकली हस्तांतरण की घोषणा करने के अधिकार से वंचित करने के लिए अपर्याप्त होगा।

66. अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह है कि विभाजन

इस आधार पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है कि बेटियों को संपत्ति आवंटित की जाती है, जबकि प्रचलित कानून के तहत बेटियों को हिस्से का कोई अधिकार नहीं था। यदि कोई भी उक्त विभाजन पर महाभियोग चला सकता है, तो यह केवल प्रभावित पक्ष होंगे। , वे लोग जो

विभाजन में एक हिस्से के लिए वैध रूप से हकदार। यह इस कारण से होगा कि वे प्रभावित पक्ष होंगे क्योंकि उनके वैध हिस्से को उन लोगों को एक हिस्से के रूप में संपत्ति देने के परिणामस्वरूप अवैध रूप से कम कर

दिया जाएगा जो कानूनी रूप से इसके हकदार नहीं हैं। , अविवाहित बेटियाँ। वे व्यक्ति जो विभाजन [2019] 11 एस. सी. आर. में भाग लेने के हकदार होंगे।

इसमें कोई शक नहीं कि पत्नी के अलावा पिता और पुत्र भी होंगे। अजीब बात है कि विभाजन में पत्नी को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। इसलिए, तर्क

यह है कि केवल विभाजन से जिन भागीदारों के हिस्से में कमी आएगी, वे संभवतः इस पर सवाल उठा सकते हैं। इस तर्क को अस्वीकार किया जा सकता है। यह कहना एक बात है कि एक शेयरधारक जिसके शेयर प्रभावित हो सकते हैं, वह उचित मंच पर इस पर सवाल उठा सकता है। हालाँकि, यह कहना बहुत दूर की बात है कि अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकरण, जब उसके सामने सबूत होता है, जो लेन-देन को एक नकली या सांठगांठ वाला मामला होने की ओर इशारा करता है, तो उसे ऐसा करने से अक्षम कर दिया जाता है। यदि कोई इस आधार पर आगे बढ़ता है कि लेन-देन नकली था, तो जिन व्यक्तियों को नकली लेन-देन से लाभ होगा, वे अन्य हिस्सेदार होंगे। इस मामले के तथ्यों में, अर्थात। , पिता, पत्नी और बेटा। 67. यह इस कारण से है कि यह निष्कर्ष में निहित है कि नकली लेनदेन में कोई प्रभावी हस्तांतरण नहीं है। इन संपत्तियों

पिता द्वारा धारण किया जाना जारी रहेगा। बेटियाँ नहीं मिलेंगी

कोई भी प्रभावी हिस्सा। अन्य हिस्सेदार, जो आम तौर पर होते हैं

लेन-देन को चुनौती दी, अर्थात। , लेन-देन के तहत पत्नी और बेटा स्वयं लाभार्थी होंगे और उनसे लेन-देन को चुनौती देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अपीलार्थियों के तर्क को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप पक्षकारों द्वारा अधिनियम को पराजित करने के लिए एक दिखावा करें और एक लबादा पहनें और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

68. अतः इसका निष्कर्ष इस प्रकार निकाला जा सकता हैः

आई. 26.09.1970 से पहले दर्ज किया गया स्थानांतरण या विभाजन, यदि

वास्तविक नहीं है और मिलीजुली है या एक नकली लेनदेन है, किसी दिए गए मामले में, सामग्री मौजूद होने पर, अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा ऐसा पाया जा सकता है; ii. धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत जो विचार किया गया है, वह निस्संदेह धारा 8 में परिभाषित एक हस्तांतरण है।

एक वास्तविक लेनदेन। धोखाधड़ी वाला लेन-देन या नकली लेन-देन

यदि 26.09.1970 से पहले दर्ज किया जाता है, तो धारा (3) का प्रकोप होगा, और इसी तरह विभाजन का एक प्रहसन, शेयरधारकों के बीच संपत्ति का नकली विभाजन लाएगा, धारा (3) का प्रकोप भी होगा। अधिनियम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भले ही लेन-देन एक नकली लेन-देन हो, चाहे वह हस्तांतरण हो या विभाजन, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इससे धारा 10 और 11 का प्रकोप होगा और अयोग्यता को उचित ठहराना आवश्यक नहीं होगा।

किसी भी सामग्री के साथ यदि 26.09.1970 के बाद दर्ज या प्रभावित किया जाता है।

विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

iii. इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई लेन-देन जो विशेष रूप से अधिनियम के लागू होने के बाद किया गया है, चाहे वह स्थानांतरण हो या विभाजन, और यदि ऐसी सामग्री और परिस्थितियां सामने लाई गई हैं, जो

अधिकारियों को यह मानने के लिए राजी करता है कि यह सांठगांठ या एक नकली लेनदेन है और संपत्ति ने हाथ नहीं बदले हैं, संपत्ति को पिछले मालिक द्वारा रखे गए रूप में नहीं माना जाएगा।

प्रारंभ का दिन और कथित हस्तांतरण या विभाजन के बावजूद खाते में शामिल किया गया। दोनों दलों के बीच साझा की जाने वाली साझेदारी प्राकृतिक और शर्मनाक थी

जिसमें विभाजन किया गया था और उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को बरकरार रखने के लिए सामग्री पर्याप्त थी। दूसरे प्रश्न को पहले लेते हुए, पहला पहलू जो सामने आता है वह यह है कि विभाजन अप्राकृतिक है। इसे इस कारण से अप्राकृतिक कहा जाता है कि मौजूदा हिंदू कानून के तहत, बेटियां हिस्से की हकदार नहीं थीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराष्ट्र में 1994 से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में धारा 29 ए को जोड़ा गया है। वह इस प्रकार हैः

" 29 सह-पक्षीय संपत्ति में बेटी को समान अधिकार। इस अधिनियम की धारा 6 में कुछ भी निहित होने के बावजूद

(i) मिताक्षर कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में, एक सह-भागीदार की बेटी जन्म से, एक सदस्य बन जाएगी।

बेटे के समान ही अपने अधिकार में सह-भागीदार और सह-आंशिक संपत्ति में उनके समान अधिकार हैं

यदि वह एक पुत्र होती, तो उसके पास उत्तरजीविता द्वारा दावा करने का अधिकार होता और वह पुत्र के समान दायित्वों और अक्षमताओं के अधीन होगी।

((ii) ऐसे संयुक्त हिंदू परिवार के विभाजन पर सह-सदस्य

संपत्ति को इस तरह विभाजित किया जाएगा कि बेटी को वही आवंटित किया जाए।

जैसा कि एक बेटे को आवंटित किया जाता है, वह हिस्साः

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि वह हिस्सा जो एक पूर्व-मृत पुत्र या एक पूर्व-मृत पुत्र

मृतक बेटी को विभाजन में मिल गया होगा यदि वह या

वह विभाजन के समय जीवित थी, ऐसे पूर्व-मृत पुत्र या ऐसी पूर्व-मृत बेटी के जीवित बच्चे को आवंटित किया जाएगाः बशर्ते कि हिस्सेदारी

पूर्व-मृत पुत्र या पूर्व-मृत पुत्री के पूर्व-मृत बच्चे को आबंटित, यदि ऐसा बच्चा जीवित था

विभाजन के समय, के बच्चे को आवंटित किया जाएगा पूर्व-मृत पुत्र का ऐसा पूर्व-मृत बच्चा या

पूर्व-मृत बेटी, जैसा भी मामला हो;

((ग) ऐसी कोई संपत्ति जिस पर हिंदू महिला का अधिकार हो।

खंड (i) के प्रावधानों के आधार पर सह-स्वामित्व की घटनाओं के साथ उसके द्वारा अभिनिर्धारित किया जाएगा और इस अधिनियम या तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, वसीयत या अन्य प्रावधानों द्वारा उसके द्वारा निपटाई जा सकने वाली संपत्ति के रूप में माना जाएगा।
वसीयतनामा स्वभाव;

((iv) खंड (ii) में कुछ भी उस बेटी पर लागू नहीं होगा जिसकी शादी विभाजन से पहले या उससे हुई थी जो हिंदू उत्तराधिकार (आंध्र प्रदेश) के प्रारंभ से पहले प्रभावी हुई थी।

संशोधन) अधिनियम, 1986।

विभाजन आयोजित करने के लिए प्रासंगिक माना जाने वाला अगला पहलू

अस्वाभाविक बात यह है कि श्री विट्ठलदास की पत्नी को एक

एक हिस्से के लिए विभाजन लेकिन उसे कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। आगे की खोज यह है कि विट्ठलदास ने भूमि की प्रभावी खेती जारी रखी, और इस संबंध में, अधिकारों के रिकॉर्ड पर भरोसा किया गया था।

दादा यद्यपि प्राकृतिक संरक्षक, अर्थात। , विठ्ठलदास, बहुत जीवित था। यह अपीलार्थियों का मामला है कि बेटी को हिस्सा देने पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। हिंदू कानून के तहत, बेटियां भरण-पोषण की हकदार थीं और अगर हिस्सा बेटियों के लिए अलग रखा जाता है। इसके बजाय, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सका।

अपीलकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि विभाजन के समय दो बड़ी बेटियाँ नाबालिग थीं। उन्होंने केवल वर्ष 1973 और 1975 में बहुमत प्राप्त किया, लेकिन शुरुआत के दिन से पहले।

विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

71. अगर पिता संपत्ति पर खेती करता है तो कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है।

बेटियों की तरफ से। उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित अधिकारियों द्वारा यह निष्कर्ष कि बेटियों के पास भूमि पर खेती करने के लिए संसाधन नहीं थे, न केवल महत्वहीन हो जाता है, बल्कि अधिकारियों/न्यायालयों ने कानून की सही सराहना नहीं की है।

हिंदू कानून के निश्चित पहलुओं का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण

72. महाराष्ट्र राज्य में v. नारायण राव शाम राव देशमुख और अन्य 1 3 मामला उसी अधिनियम के तहत उत्पन्न हुआ जिससे न्यायालय संबंधित है, और उसमें एक पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी विधवा, माँ और उसके बेटे [उसमें प्रतिवादी] को पीछे छोड़ते हुए, उच्च न्यायालय ने

अदालत ने माना कि कर्ता की मृत्यु के बाद संयुक्त परिवार जारी रहा लेकिन तीनों में से प्रत्येक छत क्षेत्र की एक अलग इकाई का हकदार था। इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत विरासत में ब्याज प्राप्त करने वाली महिला सदस्य परिवार की सदस्य नहीं रह जाती है। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 7. जैसा कि हिंदू कानून और उपयोग (1953 ई. डी. एन.) पर मयने में देखा गया है कि संयुक्त और अविभाजित परिवार हिंदू समाज की सामान्य स्थिति है। एक अविभाजित हिंदू परिवार आम तौर पर न केवल संपत्ति में बल्कि भोजन और पूजा में भी संयुक्त होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि

संयुक्त परिवार के पास संयुक्त परिवार की संपत्ति होनी चाहिए। संयुक्त परिवार की संपत्ति के बिना एक संयुक्त परिवार हो सकता है। के पैरा 264 पर

उपरोक्त ग्रंथ का अवलोकन इस प्रकार किया गया हैः

सामान्य पूर्वज से उनके वंश की दूरी, और नतीजतन एक दूसरे से उनके रिश्ते की दूरी। लेकिन हिंदू सह-पक्ष एक बहुत संकीर्ण निकाय है। क्योंकि, मिताक्षर कानून में सह-पक्ष के साथ समान नहीं है।

अंग्रेजी कानून में समझे जाने वाले सह-सहभागीः जब एक सदस्य

संयुक्त परिवार मर जाता है, उसका अधिकार उत्तरजीविता द्वारा अन्य सदस्यों को मिल जाता है, लेकिन यदि कोई सह-भागीदार मर जाता है, तो उसका अधिकार नहीं है।

अन्य सह-भागीदारों के पास जाता है, लेकिन अपने स्वयं के उत्तराधिकारियों के पास जाता है। जब हम एक हिंदू संयुक्त परिवार को एक सह-सदस्य के रूप में बताते हैं, तो हम उन व्यक्तियों की पूरी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं जो एक समान पूर्वज से वंश का पता लगा सकते हैं, और जिनके बीच कभी कोई विभाजन नहीं हुआ है; हम केवल उन व्यक्तियों को शामिल करते हैं जो

जिसे, रिश्ते के आधार पर, आनंद लेने और रखने का अधिकार है

यह, अपने ऋणों के साथ इसे बोझ करने के लिए, और उनकी खुशी पर लागू करने के लिए उसका विभाजन। इस शरीर के बाहर, व्यक्तियों की एक सीमा है

जिनके पास रखरखाव जैसे केवल निम्न अधिकार हैं, जो हालाँकि हिंदू कानून में सुधारों के परिणामस्वरूप कम होने की प्रवृत्ति है।

कानून द्वारा "।

8. हालाँकि, एक हिंदू सह-पक्ष एक संकीर्ण निकाय है।

संयुक्त परिवार। केवल वे पुरुष जो जन्म से रुचि प्राप्त करते हैं

संयुक्त या सह-पक्षीय संपत्ति सह-पक्षीय के सदस्य हो सकते हैं।

पोते और महान पोते एक सह-सदस्य का गठन करते हैं, ए सह-भागीदार जन्म से सह-आंशिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त करता है।

लेकिन उसके अधिकार का निश्चित रूप से तभी पता लगाया जा सकता है जब कोई विभाजन हो। होता है। जब परिवार संयुक्त होता है, तो इसके हिस्से की सीमा

उतार-चढ़ाव करने में सक्षम। यह एक सह-भागीदार की मृत्यु से बढ़ जाता है। और सह-भागीदार के जन्म पर कम हो जाता है। एक संयुक्त परिवार,

हालाँकि, इसमें महिला सदस्य शामिल हो सकती हैं। इसमें एक हो सकता है

पुरुष सदस्य, उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसकी अविवाहित बेटियाँ।

संयुक्त परिवार की संपत्ति का स्वामित्व समाप्त नहीं होता है परिवार केवल इसलिए कि परिवार में केवल एक ही पुरुष सदस्य है

परिवार। (गौली बुद्धन्ना बनाम देखें। सी. आई. टी. (1966) 3 एस. सी. आर. 224: एयर

1966 एससी 1523: (1966) 60 आई. टी. आर. 293] और सीताबाई बनाम। राम चंद्र

[(1969) 2 एससीसी 544: ए. आई. आर 1970 एस. सी. 343: (1970) 2 एस. सी. आर. 1]) ए.

संयुक्त परिवार में एक पुरुष सदस्य और उसकी पत्नी हो सकती है।

और बेटियाँ। यह जरूरी नहीं है कि दो पुरुष हों। एक संयुक्त परिवार का गठन करने के लिए सदस्य। (एन. वी. नरेंद्रनाथ को देखें

वी. सीडब्ल्यूटी [(1969) 1 एससीसी 748: ए. आई. आर 1970 एस. सी 14: (1969) 3 एससीआर

882 : (1969) 74 आईटीआर 190]।

(जोर दिया गया)

मौजूदा कानून के तहत महिलाएं सह-खरीददार नहीं थीं। इसमें

घ, मेयन के हिंदू कानून और उपयोग में निम्नलिखित चर्चा, शेड

" महिलाएं सह-भागीदार नहीं हैं। - यह स्पष्ट है कि, केवल पुरुष मुद्दे में जन्म से निहित अधिकार और अबाधित विरासत के दोहरे सिद्धांतों पर, मिताक्षर की अवधारणा

कोपारसेनरी अपने वंशावली विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर के साथ एक सामान्य पुरुष पूर्वज है।

पुरुष वंशावली में वंशज, और यह कि परिवार की महिला सदस्य जिनके पास जन्म से कोई निहित अधिकार नहीं है और केवल बाधित विरासत (सप्रतीबंध दया) के उत्तराधिकारी के रूप में आती हैं, वे पुरुष सदस्यों के साथ, पुरुषों के साथ, या असाधारण मामलों में, वे स्वयं इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। एक निगमित निकाय के रूप में अविभाजित परिवार "।

73. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभाजन उस संपत्ति का हो सकता है जो पहले संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। हिंदू कानून के मेयने ने इस प्रकार कहा हैः

" 436.केवल सह-आंशिक संपत्ति ही विभाज्य है। - सबसे पहले उस संपत्ति को विभाजित किया जाना है जिसे पहले समाप्त किया जा चुका है।

सहभागीदारी में संयुक्त संपत्ति के रूप में आयोजित "।

साझेदारी संपत्ति अकेले भागीदारी योग्य है

74. पैरा 442 में विद्वान लेखक ने महिलाओं के लिए हिस्सेदारी शीर्षक के तहत हिस्से के हकदार व्यक्तियों के बारे में बात की है। पत्नियों के संबंध में निम्नलिखित चर्चा है।

" 453.महिलाओं के लिए शेयर। - परिवार की महिलाओं, चाहे वे पत्नियाँ हों, विधवाएँ हों, माताएँ हों या बेटियाँ हों, जिनके हितों की विशेष रूप से रक्षा की गई थी, जहां दूसरों की इच्छा पर विभाजन हुआ था।

संस्कृत के लेखक।

पत्नी। - याज्ञवल्क्य कहते हैंः " यदि वह (पिता) आवंटन को बराबर करता है, तो उसकी पत्नियों जिन्हें पति या ससुर द्वारा स्त्रीधन दिया गया है, उन्हें समान हिस्से का भागीदार बनाया जाना चाहिए। इस ग्रंथ की व्याख्या करते हुए मिताक्षर कहता हैः जब पिता अपनी मर्जी से अपने सभी बेटों को समान हिस्सेदार बनाता है, उसकी
पत्नियाँ जिन्हें उनके पति या उनके ससुर द्वारा विशिष्ट संपत्ति नहीं दी गई थी, उन्हें बेटों के बराबर शेयरों का भागीदार बनाया जाना चाहिए। लेकिन अगर एक महिला को अलग संपत्ति दी गई है, तो लेखक बाद में आधे हिस्से का निर्देश देता है।

उसे आवंटित किया जाएः " या अगर कोई दिया गया था, तो उसे नियुक्त करने दें

आधा "।

75. लेकिन एक पत्नी विभाजन की मांग नहीं कर सकती थी। मिताक्षर कानून के तहत पत्नी के हिस्से को निम्नानुसार निपटाया गया है। मेयने का हिंदू कानूनः

" 455. पत्नी-एक पत्नी हालांकि अपने पति के जीवन के दौरान कभी भी विभाजन की मांग नहीं कर सकती थी, क्योंकि, शादी के समय से, वह और वह धार्मिक समारोहों में एकजुट हैं।

एस. सी. आर. में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हिंदू कानून के मौलिक नियम के अनुसार जैसा कि लेखकों द्वारा उद्धृत हरित के पाठ में कहा गया हैः पति और पत्नी के बीच कोई विभाजन नहीं हो सकता। मिताक्षर कानून के तहत पत्नी का हिस्सा। - इसके अनुसार

मद्रास के अलावा अन्य राज्यों में प्रचलित मिताक्षर कानून, एक पत्नी अपने पति और उसके बेटों के बीच विभाजन पर बेटे के बराबर हिस्से की हकदार है; लेकिन वह विभाजन को लागू नहीं कर सकती है। वह या तो बेटों की माँ या सौतेली माँ हो सकती है। वह अपने हिस्से के लिए मुकदमा कर सकती है जहां विभाजन हुआ है और उसे कोई हिस्सा नहीं सौंपा गया है, बशर्ते कि उसके अधिकारों में कोई छूट या उसकी ओर से सहमति न हो। ”

महिलाएं विभाजन लागू नहीं कर सकती थीं। यह एक अधिकार था जो

पुरुषों पर गलतियाँ

" 458. महिलाएं विभाजन लागू नहीं कर सकतीं। -न तो पत्नी, न माँ और न ही दादी को विभाजन लागू करने का अधिकार है; बेटों को अविभाजित रहने का पूर्ण अधिकार है जब तक वे चाहें। सह-भागीदारों द्वारा उनकी सहमति के बिना की गई संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण पत्नी, माँ या दादी को बाध्य करेगा क्योंकि वे वास्तविक विभाजन तक किसी भी शेयर के मालिक नहीं बनते हैं।

संयुक्त संपत्ति "। 76. बेटियों के अधिकारों के संबंध में, मेयने के हिंदू कानून में, यह

टेड इस प्रकार हैः

" 461. बेटियों के अधिकार। -जहाँ पिता के जीवन के दौरान विभाजन होता है, वहाँ बेटी को किसी विशेष अधिकार का अधिकार नहीं होता है।

विभाजन। वह अपनी शादी तक उसकी सुरक्षा में रहती है; वह उसका पालन-पोषण करने और उसकी शादी के खर्चों का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

और उसे जो खर्च करना है वह पूरी तरह से उसके विवेक पर निर्भर है। लेकिन जहां पिता की मृत्यु के बाद विभाजन होता है, वही ग्रंथ जो निर्देश देते हैं कि मां को बेटे के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, निर्देश देते हैं कि मां को एक हिस्सा मिलना चाहिए।

बेटे के बराबर का हिस्सा, निर्देश दें कि माँ को प्राप्त करना चाहिए

एक चौथा हिस्सा "।

77. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता के पास मिताक्षर कानून के तहत विभाजन की शक्ति थी, भले ही बेटे इसके लिए सहमत न हों।

" 471.विभाजन को प्रभावित करने के लिए पिता की शक्ति। - मिताक्षर कानून के तहत एक हिंदू पिता, यह माना गया है कि विशालदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर के साथ विभाजन कर सकता है।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

स्वयं और उनके पुत्रों के बीच उनकी सहमति के बिना और यह मिताक्षर I, II, 2 पर आधारित है। यह पाठ न केवल स्वयं पिता द्वारा अर्जित संपत्ति पर लागू होता है, बल्कि

पैतृक संपत्ति। पिता के पास न केवल अपने और अपने बेटों के बीच, बल्कि बेटों के बीच भी विभाजन करने की शक्ति होती है। तो यह भी लगता है कि उसके पास विभाजन करने की शक्ति है जब बेटे मर जाते हैं और उसके पोते साथ होते हैं।

शक्ति का विस्तार न केवल उल्का और सीमा द्वारा विभाजन को प्रभावित करने के लिए है, बल्कि स्थिति के विभाजन के लिए भी है। इन सभी मामलों में, पिता की शक्ति का प्रयोग ईमानदारी से और कानून के अनुसार किया जाना चाहिए; विभाजन अनुचित नहीं होना चाहिए और आवंटन अनिवार्य होना चाहिए।

बराबर रहें। "

एक हिंदू द्वारा अपने पति को उपहार देने से संबंधित कानून

78. अन्निविल्लाह सुंदरम्य बनाम में निर्णय में। चेरला सीथम्मा और अन्य 1 4 14, अदालत 8 एकड़ के उपहार से संबंधित थी

एक हिंदू पिता द्वारा अपनी बेटी को उसकी शादी के बाद पैतृक भूमि दी गई जब परिवार के पास 200 एकड़ जमीन थी। 8 एकड़ का उपहार नहीं था।

अनुचित है। उपरोक्त परिदृश्य में यह पाया गया कि यदि पिता ने विभाजन लागू किया होता, तो उन्हें 100 एकड़ से कम नहीं मिलता। पुगारिया वेट्टोरमल में और एक अन्य वी। वेटर गौंडर, माइनर, अपने अगले दोस्त और माँ पूचम्मल द्वारा और एक अन्य 1.5, एक डिवीजन

मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने इस मामले पर विस्तार से विचार किया सह-भागीदार की बेटी के पक्ष में उपहारों से संबंधित। उक्त मामले में, वास्तव में, उपहार पैतृक चाचा द्वारा अपनी भतीजी के पक्ष में दिया गया था

(भाई की बेटी)। अपनी चर्चा के दौरान, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" हालाँकि, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक पिता द्वारा अपनी बेटी या एक चाचा की बेटी को दिया गया उपहार, बशर्ते वह उचित राशि का हो, उसके बेटे के खिलाफ वैध है और यह सवाल वास्तव में प्राधिकरण द्वारा कवर किया गया है "।

इसके बाद, उक्त मामले में शामिल उपहार की मात्रा के बारे में सवाल उठा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपहार भूमि मूल्य का था

इसलिए, यह ओनोर के हाथों में संपत्ति का छठा हिस्सा था। न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में निर्णय दियाः

जैसा कि विज्ञेश्वर ने व्याख्या की है, बेटी के हिस्से को परिभाषित करता है। एक चौथाई के रूप में जो वह हकदार होगी अगर वह एक बेटा होती।

स्मृति चंद्रिका, अध्याय IV में, कात्यायन के एक पाठ का हवाला देता है जिसमें कहा गया हैः अविवाहित बेटियों के लिए एक चौथाई और बेटों के लिए तीन भाग की अनुमति है, लेकिन जहां संपत्ति छोटी है, वहां हिस्से को बराबर माना जाता है। स्मृति के लेखक

चंद्रिका कहती हैं (प्लासिटुइन 28): " चौथे का अर्थ या

उपरोक्त पाठ का अंतिम भाग, पैरा 26, यह है कि जहां संपत्ति छोटी है, वहां प्रत्येक बहन का हिस्सा विष्णु और अन्य लोगों द्वारा बेटे के बराबर माना जाता है। संदर्भ पहले से ही है

औचित्य लेकिन मनमौजी से नहीं। यह कठोर और तेज़ नियम रखना शायद ही सही होगा कि बेटी को बेटे होने पर जो मिलेगा, उसके एक चौथाई हिस्से से अधिक कुछ भी किसी भी मामले में नहीं दिया जा सकता है जैसा कि दामोदर मिसर में करने का प्रयास किया गया था। वी. सेनाबट्टी मिसरेन 17 1 7। उपहार के समय मौजूद सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखना उचित होगा।

और जहाँ संपत्ति बहुत कम है और खर्च

पक्षकारों के समुदाय में विवाह भारी होने पर, विवाह के खर्च और दहेज के लिए एक साथ बेटे के बराबर हिस्सा आवंटित करना अनुचित नहीं हो सकता है। साथ ही, जहां संपत्ति बहुत बड़ी है, जिसकी कीमत कई लाख रुपये है, अदालतें हिस्से के उपहार को बरकरार रखने के लिए तैयार नहीं हो सकती हैं।

याज्ञवल्क्य के पाठ के अनुसार अनुमेय। का अधिकार

04) 29 Bo.51 82) 8. कैल।

537 अलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @SUSHMA v. महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

बेटी को सीमित नहीं किया जा रहा है, जैसा कि रणतासामी अय्यर बनाम में बताया गया है। वेंगिडुसामी अय्यर 1 8 और चुरमोन साहू बनाम। गोपी साहू I.L.R.[19] 19 उसकी शादी के खर्चों का भुगतान करने के लिए, इस तरह के खर्चों से कुछ अधिक आवंटित करना भी उचित हो सकता है

जहाँ वे तुलनात्मक रूप से भारी हैं। साथ ही, बेटों के लिए यह उचित नहीं होगा कि पिता, एक बड़ा खर्च करने के बाद

उसकी बेटी की शादी पर राशि, उसे किसी भी महत्वपूर्ण संपत्ति का उपहार देना चाहिए। इसे भी ध्यान में रखना चाहिए।

परिवार के सदस्यों द्वारा विवाह उसके लाभ के लिए नहीं बल्कि सह-भागीदारों को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था। चुरामोन साहू बनाम। गोपी साहू (ऊपर), कलकत्ता उच्च न्यायालय ने परिवार की संपत्ति के एक तिहाई हिस्से के उपहार को बरकरार रखा। द्विरागमन समारोह का अवसर। विद्वान न्यायाधीशों का मानना है कि प्रत्येक विशेष स्वभाव की परिस्थितियों के संबंध में प्रश्न का निर्धारण किया जाना चाहिए। वे 2 मॉर्ली़ज़ डाइजेस्ट, 198 में रिपोर्ट किए गए एक मामले का उल्लेख करते हैं और के अवलोकन का हवाला देते हैं

उस मामले में लॉर्ड गिफोर्ड ने कहा कि स्वभाव की शक्ति की सीमा और सीमा को परिभाषित करना बिल्कुल असंभव था क्योंकि यह स्वभाव की परिस्थितियों पर निर्भर करना चाहिए जब भी ऐसा स्वभाव किया जाएगा और इस तरह के स्वभाव को विनियमित करने वाले कानून के अनुरूप होना चाहिए। अनिविल्लाह सुंदररत्नायड में वी. चेरला सितम्मा 2 0 एक अन्य सिद्धांत का संकेत दिया गया है। विद्वान न्यायाधीश कहते हैंः " यहाँ अगर पिता ने विभाजन लागू किया था, तो वह

अविभाजित परिवार का सदस्य बने रहना। हम समझते हैं कि प्रत्येक मामले में यह तय करने के लिए अदालत पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि उपहार है या नहीं। उन सभी परिस्थितियों में तर्कसंगत जिसके तहत इसे बनाया गया है। इस मामले में, उपहार के समय दाता का केवल एक बेटा था, और वह एक शिशु था। प्रथम प्रतिवादी को दिया गया हिस्सा था

98) 22 Mad.113 09) आईएलआर 37 Cal.1 11) 21 एमएलजे 956 [2019] 11 एस. सी. आर.

एक-पूरे का छठा। जाहिरा तौर पर दाता ने इस पर विचार किया था कि परिवार के लिए छोड़ी गई संपत्ति को बढ़ाने के लिए समय होगा

इससे पहले कि उसके बेटे को परिवार का भरण-पोषण करना पड़े। उनकी मृत्यु अविभाजित रूप से हुई।

अपने बेटे से, और जाहिरा तौर पर कभी अलग नहीं होना चाहते थे

उसे। संपत्ति का आठवां हिस्सा एक उपयुक्त हिस्सा होगा। प्रथम प्रतिवादी के लिए ऐसी परिस्थितियों के अनुसार

याज्ञवल्क्य का पाठ। जो दिया गया था वह एक-छठा या एक-बीस था। चौथा अधिक, रु। 100. हम यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि

संपत्ति का अत्यधिक हिस्सा दिया गया था।

(जोर दिया गया)

79. अन्नामलाई अम्मल बनाम। सुंदराथम्मल और अन्य 2 1,

उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि समवर्ती निष्कर्ष थे कि उपहार में दी गई संपत्ति संपत्ति का एक बहुत ही उचित हिस्सा था और उपहार को वैध पाया गया था।

निर्णय में यह प्रश्न इस न्यायालय के विचार के लिए पड़ा

गुरम्मा भर्तार चनबसप्पा देशमुख और अन्य बनाम में रिपोर्ट किया गया। मल्लप्पा चनबसप्पा और अन्य 22। इसमें, इस न्यायालय ने मेरे द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों सहित निर्णयों के एक विस्तृत सर्वेक्षण के बाद निम्नलिखित निर्णय लियाः -

परीक्षणों ने बेटी या बहन को अधिकार प्रदान किया, जैसा कि मामला है हो सकता है, के समय पारिवारिक संपत्ति में एक हिस्सा होना

विभाजन। वह अधिकार समय के प्रवाह से खो गया था। लेकिन, यह बन गया,

एक नैतिक दायित्व में परिवर्तित। पिता या उसके

प्रतिनिधि उचित तरीके से एक वैध उपहार दे सकता है।

बेटी के सम्मान के रखरखाव का प्रावधान किया जा रहा है

परिवार की वित्तीय और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों के लिए।

प्रथा या सुविधा के अनुसार, ऐसे उपहार उस समय बनाए जाते हैं।

विवाह का, लेकिन पिता या उसके प्रतिनिधि का अधिकार

इस तरह का उपहार देना शादी के अवसर तक ही सीमित नहीं है। यह है।

और तेजी से नियम, इस तरह के उपहार की मात्रात्मक सीमाओं को निर्धारित करते हुए यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और यह केवल हो सकता है

21 ए. आई. आर. 1953 मद्रास 404

22 एयर 1964 एससी 510 विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @SUSHMA v. महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अदालतों द्वारा निर्णय लिया गया, समग्र तस्वीर को ध्यान में रखते हुए

पारिवारिक संपत्ति की सीमा, होने वाली बेटियों की संख्या

अन्य सर्वोपरि शुल्कों और इसी तरह के अन्य शुल्कों के लिए प्रावधान

एक बेटी के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त उपहार केवल एक दस्तावेज द्वारा या केवल एक ही समय पर किया जाना चाहिए। उपहार की वैधता या तर्कसंगतता इसकी बहुलता पर निर्भर नहीं करती है। दस्तावेज़ों का लेकिन
पिता की उपहार देने की शक्ति पर और

इस प्रकार दिए गए उपहार की तर्कसंगतता। अगर एक बार सत्ता है

तथ्य यह है कि एक के बजाय दो उपहार विलेख निष्पादित किए गए थे, नहीं कर सकते उपहार को वैसे भी एक वैध उपहार बनाएँ। "

80. एक संयुक्त हिंदू परिवार में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे -

लोग। हालाँकि, एक संयुक्त हिंदू परिवार को व्यक्तियों के एक संकीर्ण निकाय के रूप में समझा जा सकता है जो एक सह-सदस्य का गठन करता है। द.

प्रासंगिक समय पर सह-भागीदारों में पुरुष शामिल थे, अर्थात। , बेटा, पोता और परपोते। वे ऐसे व्यक्ति थे जो विभाजन की मांग करने के हकदार थे। हालाँकि, जब विभाजन हुआ, तो कुछ अन्य व्यक्ति भी संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार थे। होना ही चाहिए।

याद रखें कि एक विभाजन में अलग आनंद शामिल होता है और जो पहले संयुक्त रूप से आयोजित संपत्ति थी। एक हिंदू की पत्नी जबकि सह-भागीदार नहीं थी, एक ऐसा व्यक्ति था जो विभाजन में हिस्से का हकदार था। लेकिन जब विभाजन हुआ तब भी किसी व्यक्ति की बेटी किसी भी हिस्से की हकदार नहीं थी।

विवादों की सराहना करने के लिए, विज्ञापन देना आवश्यक है।

दिनांकित 31.01.1970 विभाजन विलेख के प्रासंगिक भागों के लिए:

" Rs.500/पर अचल संपत्ति का विभाजन विलेख

मंगरुल और बभुलगाँव में स्थित भूमि का विभाजन विलेख

निष्पादकः 1. विट्ठलदास जगन्नाथ

खत्री, आयु 39 वर्ष,

2. अनिलबाबू विट्ठलदास खत्री, उम्र 4 साल,
3. कू। शकुंतला डी/ओ। विट्ठलदास खत्री, उम्र 14 वर्ष

वर्षों से,

4. कू। दुर्गादेवी डी/ओ। विट्ठलदास खत्री, उम्र 11 साल

वर्षों से।

5. कू। बेलादेवी डी/ओ। विट्ठलदास खत्री, उम्र 8 साल।

पार्टी सं. 2,3,4,5 नाबालिग हैं जिनका प्रतिनिधित्व संरक्षक द्वारा किया जाता है

दादा जगन्नाथ गणेशदास खत्री, 65 वर्ष की आयु।

ओकू। इन सब में सेः कृषि, सभी आर/ओ। मंगरुल नवघरे, Tq.Chikhali,

जिला. बुलढाना।

हम विभाजन विलेख को निष्पादित करते हैं और निम्नानुसार रखते हैंः

हम सभी एचयूएफ के सदस्य हैं और पार्टी नंबर 2 से 5 हैं

भाग संख्या 1 और पार्टी संख्या 3,4,5 के मुद्दे इस संगठन की बहनें हैं। पार्टी नंबर 2 और पार्टी नंबर 2 पार्टी नंबर 3,4,5 का भाई है। हम.

हम अपनी संपत्ति का संयुक्त रूप से उपयोग कर रहे हैं। पार्टी नंबर 2 से 5 को करना होगा

शिक्षा लें और देखें कि उनमें से प्रत्येक इसे स्वतंत्र रूप से ले और इसलिए खर्चों का प्रावधान करना और यह देखना कि प्रत्येक

उनमें से अपनी संपत्ति से खर्चों को पूरा करेंगे और

कि भविष्य में उनके बीच कोई विवाद नहीं हुआ, इसलिए, हम

विभाजन के इस विलेख को निष्पादित कर रहे हैं और हमारे साथ रख रहे हैं। द.

प्रत्येक पक्ष के हिस्से पर पड़ने वाली संपत्ति को उसके सामने दिखाया गया है।

नाम।

XXX

XXX

XXX

XXX

इस तरह हमने संपत्ति पर विभाजन किया है, संपत्ति गिर गई है

पार्टी के हिस्से पर कब्जा कर लिया है और बन गया है

दूसरों से। शिक्षा और विवाह के उद्देश्य के लिए हम में से पार्टी नं. 2 5 तक और हमारे परिवार के लाभ के लिए और

सफल भविष्य, हम अपनी स्वतंत्र इच्छा और विचार को निष्पादित करते हैं और विभाजन के इस विलेख को 31 जनवरी, 1970 को रखा।

XXX "

XXX

XXX

XXX

81. पार्टी के हिस्से के लिए नं। 1 , अर्थात्, स्वर्गीय विठ्ठलदास, एक हद तक

भाबुलगाँव गाँव के Sy.No.9 में 23.01 एकड़ को अलग रखा गया है। इसके अलावा, Sy.No.14 भाबुलगांव गाँव में 35.12 एकड़ में से 9 एकड़ भी विट्ठलदास को आवंटित किया जाता है। इस प्रकार, उन्हें कुल 32.01 एकड़ जमीन दी जाती है। उनके इकलौते बेटे के पक्ष में, जो 4 साल का है और जो हमारे सामने तीसरा अपीलार्थी है, 30 एकड़ 64 एकड़ का विस्तार अलग देखा जाता है। अपीलार्थी नं. 1 (सबसे बड़ी बेटी), जो सबसे बड़ी संतान है और जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, को 17 एकड़ और 23 एकड़ जमीन दी गई थी। 14 एकड़ और 6 एकड़ का क्षेत्र

आरेस को हमारे सामने दूसरे अपीलार्थी के लिए Sy.No.14 बाबुलगांव से 35.12 एकड़ में से अलग रखा गया है जो फिर से विठ्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर की दूसरी बेटी है।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

विट्ठलदास उस समय 11 साल के थे। विभाजन विलेख के पांचवें पक्ष को 8 वर्ष की आयु की कुमारी बेलादेवी को 14 एकड़ और सी से 06 एकड़ जमीन दी जाती है। No.14 बाबुलगाँव 35.12 एकड़ में से। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि विभाजन विलेख से ही विभाजन का विषय बनाई गई भूमि का विस्तार 106 एकड़ था। यह उस भूमि के अलावा है जो विट्ठलदास की पत्नी के पक्ष में उपहार का विषय था, जिसे इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी बनाया गया है।

82. विट्ठलदास एक हिंदू अविभाजित परिवार (एच. यू. एफ.) के कर्ता थे। सह-संस्थापक विट्ठलदास और उनके पुत्र थे। पिता के रूप में विट्ठलदास ने संयुक्त परिवार की संपत्ति को विभाजित करने का एकतरफा अधिकार। हालाँकि, कानून ने इस तरह की एकतरफा शक्ति के प्रयोग के लिए एक शर्त लगाई।

कि विभाजन निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्षता तब उपस्थित नहीं हो सकती जब इसे किसी विभाजन पर पक्षों के हिस्से से संबंधित मौजूदा कानून के पूर्ण अपमान में बनाया जाता है।

83. विभाजन विलेख की शर्तें निर्धारित की गई हैं। विभाजन विलेख में पहली बात जो एक उल्लेखनीय विशेषता है, वह है इसका बहिष्कार।

विट्ठलदास की पत्नी। वास्तव में, अधिनियम के तहत, जैसा कि 1970 में था, धारा (8) ने एक ऐसे व्यक्ति द्वारा विभाजन पर रोक लगा दी, जिसके पास नियत दिन (26-01-1962) को या उसके बाद, मामले का निर्धारण होने तक अतिरिक्त भूमि थी। 'व्यक्ति' शब्द को परिवार को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया था। परिवार में एक एचयूएफ शामिल था। यदि पत्नी द्वारा धारित 60 और विषम एकड़ की संपत्ति थी

यह गणना की जाती है कि 31-1-1970 पर, परिवार के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें पति या पत्नी शामिल हैं, और जैसा कि परिवार की भूमि 114 एकड़ को पार कर गई होगी, बुलढाना जिले में अधिकतम सीमा, विभाजन धारा (8) के तहत हो सकता है जैसा कि 1975 के अधिनियम XXI द्वारा प्रतिस्थापन से पहले था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं देख सकता हूं कि उसे उसके पिता और पति ने संयुक्त संपत्ति से 60 एकड़ जमीन उपहार में दी थी। हालाँकि, जब परिवार का विभाजन हुआ, तो उसका अधिकार जारी रह सकता है। यदि हिंदू कानून के तहत पत्नी, जब विभाजन किया जाता है, एक हिस्से की हकदार थी, तो यह तथ्य कि उसे कोई हिस्सा नहीं दिया गया है, संदेह पैदा करता है। पिता को 32 एकड़ जमीन मिली। बेटा है। 30 एकड़ जमीन दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन बेटियों का कोई अधिकार नहीं था, उन्हें कुल 45 एकड़ और 35 एकड़ जमीन दी जाती है। बेटियों को मिलकर बेटे के हिस्से का डेढ़ गुना हिस्सा मिला! पत्नी को दी गई कोई भी संपत्ति अधिकतम सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से परिवार के खाते में शामिल की जानी चाहिए थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय परिवार की अवधारणा नहीं थी, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में परिवार की अवधारणा थी

सीलिंग सीमा के अधीन था। मैंने दोनों अपीलार्थियों [2019] 11 एस. सी. आर. की उम्र देखी है।

नं. 1 और 2 हमारे सामने। वे क्रमशः 14 वर्ष और 11 वर्ष के थे।

वास्तव में बेटा केवल 4 साल का था और सबसे छोटी बेटी 8 साल की थी। विभाजन विलेख में यह कथन कि दोनों पक्ष संयुक्त रूप से अपनी संपत्तियों का उपयोग कर रहे हैं, संदिग्ध है क्योंकि किसी भी बेटी का संपत्तियों में कोई कानूनी अधिकार नहीं था। दस्तावेज़ के खिलाफ खड़े होने वाली परिस्थितियाँ अर्थात् विभाजन एक वास्तविक लेन-देन है

ये हैं:

1. बच्चों की आयु 4,8,11 और 14 वर्ष है।

2. विट्ठलदों की पत्नी को कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा था।

3. माता-पिता के जीवित रहने पर बच्चों का प्रतिनिधित्व उनके दादा द्वारा संरक्षक के रूप में किया जाता है।

4. जब उस समय हिंदू अविभाजित परिवार के विभाजन में बेटियों को भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था, तब बेटियों को अंशों का आवंटन। कुल 106 एकड़ में से 45 एकड़ और 35 एकड़ को किसी भी तरह से 'छोटा' या 'उचित' नहीं माना जा सकता है। हालांकि यह सच हो सकता है कि 1994 के बाद, महाराष्ट्र में एक हिंदू बेटी को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29 ए के तहत सह-भागीदार के रूप में मान्यता दी गई थी और वह इस तरह के हिस्से की हकदार थी, लेकिन यह सवाल उठाया और जवाब दिया जाना चाहिए कि क्या ऐसा अधिकार 1970 में मौजूद था जब विभाजन किया गया था। इसका उत्तर केवल नकारात्मक ही हो सकता है।

84. निस्संदेह, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया था, यह एक हिंदू के लिए एक छोटे से हिस्से या उचित हिस्से का उपहार देने के लिए खुला था।

85. इस मामले में सवाल यह नहीं है कि विट्ठलदास द्वारा अपनी बड़ी बेटियों को कोई उपहार वैध रूप से दिया जा सकता था या नहीं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसा कोई मामला स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया गया है कि विभाजन के तहत जो प्रभाव पड़ा वह एक उपहार था या कि विट्ठलदास ने बड़ी बेटियों को संबंधित संपत्तियों का उपहार देने का इरादा किया था। यद्यपि क्रॉस आपत्ति के उत्तर में कहा गया है कि नामकरण है एक महत्वहीन, उससे क्या अभिप्रेत था, यह अगले वाक्य से स्पष्ट है। स्वामित्व और खेती का तथ्य भौतिक है "। ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के समक्ष इसके उपहार होने का कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है। यह याद रखना चाहिए कि अधिनियम के तहत 'परिवार के सदस्य' की परिभाषा में आश्रित बेटियाँ शामिल थीं। विशेष अनुमति याचिका में, आधार (I) में, यह निम्नानुसार कहा गया है:

- विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @SUSHMA v. महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

" क्योंकि माननीय खंड पीठ ने केवल पूरे मुद्दे को भ्रमित किया है, जबकि पैरा 9 में यह कहा गया है कि विट्ठल दास

यह संपत्ति उनकी दो बेटियों को उपहार में दी जा सकती थी।

शकुंतला और दुर्गा लेकिन वह भी तब तक मायने नहीं रखते जब तक कि उक्त बेटियाँ उनके परिवार का हिस्सा बनी रहीं।
यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त अवलोकन स्पष्ट रूप से इससे परे है

उक्त हस्तांतरण के पीछे की मंशा और प्रकृति, जो केवल

पारिवारिक समझौते की तर्ज पर एक विभाजन "।

परिस्थितियों को किसी भी तरह से कानूनी या प्राकृतिक नहीं माना जा सकता है। मैं यह भी देख सकता हूँ कि पारिवारिक व्यवस्था के संदर्भ में

पोट्टी लक्ष्मी पेरुमल्लू बनाम में रिपोर्ट किए गए निर्णय में 4 विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ। पोटी कृष्णवेनम्मा 2 3, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 7. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक पारिवारिक व्यवस्था जो आम तौर पर परिवार के लाभ के लिए होती है, उसे न्यायालय में लागू किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले न्यायालय ऐसा करेगा कि यह दिखाया जाना चाहिए कि पारिवारिक व्यवस्था को लागू करने का एक अवसर था और उस पर कार्रवाई की गई थी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह दिखाने के लिए सबूतों का पूर्ण अभाव है कि ऐसा कोई अवसर या व्यवस्था थी

वसीयत में इंगित किया गया था उस पर कार्रवाई की गई थी। ' 9 86. मुझे यह भी लगता है कि कोई स्वीकार्य कारण सामने नहीं आ रहे हैं।

इसके अवैध और अनुचित होने के अलावा इस तरह के विभाजन की गारंटी देने वाले अवसर के रूप में

शर्तें।

87. मेड कौडा और ओआरएस में। वी. चेन गौडा और Ors.24,

अपीलार्थी दोसर प्रतिवादीक काका छलाह जे हुनक भतीजा छलाह।

(उसकी बहन का बेटा)। एक विभाजन के तहत, भतीजे को एक हिस्सा आवंटित किया जाना था। जिला मुन्सिफ ने पाया कि भतीजे को उपहार के रूप में या अपीलार्थी को संपत्ति के हिस्से के समर्पण के विचार में एक हिस्सा मिला। संपत्ति का मूल्य अधिक Rs.100/- होना, चाहे वह उपहार हो या विनिमय। इसने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों को आहत किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यह कोई उपहार नहीं था बल्कि एक विभाजन था और भतीजे को सह-भागीदार बनाया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया और मामले को इस बात पर विचार करने के लिए वापस भेज दिया कि क्या कोई वैध अधिकार स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया गया है।

23 आकाशवाणी 1965 एससी 825

24 आकाशवाणी 1925 मद्रास 1174 [2019] 11 एस. सी. आर.

निर्णय में तय किया गया बिंदु। विद्वान न्यायालय ने यह विचार रखा कि एक व्यक्ति केवल दूसरे द्वारा सह-हिस्सेदार के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर सकता है।

सह-भागीदार संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना स्वामित्व प्राप्त करता है।

88. पोन्नू में और एक अन्य वी। तालुक भूमि बोर्ड, चित्तूर और अन्य 25, हालांकि कथित रूप से उनके बेटे को अधिकार दिए जाने थे

एक विभाजन विलेख के तहत, प्राधिकरण के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि इसे उपहार के रूप में माना जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक वैध उपहार होने के लिए न केवल पंजीकरण होना चाहिए बल्कि दो गवाहों द्वारा सत्यापन भी होना चाहिए। [संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 123 देखें]। यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि उक्त निर्णय में संपत्ति अलग थी। पिता की संपत्ति जो निस्संदेह, वह उपहार में दे सकता था। नीचे दिया गया उपहार

केरल भूमि सुधार अधिनियम ने उद्घोषक के खाते से भूमि के विस्तार को कम करने का प्रभाव डाला। हालाँकि, इस मामले के तथ्यों में, इस तथ्य के अलावा कि जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या विभाजन एक दिखावा था? , यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि संपत्ति विट्ठलदास की अलग संपत्ति थी। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि संपत्ति एक पैतृक संपत्ति थी जिसे उन्होंने अपने और अपने पिता के बीच पहले के विभाजन के संदर्भ में अर्जित किया था। इस न्यायालय के समक्ष भी यह नहीं कहा गया है कि विभाजन को एक उपहार के रूप में माना जाना है।

89. हालाँकि, इस मामले से संबंधित सवाल यह है। विभाजन विलेख के अप्राकृतिक होने के अलावा, क्या यह एक नकली लेनदेन था? यह निष्कर्ष कि लेनदेन अस्वाभाविक है, गंभीर होने के अलावा

संदेह आसानी से इस निष्कर्ष के लिए दरवाजे खोल देता है कि यह नकली है। आम तौर पर, नकली लेन-देन के मामले में इसके शब्द भ्रामक रूप से अंतर्निहित सत्य को प्रच्छन्न करते हैं। जब लेन-देन स्वाभाविक प्रतीत होता है, तो इसे एक नकली लेन-देन साबित करने के लिए कार्य कठिन हो जाता है। लेकिन जब

लेन-देन अपने आप में अप्राकृतिक है, अदालत के कार्य को हल्का कर दिया जाता है।

90. यह सच है कि क्रूस में कोई स्पष्ट अभिवचन नहीं है

आपत्ति है कि लेन-देन नकली है और विट्ठलदास ने जारी रखा

जमीन को 2.10.1975 के रूप में रखें। उत्तर चंद (ऊपर) में, इस न्यायालय ने, वास्तव में, इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए अभिवचन की कमी की ओर इशारा किया है कि उक्त मामले में शामिल लेन-देन एक सांठगांठ वाला था। वास्तव में, यह देखा जा सकता है कि अधिनियम के तहत अधिशेष भूमि रखने वाले व्यक्ति या परिवार इकाई द्वारा विवरणी दाखिल करने के बाद धारा 18 के साथ धारा 14 के तहत जांच और निम्नलिखित घोषणा पर विचार किया जा रहा है।

25 (1981) के. एल. टी. 780 विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टी. एच. आर. शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

धारा 21. इस मामले में पहले जो कार्यवाही हुई है, उसे पेश नहीं किया गया है। जो भी हो, राज्य ने अपील में प्रति-आपत्ति दायर की है। विभाजन विलेख के संबंध में उक्त प्रति-आपत्ति की सामग्री पर भी ध्यान दिया गया है।

91. मुझे लगता है कि इस मामले के तथ्यों में, निष्कर्ष यह है कि

विभाजन विलेख के तहत विट्ठलदास के हित का कोई हस्तांतरण नहीं है जो अनिवार्य रूप से शामिल है। इस तरह की खोज को सुविधाजनक बनाने में, विभाजन की अप्राकृतिक प्रकृति ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। तथ्यों में, केवल यह तथ्य कि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि उन्होंने भूमि पर कब्जा बनाए रखा या यह कि लेनदेन अपने आप में एक नकली लेनदेन था, राज्य के मामले में घातक नहीं हो सकता है, हालांकि आदर्श रूप से इसका उल्लेख किया जाना चाहिए था। पक्षकारों ने न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष परस्पर विरोधी दलीलों के उद्देश्य को समझते हुए कहा है कि विभाजन के तहत कोई प्रभावी हस्तांतरण नहीं है।

न्यायाधिकरण के आदेश में निहित सामग्री के बारे में खोज के संबंध में

पार्टीशन डीड

92. न्यायाधिकरण ने नोट किया कि बेटियों में सबसे बड़ी

शकुंतला बाई का जन्म 03.11.1955 पर हुआ था। बड़ी बेटियों में से दूसरी दुर्गा देवी का जन्म 29.08.1957 पर हुआ था। 1970 में विभाजन की तारीख पर वे 14 और साढ़े 12 वर्ष के थे। विट्ठलदास ने जारी रखा

मालिक होना क्योंकि शीर्षक कानूनी रूप से वैध साधन द्वारा पारित नहीं किया गया है। बाबुल गाँव के सर्वेक्षण Nos.14 और 12 के संबंध में वास्तविक कब्जे के संबंध में, जिसमें बड़ी बेटियों को शेयर आवंटित किए गए थे, यह निम्नानुसार पाया गयाः

" 15. S.Nos के वास्तविक कब्जे के संबंध में। 14 और बाबुलगाँव के 12, वर्ष 1970-71 और 71-72 के लिए S.No.14 के संबंध में फसल-विवरण विट्ठलदास की खेती को दर्शाते हैं, जबकि 1972-73 से 74-75 के दौरान इसे विट्ठलदास और उनकी बेटी दुर्गादेवी द्वारा संयुक्त रूप से खेती किए जाने के रूप में दिखाया गया है। बाबुलगाँव के S.No.12 की खेती 1974-75 के दौरान विट्ठलदास ने अपने साथ की है।

बेटी शाकुलतला। अपीलार्थी द्वारा अन्य वर्षों के लिए फसल विवरण दाखिल नहीं किया गया है। यह सोचना हास्यास्पद है कि इन नाबालिग बेटियों के पास स्वतंत्र रूप से भूमि पर खेती करने के लिए आवश्यक अधिकार होंगे। इसलिए मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अपीलार्थी विट्ठलदास के पास बाबुलगाँव के 6 जी के रूप में, [2019] 11 एस. सी. आर. के रूप में, 17 एकड़ 23 जी. एस. और 14 जी. एस. क्षेत्र था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनकी बेटियों शकुंतला को स्थानांतरित किया गया था और

दुर्गादेवी "।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 23.11.2016 और इसके पुत्र द्वारा अतिरिक्त शपथ पत्र विठ्ठलदास

93. 23.11.2016 पर, इस न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जो इस प्रकार है

निम्नलिखित हैः " ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक अपीलार्थी के कानूनी प्रतिनिधियों-विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री ने एक दस्तावेज़ पर भरोसा किया था

उनके इस तर्क के समर्थन में कि उन्होंने विवादित भूमि पर स्वामित्व प्रभावी तिथि से बहुत पहले प्राप्त कर लिया था, कुछ कृषि भूमि के विभाजन का एक विलेख होने का तात्पर्य महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोत पर अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1961। जबकि एक विभाजन विलेख होने का तात्पर्य रखने वाले उक्त दस्तावेज़ की एक प्रति रिकॉर्ड में है और नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा देखी गई है, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उक्त दस्तावेज़ के तहत अधिकारों के कथित अधिग्रहण 2 की सूचना कभी महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 148 और 149 के संदर्भ में राजस्व अधिकारियों को दी गई थी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि

क्या राजस्व अधिकारियों ने ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृतक अपीलार्थी के कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में कथित अधिकारों के निर्माण को स्वीकार करने के लिए कोई कदम उठाए थे। इसके विपरीत चुनौती दिए गए आदेशों से पता चलता है कि विभाजन विलेख के कथित निष्पादन के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में मृतक के नाम पर भूमि का स्वामित्व बना रहा। इस स्थिति का सामना करते हुए, अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री इंदु मल्होत्रा ने निर्देश लेने और रिकॉर्ड पर रखने के लिए एक संक्षिप्त स्थगन की मांग की।

यह सुझाव देने के लिए सामग्री कि तथाकथित विभाजन विलेख के निष्पादन और उसके मुवक्किलों द्वारा उसके अधिकारों के अधिग्रहण की विधिवत सूचना दी गई थी और ऊपर उल्लिखित भूमि राजस्व संहिता के तहत परिकल्पित उचित कार्यवाही में इसे स्वीकार किया गया था। 31.09.1970 से 02.10.1975 तक संबंधित भूमि के संबंध में अधिकारों के अभिलेख की प्रतियां भी अभिलेख पर रखी जाएंगी। छह सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 94. उसी के अनुसार स्वर्गीय विट्ठलदास के बेटे द्वारा एक अतिरिक्त हलफनामा 09.03.2017 पर दायर किया गया है। इसके तहत यह अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि संबंधित कार्यालय को एक आवेदन पर इस आशय का जवाब प्राप्त हुआ था कि गाँव बाबुलगाँव के फील्ड सर्वे No.12 और 14 के साथ-साथ गाँव मंगरुल के फील्ड सर्वे No.64 के संबंध में, कि 1970 से 1975 तक का रिकॉर्ड विकृत स्थिति में है और 1964 से 1978 की अवधि के लिए उत्परिवर्तन रजिस्टर का पता नहीं लगाया जा सकता है।

विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

" गाँव मंगरुल के लिए, फसल विवरण उपलब्ध नहीं है

अवधि 1970-1972, और गाँव बभुलगाँव के लिए फसल विवरण है

सर्वेक्षण No.14 के लिए अवधि 1970-1973 के लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि अवधि के लिए सर्वेक्षण संख्या 12 के लिए फसल विवरण उपलब्ध नहीं है।

1971-1972 . "

95. यह आगे कहा गया है कि बेटे का नाम दर्ज है

1972 से 1975 की अवधि के लिए निवासी के रूप में फसल रजिस्टर। निश्चित रूप से

महाराष्ट्र भूमि राजस्व रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के नियम 29 के तहत तैयार फसल रजिस्टर से अधिकारों के रिकॉर्ड की प्रतियां और

रजिस्टर (तैयारी और रखरखाव नियम) 1971 तैयार किए गए हैं। वे अन्य बातों के साथ इस प्रकार दर्शाते हैं:

इसमें, वर्ष 1973-74 में 'मौजूदा अधिभोगकर्ता' कॉलम के तहत, सर्वेक्षण No.14 के संबंध में, कुल 35 एकड़ क्षेत्र के लिए और

12 गुंटा यह विट्ठलदास है जिसे रहने वाले के रूप में दिखाया गया है। दुर्गा देवी को भी रहने वाले के रूप में दिखाया गया है जबकि 14.29 एच. बेला देवी के संबंध में सबसे छोटी बेटी को भी रहने वाले के रूप में दिखाया गया है। दोनों को नाबालिग और उनके अभिभावक, दादा के रूप में दिखाया गया है। वर्ष 1974-1975 के संबंध में भी यही स्थिति है। और भी आगे इसे इसी तरह दिखाया गया है

वर्ष 1975-1976 के लिए। सर्वेक्षण संख्या 12 के संबंध में समेकन कार्यवाही से पहले और बाद दोनों में एक ही स्थिति दिखाई गई है। इसके लिए

वर्ष 1972-1973 17 एकड़ और 23 गुंटा के संबंध में। , शकुंतला बाई (सबसे बड़ी बेटी) को 'मौजूदा का नाम' शीर्षक के तहत दिखाया गया था।

शकुंतला बाई की जन्म तिथि के अनुसार, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा 03.11.1955 पर उल्लेख किया गया है, वह 03.11.1973 पर बड़ी हो गई, फिर भी उसे नाबालिग के रूप में दिखाया गया है और उसके पिता को उसकी ओर से रहने वाले के रूप में दिखाया गया है। मौजूदा निवासी के नाम के तहत 17 एकड़ और 23 गुंटा के लिए 1974-1975 के संबंध में, निम्नलिखित ध्यान दिया जाता है

1. विठ्ठलदास जगन्नाथ,

2. संरक्षक जगन्नाथ के माध्यम से शकुंतला बाई विठ्ठलदास।

दो विशेषताओं पर ध्यान दिया जा सकता है।

96. पहले रहने वाले को पिता के रूप में दिखाया गया है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि शकुंतला बाई के पास पहले से ही [2019] 11 एस. सी. आर. थे।

प्रभाव डालने के लिए। क्रॉस उद्देश्य का प्रभाव दो पुराने दिनों के अंतराल में अनुमत किया जा रहा है, जिनके लिए संपत्ति को विभाजन में आवंटित किया गया था।

99. यह निस्संदेह सच है कि न्यायाधिकरण के समक्ष अपील स्वर्गीय विट्ठलदास, उनकी पत्नी, बेटे और सबसे छोटी बेटी द्वारा दायर की गई थी। यह है।

यह भी सच है कि बड़ी बेटियों के लिए पारित आदेश को चुनौती देने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि दिनांकित 31.1.1970 विभाजन विलेख में उन्हें आवंटित संपत्तियों को बाहर रखा गया था। ऐसी ही एक अपील में सरकार ने एक क्रॉस आपत्ति दायर की। निस्संदेह, क्रॉस आपत्ति अधिनियम की धारा 33 के स्पष्ट प्रावधानों के तहत और आदेश 41 नियम 22 सी. पी. सी. के तहत भी बनाए रखने योग्य थी, जिसे अधिनियम की धारा 33 के तहत भी लागू किया गया था। कानून में यह सच है कि यदि एक क्रॉस आपत्ति रखी जाती है, तो क्रॉस में एक आदेश से प्रभावित व्यक्ति

आपत्ति पार्टी सरणी पर होनी चाहिए। यदि वह पक्षकार समूह में नहीं है, तो अपील में प्रतिवादी पर यह दायित्व है कि वह ऐसे व्यक्ति को पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए किसी गैर-पक्षकार के खिलाफ प्रति-आपत्ति बनाए रखना चाहता है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर। शकुंतला @SUSHMA v. महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

100. तथापि, जो प्रश्न उत्पन्न होगा, वह यह है कि न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती नहीं देने वाली बड़ी बेटियों के प्रभाव को बताएँ। न्यायाधिकरण का आदेश था

केवल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके विट्ठलदास और उनकी पत्नी द्वारा चुनौती दी गई। न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में 3 और 4 अपीलार्थियों को ऐसी रिट याचिका में प्रतिवादी बनाया गया था। यह सच है कि बड़ी बेटियों को भी जवाबदेह बनाया गया था।

101. श्री विट्ठलदास और उनकी पत्नी ने रिट याचिका पर मुकदमा नहीं चलाया

बड़ी बेटियों के प्रतिनिधियों के रूप में भी। कम से कम इस तरह के मामले के समर्थन में रिट याचिका पेश नहीं की जाती है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि न्यायाधिकरण द्वारा विभाजन विलेख और उपहार विलेख के संबंध में निष्कर्ष ने एक ओर विट्ठलदास और उनकी पत्नी दोनों को प्रभावित किया और दूसरी ओर बड़ी बेटियों को भी प्रभावित किया। परिवार इकाई का अधिकतम सीमा लेखा निर्धारित किया गया था

102. यह ध्यान देने योग्य है कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत घोषित किया गया है कि प्राकृतिक संरक्षक कौन है। एक हिंदू नाबालिग का संरक्षक। यह नीचे लिखा हैः

" 6. एक हिंदू नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक। हिंदू नाबालिग का स्वाभाविक संरक्षक, नाबालिग के व्यक्ति के साथ-साथ नाबालिग की संपत्ति के संबंध में (उसके अविभाजित हिस्से को छोड़कर)

संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में ब्याज), हैं

(क) लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में-पिता और उसके बाद माँः बशर्ते कि पाँच वर्ष की आयु पूरी न करने वाले नाबालिग की अभिरक्षा आम तौर पर उसके पास होगी।

माँ;

(ख) अवैध लड़के या अवैध अविवाहित लड़की के मामले में-माँ, और उसके बाद, पिता;

(ग) विवाहित लड़की के मामले में-पतिः बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति नाबालिग के स्वाभाविक संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं होगा।

इस धारा के प्रावधानों के तहत

((क) यदि वह हिंदू नहीं रह गया है, या

(ख) यदि उसने एक संन्यासी (वानप्रस्थ) या एक तपस्वी (यति या [2019] 11 एस. सी. आर. बनकर पूरी तरह से और अंत में दुनिया का त्याग कर दिया है।

सन्यासी)। स्पष्टीकरण। इस खंड में, अभिव्यक्ति

" "पिता" और "माता" में सौतेले पिता और सौतेले पिता शामिल नहीं हैं। कदम-माँ "।

(जोर दिया गया)

103. हिंदू अल्पसंख्यक की धारा 6 का अवलोकन और

संरक्षकता अधिनियम से पता चलेगा कि अविवाहित लड़की के मामले में पिता और पिता के बाद माँ स्वाभाविक संरक्षक होंगी। यह नाबालिग के व्यक्ति और नाबालिग की संपत्ति दोनों के संबंध में है। जब रिट याचिका दायर की गई थी, तो सबसे बड़ी बेटी स्पष्ट रूप से बालिग थी और शादीशुदा थी। दुर्गा देवी भी मेजर थीं।

104. राज्य यह तर्क देगा कि विभाजन दिनांक 31.1.1970 था

एक दिखावा और विट्ठलदास ने संपत्ति पर कब्जा करना जारी रखा। यह अस्वाभाविक नहीं है कि वह ऐसी संपत्ति को छत में शामिल करने को चुनौती देंगे।

परिवार इकाई की संपत्ति के रूप में लेखा इस आधार पर कि वह जारी रहा

धारक बनें। यदि इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो न्यायाधिकरण द्वारा प्रति आक्षेप की अनुमति देने से विट्ठलदास प्रभावित हुए। वह वास्तव में अपनी बड़ी बेटियों को आवंटित भूमि के खाते में शामिल करने पर सवाल उठा सकते थे।

अपनी बेटियों को मौका दें। निस्संदेह, विट्ठलदास न्यायाधिकरण के समक्ष पहले अपीलार्थी थे। वह उसमें अन्य अपीलार्थियों के साथ विभाजन के संबंध में प्रति आक्षेप की अनुमति देने से पहले न्यायाधिकरण द्वारा पक्षकारों के रूप में सुना गया था। यह आधार उपलब्ध नहीं था कि उनकी बड़ी बेटियों को अवसर दिए बिना क्रॉस आपत्ति की अनुमति दी गई थी

शायद यह सच है कि वे अपने माता-पिता द्वारा दायर रिट याचिका में प्रतिवादी थे। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट खारिज किए जाने के बाद भी न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका, बड़ी बेटियों द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

105. यदि वास्तव में बड़ी बेटियों ने अधिकार हासिल कर लिया था और

विभाजन विलेख के तहत 31 से अधिक की सीमा के संबंध में अधिकार और उनके बीच में विषम एकड़ भूमि, यह किसी के अधिकार को पारित करता है। यह समझ में आना कि वे उस आदेश को चुनौती नहीं देंगे जिसका आशय विट्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टीएचआर था।

शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग। [के. एम. जोसेफ, जे.]

यह एक वास्तविक लेन-देन नहीं था, बल्कि एक छल था और संपत्ति विट्ठलदास के साथ जारी रही, इस मामले में यह विट्ठलदास द्वारा प्रारंभ की तारीख को भी रखी गई संपत्ति होगी, जिसका अर्थ है कि यह परिवार इकाई के खाते में शामिल होने के लिए उत्तरदायी होगी। तदनुसार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी, जो उन्हें उपहार में मिली संपत्ति को शामिल करने से अलग से व्यथित थी। उसे।

106. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक रिट याचिका विभाजन का मुकदमा नहीं है। विभाजन मुकदमे में, वादी के अलावा, प्रतिवादी भी शामिल होते हैं।

एक वादी के जूते। विट्ठलदास का तब भी निधन हो गया जब उच्च न्यायालय में अपील लंबित थी। इस अदालत में अपील दायर की गई थी

मूल रूप से एक विशेष अनुमति याचिका के रूप में। विशेष अनुमति याचिका में, इसे एल. आर. के माध्यम से विट्ठलदास (अब मृत) दिखाया गया है और याचिकाकर्ताओं के नाम दिखाए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय में उत्तरदाताओं के रूप में उनकी स्थिति भी दिखाई गई है। बड़ी बेटियाँ विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 थीं और अनुमति दिए जाने पर, वे अपीलार्थी संख्या 1 और 2 के रूप में पक्ष में हैं। लेकिन वे केवल इस न्यायालय के समक्ष हैं विट्ठलदास के कानूनी प्रतिनिधि जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ रिट याचिका और अपील की स्थापना की। यह ध्यान दिया जाए कि दोनों में से एक

इसलिए जो तर्क केवल विट्ठलदास के लिए उपलब्ध थे, वे उनके लिए उपलब्ध रहें। इस न्यायालय में, मैं जगदीश चंदर चटर्जी और अन्य बनाम में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकता हूं। श्री श्री किशन और अन्य 26, इस प्रकार हैं:

मृतक का प्रतिनिधि, प्रत्यर्थी बनाने का हकदार था कानूनी प्रतिनिधि के रूप में उसके चरित्र के लिए उपयुक्त कोई भी बचाव

मृतक-प्रत्यर्थी। दूसरे शब्दों में, उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि उन सभी दलीलों का आग्रह कर सकते हैं जो -

26 (1972) 2 एससीसी 461 [2019] 11 एस. सी. आर.

मृतक केवल उन्हें छोड़कर आग्रह कर सकते थे जो थे

मृतक के लिए व्यक्तिगत। वास्तव में यह कानूनी को नहीं रोकता है

अपने स्वयं के स्वतंत्र शीर्षक की स्थापना से भी प्रतिनिधि। जिस मामले में अदालत को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है

वे न केवल मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में बल्कि

अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भी एक अलग सूट से बचने के लिए स्वतंत्र शीर्षक पर निर्णय के लिए "।

(जोर दिया गया)

107. जैसा कि मेरे द्वारा नोट किया गया है, यह तर्क कि न्यायाधिकरण

पार्टी में बड़ी बेटियों के बिना क्रॉस आपत्ति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी जो वितहलदास के लिए उपलब्ध नहीं थी। यदि ऐसा है, तो उसके कानूनी प्रतिनिधि, अर्थात् अपीलार्थी विवाद नहीं ले सकते हैं।

जो उनके पूर्ववर्ती के लिए ब्याज में उपलब्ध नहीं थे।

108. यह सच है कि यह एक ऐसा मामला है जहां बुजुर्ग के संबंध में

बेटियाँ, वे उस अपील में पक्षकार नहीं थीं जिसमें प्रति आक्षेप दायर किया गया था।

109. इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बड़ी बेटियाँ और अन्य थीं

रिट याचिका और लेटर पेटेंट अपील में उत्तरदाता। यह सच हो सकता है कि एक प्रतिवादी और यहां तक कि एक व्यक्ति जो एक पक्ष नहीं है

अपील को प्राथमिकता दें। लेकिन जब उन्होंने न्यायाधिकरण के आदेश और यहां तक कि विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती नहीं दी है और क्योंकि विट्ठलदास ने मामले को पूरी तरह से चुनौती दी थी और मेरे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी बेटियों को आवंटित संपत्तियां, विट्ठलदास द्वारा धारित पाए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, मैं हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं होऊंगा, विशेष रूप से, जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है जब विशेष अनुमति याचिका के अवलोकन में कहा गया है कि

यह खुलासा करें कि एल. आर. के माध्यम से विट्ठलदास (अब मृत)-याचिकाकर्ताओं को कारण शीर्षक में दिखाया गया है। यह याद रखना चाहिए कि लेटर पेटेंट अपील के लंबित रहने के दौरान विट्ठलदास के निधन पर याचिकाकर्ताओं को उनके कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में दर्ज किया गया था।

110. कम से कम इस संबंध में, मैं इस मामले में भी आग्रह करूँगा।

एल. आर. एस. द्वारा ताहेराखातून (डी) में निर्धारित सिद्धांत। वी. सलामबीन मोहम्मद 27 और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

111. इसलिए मुझे लगता है कि अपील विफल होनी चाहिए और यह कायम है।

बर्खास्त कर दिया।

27 1999 (2) एस. सी. सी. 635

विठ्ठलदास जगन्नाथ खत्री (डी) टी. एच. आर. शकुंतला @सुश्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य राजस्व और वन विभाग।

आदेश

विचारों के अंतर और विशिष्ट निर्णयों

को ध्यान में रखते हुए

बेंच।

देविका गुजराल